खण्ड-453, अंक-6
सोमवार, 23 फाल्गुन, शक संवत् 1926
(14 मार्च, 2005 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2005)

खण्ड 453 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ङ–झ
दिनांक 12 मार्च, 2005 को उच्च शिक्षा विभाग के बजट चर्चा में चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय को अधिक धनराशि का प्राविधान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर मा0 अध्यक्ष पीठ तथा विपक्ष की अवमानना के विषय पर चिन्ता.....	1–15
प्रश्नोत्तर.....	15-99
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं.....	99-100
गोण्डा के सिविल लाइन चौकी कोतवाली के स्व0 कान्सटेबिल के परिवार को मृत्यु के उपरान्त देयों का भुगतान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100
फतेहपुर के जहानाबाद, खागा, हसवां तथा किशुनपुर के अधिकांश गांवों में ओलावृष्टि के प्रभावितों को अहेतुक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना.....	100-101
हरदोई के ब्लाक हरपालपुर में सेढा नाला पर ककरा जोत पुरवा के मध्य तथा इकनौरा, रानीखेड़ा के मध्य पुलिया बनाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना.....	101
फिरोजाबाद के ग्राम सभा दारापुर से नगला बडैया के बीच बासू झरने पर डैम बनवाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना.....	101
राजकीय पालीटेक्निक, बाराबंकी के प्रधानाचार्य द्वारा सरकारी धन के दुरूपयोग एवं छात्रों का शोषण किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना.....	102
गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा के पानी को शुगर मिल सिम्भावली व स्याना गोपाल डेरी के गन्दे रसायनिक पानी के प्रदूषण से मुक्त करने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना.....	102-103
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया).....	103

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञाप्तियां- (सदन के पटल पर रखी गयीं)..... 103-104

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम लखनऊ के स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2002-2003 (सदन के पटल पर रखा गया)..... 104

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति का 92वां, 93वां, 94वां, तथा 95वां प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण का स्थगन..... 104

उत्तर प्रदेश क्रीडा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 (पुर:स्थापित)..... 105

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस), अनुभाग संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)..... 105-121

विनियोग विधेयक, 2005 को निर्धारित समय से पूर्व लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) 122

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2005 (पारित)..... 122-136

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)..... 136

सदन का बहिष्कार करने वाले अनुपस्थित सदस्यों की सूचनाएं लिये जाने विषयक जानकारी..... 136

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं..... 137

प्रदेश में व्यापार कर के स्थान पर वैट लागू किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य..... 137-138

जनपद सीतापुर के प्राथमिक विद्यालयों और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु स्वीकृत प्रस्तावों के वाद भी निर्माण न होने के सम्बन्ध में श्री रामहेत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य..... 138

जनपद फतेहपुर थाना जाफरगंज में 8 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किये जाने एवं अपराधियों को गिरफ्तार न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य..... 139

जिला कारागार मेरठ में बंदी देवेन्द्र की हुई मृत्यु के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कारागार मंत्री का वक्तव्य..... 139-140

जनपद सुल्तानपुर के शास्त्रीनगर में निर्मित जलाशय को चालू किये जाने हेतु नलकूप न लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमप्रकाश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य..... 141

जनपद लखीमपुर खीरी के परसिया घाट तथा पटना घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती माया प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य..... 141-142

जनपद आजमगढ़ स्थित मगई नदी पर बने अधूरे पुल के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य..... 142-143

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा के मूल्यांकन पद्वति में हाईस्कूल की तर्ज पर ग्रेडिंग व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन..... 143

जनपद मुरादाबाद स्थित फतेहगढ से धूमनगर भगवतीपुर से हुलासपुर आदि कतिपय मार्गो का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती गुलाब देवी द्वारा नियम- 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य..... 143-144

मैनपुरी के ग्राम सभा अंगोधा के प्रधान एवं लेखपाल द्वारा फर्जी पट्टे किये जाने के संबंध में श्री अशोक सिंह चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य..... 144

डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय गोमती नगर लखनऊ में हो रही अनियमितता की जांच के संबंध में श्री बीजू पटनायक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य..... 145

जनपद बांदा नगर स्थित सीवर लाइन पर अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के संबंध में श्री बाबू लाल कुशवाहा, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य..... 145-146

जनपद बहराइच के महसी में छोटी सरयू नदी पर पुल निर्माण तथा जंगपुरवा मार्ग से महसी मार्ग तक सड़क पेटिंग का कार्य करवाये जाने के संबंध में श्री दिलीप कुमार वर्मा द्वारा नियम-51 के द्वारा अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य 146-147

जनपद रायबरेली स्थित पखरौली से हमीरमऊ तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य..... 148-149

जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम कोरई मोहीउद्दीन पुर में अग्निकाण्ड में हुई भेड़ों की मृत्यु के उपरान्त सहायता की मांग विषयक श्री लाल जी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य..... 149-150

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि नीलामी से करोड़ों का नुकसान होने के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य..... 150-151

नत्थियां..... 152-156

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2005

विधान सभा की बैठक लखनऊ में दिन के 11 बजे उपाध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य-310

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	अरूणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर	अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अजय कुमार, डा0	बागपत	अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद	अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अताउल रहमान, श्री	बरेली	अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर	आदित्य विक्रम सिंह	
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा	(बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर	आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोई	आलम बदी, श्री	आजमगढ़
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा	आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
अनीस अहमद खां		आशीष यादव, श्री	बदायूं
उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत	आशुतोष मौर्य	
अनुग्रह नारायण		उर्फ राजू, श्री	बदायूं
उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया	इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती	इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद	इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्त कबीर नगर	उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अब्बास अली ज़ैदी		उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उर्फ रूश्दी मियां, श्री	बाराबंकी	उदयभान सिंह, श्री	वाराणसी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर	उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
अमरमणि, श्री	महराजगंज	उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर	ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा	ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
अरविन्द कुमार सिंह		ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी	ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
अरूण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन	ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
अरूण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात		

कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कृष्णानन्द राय, श्री	गाजीपुर
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री	चित्रकूट
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायण उर्फ	
जी0 एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव,	फर्रूखाबाद
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमजीत, श्री	मुजफ्फनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा

प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबूराम, एम0काम, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल, चौधरी	आगरा
विजय सिंह, श्री	फर्रूखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रहमा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भरत सिह, श्री	बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ संतोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूले
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
मिथलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़

राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदास नगर भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज

शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा	सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर	सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा	सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी	सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज	सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर	सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सत्य प्रकाश अग्रवाल		सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
(कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ	सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी	हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
समरपाल सिंह, श्री	बागपत	हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
सर्वेश कुमार उर्फ		हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद	हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव	
सलिल विशनोई, श्री	कानपुर नगर	"हरीश जी", श्री	वाराणसी
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सियाराम सागर, डा0	बरेली	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद		

नोट :-- 1-परिवार कल्याण मंत्री — श्री अहमद हसन

2-सिंचाई मंत्री — श्री मुन्नासिंह चौहान

3-प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री — श्री बनवारी सिंह यादव

4-उच्च शिक्षा राज्य मंत्री — श्री राम आसरे विश्वकर्मा

5-बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री — श्री अजीत कुमार राजू

भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 12 मार्च, 2005 को उच्च शिक्षा विभाग के बजट चर्चा में चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय को अधिक धनराशि का प्राविधान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर मा0 अध्यक्ष-पीठ तथा विपक्ष की अवमानना के विषय पर चिन्ता

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे)

श्री मुंशीलाल गौतम–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेता सदन द्वारा पीठ की अवमानना की गई है।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। दलीय नेताओं की बैठक में इस पर बात हुई है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परसों इस सदन में जो कुछ घटित हुआ है वह संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत कष्टकारी है।

श्री उपाध्यक्ष–

पहले प्रश्नकाल चलने दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मेरा अनुरोध है कि उस दिन की रिकार्डिंग सभी दलों की उपस्थिति में देख ली जाय।

(इस समय 11 बजकर 4 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

इस सदन को चलाने का औचित्य क्या है ? सत्तापक्ष की तरफ से जिस प्रकार से विपक्ष को ललकारा गया उसके बाद हमारे बैठने का औचित्य क्या है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यह सदन नियमों से चलता है, परम्पराओं से चलता है। यहां पर पीठ को धमकी दी गई है।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, मेरा अनुरोध है कृपया बैठ जायं।

***नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टंडन)–**

मान्यवर, कुछ वर्षों के बाद सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है, बहस हो रही है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुझाव आ रहे हैं लेकिन परसों जो हुआ है वह इस सदन के लिए बहुत शर्मनाक बात है। हम सबकी जिम्मेदारी है अगर कहीं पर ऐसा कुछ हुआ है, जो विपक्ष ने किया हो अगर उसकी गलती है तो हम उसको मानेंगे और सत्ता पक्ष या पूरे सदन के नेता होने के नाते मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस घटना के बारे में एक बार सदन को आश्वस्त कर दें, खेद व्यक्त कर दें।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय नेता विरोधी दल का सुझाव है, हम उसका स्वागत करते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले और इस सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिये हम चाहते हैं कि संवादहीनता को खत्म करके हमारा संवाद बना रहे। पूरे प्रदेश की जनता की समस्याओं पर यहां खुलकर बहस करें। विपक्ष का यह अधिकार है कि वह निन्दा करे, आलोचना करे, अपना कटौती का प्रस्ताव रखे। हम उसके इस अधिकार का समर्थन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी यह नहीं कह सकती है कि हमारे सामने कोई कागज आया हो तो हमने कहीं पक्षपात किया हो कि यह किस दल का है ? हमारा जिस तरह का आचरण है, उसे आप 19 महीने से देख रहे हैं। जहां तक मान्यवर, 12 मार्च की घटना का सवाल है, माननीय सदस्य उत्तेजित हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के। कोई बता दे कि एक भी शब्द हमने कहा हो। इतना जरूर है कि हमने यह जरूर कहा था कि इनको नियंत्रित कीजिये। आप कार्यवाही देख लें, एक भी शब्द अगर हमरी तरफ से कहा गया हो। हम तीन बार खड़े हुए और तीनों बार बहुजन समाज पार्टी के नेता मौर्या जी हमारी तरफ हाथ कर-कर के अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। वह नहीं लिखा गया कार्यवाही, में वह अलग बात है। इसके बाद हमने नेता प्रतिपक्ष की तरफ भी इशारा करके उनको नियंत्रित करने को कहा और आपसे भी यही कहा कि इनको नियंत्रित कीजिये। इसके बाद हमने अपने सहयोगी को बुलाकर कहा कि माननीय अध्यक्ष से कहिये कि आप इनको नियंत्रित करिये। मान्यवर, आप खड़े हुए, तब भी बहुजन समाज पार्टी के नेता जी खड़े रहे। उसके बाद दोबारा फिर मैं खड़ा हुआ। उसके बाद भी बसपा के नेता मौर्या जी खड़े रहे। उसके पश्चात् नेता विरोधी दल खड़े हुए, तब भी मौर्या जी खड़े रहे। उसके बाद नेता कांग्रेस प्रमोद जी खड़े हुए, तब भी मौर्या जी खड़े रहे। उसके बाद दोबारा फिर नेता विरोधी दल खड़े हुए तब भी मौर्या जी खड़े रहे। माननीय त्रिपाठी जी ने एक प्रस्ताव रखा, मैंने खड़े होकर उनके प्रस्ताव का समर्थन किया कि मैं आपसे सहमत हूं। मान्यवर, आप कार्यवाही देख लीजिये। नेता विरोधी दल ने जो कहा, जहां तक उस दिन की घटना का सवाल है, उस घटना को मैं अच्छा नहीं मानता हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो कुछ यहां होता है, उसके लिये हम सब जिम्मेदार हैं। यह सदन की कार्यवाही और हमारा आचरण प्रदेश की जनता के लिये दर्पण है। इसलिये हम और हमारा दल इस तरह का आचरण नहीं करता जो अच्छा न हो। जब हमको बुरा भला कहा गया तो हमने उसकी आपत्ति, अध्यक्ष महोदय, आपके सामने दर्ज की थी और अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए हमने आपसे कहा कि आप इनको नियंत्रित कीजिये। इसके बाद भी यह लोग बुरा भला कहते रहे और हम चुपचाप बैठे रहे और एक भी शब्द हमने नहीं कहा। जहां तक गौर जी का सवाल है, यह परम्परा है अध्यक्ष महोदय, कि जब नेता सदन स्पष्टीकरण कर दें, उसके बाद कहीं भी आप देख लीजिये। संसद में मैं साढ़े सात साल लगातार रहा हूं। बड़े-बड़े नेताओं के बीच में मैं रहा हूं, प्रधान मंत्री के बीच में मैं रहा हूं, कभी हमारे आचरण पर किसी ने उंगली नहीं उठाई है। महिला बिल का हमने समर्थन किया। मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारे आचरण का सवाल है, जीवन में कभी भी मैं वेल में नहीं आया। एक बार वेल में आया तो 2 बजे रात तक नहीं उठा। ऐसा कभी आचरण नहीं

रहा हमारा। 1967 के बाद कुछ समय को छोड़कर अगर मैं यहां नहीं था तो वहां पहुंच गया था। 4 बार लोक सभा के चुनाव जीता हूं। रक्षा मंत्री के पद पर रहा हूं और नेता विरोधी दल की हैसियत से अटल जी ने मुझे बधाई दी। डिप्टी स्पीकर ने बधाई दी, जसवंत सिंह जी ने बधाई दी और फिर पूरे सदन ने बधाई दी। मान्यवर, इस तरह का आचरण हमारा रहा है। चौधरी चरण सिंह के जन्मशती समारोह के बारे में कहा गया। हमने कहा था कि पैसे की कमी नहीं होगी। मान्यवर, जब उधर से कहा जा रहा था, आपने भी उस समय कहा कि मत कहिए। उसके बाद तिवारी जी और त्रिपाठी जी ने कि कहा यह बंद कीजिए। हमने इसका स्वागत किया। जैसे ही रामआसरे विश्वकर्मा जी ने सवाल उठाया, पूरे सदन के विधायकों ने उनको बैठा दिया। जहां तक मौर्या जी की बात है उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा। भावना में आकर हमारे राजस्व मंत्री अम्बिका चौधरी जी ने भी कह दिया, इनको भी गुस्सा आया। हमें भी गुस्सा आया लेकिन एक शब्द किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। हम किसी महापुरूष के खिलाफ नहीं है। बड़ा-बड़ा पैसे का दुरूपयोग हुआ है। हमने बाहर ऊंगली उठाई कि इसको रोका जाए, यहां कुछ नहीं कहा। लोहिया जी के नाम पर जो पार्क बन रहा है, उस पर सवाल उठाया गया, तो वह केवल समाजवादी पार्टी के नेता नहीं हैं। महान विचारक हैं डा0 लोहिया जी। किसी एक के नहीं है। नेता विरोधी दल ने कई बार कहा है कि हमने उनको करीब से देखा है । प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हमने लोहिया जी को देखा है और हमने पंजाब यूनीवर्सिटी में उनका भाषण सुना है, मैं अर्थशास्त्री हूं, उनका भाषण सुना है।

मान्यवर, आजादी की लड़ाई में लोहिया जी को 11 दिन जेल में रखा गया। उनके हाथों में सरिया डाली जाती थी लेकिन उन्होंने किसी का नाम ब्राड कास्ट नहीं किया। उन्होंने देश को नई विचारधारा दी। देश को नई दिशा दी। यह सही है कि दो-तीन बार भ0ज0पा0 को लाभ हुआ, हमें नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को नुकसान हुआ, इस वक्त ऐसा लग रहा है। जनता के बीच में ऐसी स्थिति हो रही है, जो बहुत सम्मानजनक नहीं है कैसे वोट मांगा जाए। जब कांग्रेस की सरकार बन गई तो जनता को हिम्मत बंधी कि परिवर्तन हो सकता है। मान्यवर, जो पार्क लोहिया जी के नाम पर बन रहा है, वह पत्थर का पार्क नहीं है। वहां पेड़ है, घास है, वह आम जनता के लिए है। गौर साहब ने जब कहा तो किसी ने उनको रोका नहीं, नेता विरोधी दल ने भी उनको नहीं रोका। हमारी तरफ से रामआसरे विश्वकर्मा जी ने जैसे ही कहा, हमने तुरन्त रोका। वह रूक गए। इसके बावजूद नेता सदन होने के नाते हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से, हमारे विधायकों की तरफ से, कोई आचरण ऐसा नहीं होगा। अम्बिका चौधरी जी ने भावना में आकर कहा। दो कौड़ी के हो कहा। जब नेता पर लांछन लगाया तो दो कौड़ी का कहा है। पत्थर की दलाली करते हो, यह कहा है। अगर अटल बिहारी जी के खिलाफ कोई इस तरह की भाषा प्रयोग करे तो क्या आप सुनते रहेंगे? यह पूरी स्थिति रही। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बहिष्कार किया। जैसे ही माननीय नेता विरोधी दल जाने लगे, हमने प्रार्थना की कि आप सदन का बहिष्कार न करें। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि नेता सदन खेद व्यक्त करें। तो यह हमारे लिए उचित नहीं है। न मेरे स्वाभिमान के लिए, न मेरे सम्मान के लिए। हम खेद सदन में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हम पर खाली लांछन न लगाया जाए। माननीय नेता विरोधी दल ने सहयोग नहीं किया। जहां तक आचरण की बात है, यह सही है कि इस तरह का आचरण सदन में नहीं होना चाहिए। मैं प्रार्थना करूंगा कि पूरे सदन में इस तरह का आचरण नहीं होना चाहिए। एक संवादहीनता जो थी, उसको हमने खत्म किया। पहले तो ऐसा होता था। कि बातचीत नहीं होती थी, नमस्ते नही होती थी। सदन नहीं चलता था। लेकिन हमने छोड़ दिया

है, नेता विरोधी दल और सभी नेताओं पर कि वह जितने दिन भी विधान सभा को चलाना चाहते हों, चलायें। भले ही आज बजट पास कर लेंगे। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम उसकी सराहना करते है। हमने हमेशा संसदीय परम्पराओं का पालन किया है। लेकिन कल हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई। हम चाहते थे कि हमारी प्रार्थना पर भी कम से कम विचार हो। पर न तो नेता विरोधी दल ने, न अन्य किसी ने, न गौर साहब ने , न बाजपेयी जी और त्रिपाठी जी ने हमारी प्रार्थना सुनी। जो इतने विद्वान हैं, स्पीकर रहे हैं, विद्वानों में हैं और इस चेयर को भी सुशोभित कर चुके हैं। कभी-कभी तो हम आपकी बात भी नहीं टाल पाते हैं, मुश्किल होती है और फिर हम आग्रह कर लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत तंग दिल वाला, बहुत छोटे दिल वाला व्यक्ति कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। हम लोग विशाल हृदय वाले हैं। हम अपने साथियों से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। जब हमें जेल में डालने की कोशिश की गई तब भी हम उत्तेजित नहीं हुए, उस वक्त भी हमने धैर्य दिखाया था। यदि उस दिन जेल में चले गये होते तो उत्तर प्रदेश की गम्भीर स्थिति होती। तब आप सत्ता में थे, जब मुझ पर पोटा लगाने की तैयारी हो गई थी। अध्यक्ष जी, मैंने जीवन में कभी नफरत नहीं की है लेकिन हीनता की भावना का पाठ हमने नहीं पढ़ा है। मैं समझता हूं और हर तरह का अनुभव हमें जीवन का है, बहुत कठिन अनुभव है। इसीलिए हम कहेंगे, इतनी प्रार्थना आपसे करेंगे कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसा आचरण नहीं करेगा। जो 12 तारीख को हुआ है, हम उसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, उसकी हम निन्दा करते हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय अध्यक्ष जी, तीन बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे लिए कहा है।

श्री अध्यक्ष–

बात खत्म हो गई है। अब बहस को न चलायें, आगे बढ़ा जाए। अब प्रश्न लेने दीजिए।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं, एक परम्परा रही है।

श्री अध्यक्ष–

अब पूरी बात आ गई है।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

अध्यक्ष जी, जब मुख्यमंत्री जी ने, नेता सदन ने सारी बात को इतना स्पष्ट कह दिया, हर चीज को साफ-साफ कह दिया, उसके बाद भी नरेन्द्र कुमार जी इस तरह का आचरण कर रहे हैं, एक सीनियर सदस्य होने के नाते।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा 3 बार नाम लेकर कहा है। मुझे अपना स्पष्टीकरण देना है। मान्यवर, उस दिन उच्च शिक्षा विभाग का बजट प्रस्तुत हो रहा था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गौर साहब, अब इस बात को समाप्त करें।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने पर)

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा तीन बार नाम लिया है।

श्री अध्यक्ष–

गौर साहब, बैठ जाइये।

श्री लाल जी टण्डन–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो परसों की घटना के बारे में कहा उसमें एक बात का संशोधन आवश्यक है। माननीय गौर साहब ने जब यह कहा तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया आप प्रोसीडिंग देख लें। उन्होंने कहा कि एक विद्यालय को इतना दे दिया है। जब चौधरी चरण सिंह जी की बात आई तो मैंने हस्तक्षेप किया और कहा कि ऐसा नहीं है कि हम चौधरी साहब की इज्जत नहीं करते बल्कि यह भी कहा कि हम चौधरी साहब को तब से जानते हैं जब आप उनके साथी भी नहीं थे और हमने उन्हें यहां पर लाकर मुख्यमंत्री बनाया था। हमें उनसे इतना स्नेह था कि हम उनका असम्मान नहीं कर सकते हैं। मगर माननीय गौर साहब का नाम बार-बार लेकर यह कोशिश हो रही है कि जैसे यह सब हमने किया। जो कुछ हुआ उसका आत्मालोचन करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

जब कह दिया गया है कि निन्दा करते हैं तो आप बात क्यों बढ़ा रहे हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

आप गौर साहब का नाम ले रहे हैं तो आप उन्हें अवसर दें।

श्री अध्यक्ष–

नहीं इससे तो बात बढ़ेगी।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, ऐसी परम्परा रही है कि जब किसी सदस्य का नाम लिया जाए तो उसे बोलने का अवसर दिया जाये।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मुझे जरूरी काम से जाना है और आना भी है। आपको परम्परा की जानकारी है और नेता विरोधी दल भी जानते हैं। इतने स्पष्टीकरण के बाद भी हुकुम सिंह जी दोबारा उन्हें बुलवाएंगे तो यह तो ठीक नहीं है। यह गलत बात है। फिर तो यह भी कहेंगे कि हम भी बोलेंगे। फिर तो अधिकार उनका भी है। गौर साहब से मैंने कहा था कि जितने पैसे का आप प्रस्ताव कर देंगे, उतना हम कर देंगे। आप इलाहाबाद में खोलना चाहें, हम वहां दे देंगे।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, 12 तारीख को जो हुआ पूरे सदन के सामने हुआ। क्या हुआ, उसका मुख्यमंत्री जी ने अपने स्पष्टीकरण में, अपनी भाषा में, उल्लेख कर दिया। मैं थोड़ा सा इस बिन्दु से हटकर बात कहना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों में इस सदन में कुछ ऐसी घटनाएं हुयी हैं जिसके कारण उत्तर प्रदेश विधान सभा की छवि प्रभावित हुयी है। परसों जो कुछ हुआ और समाचार पत्रों में जिसका कि हम संज्ञान नहीं लेते उसमें शीर्षक लगाया गया कि मुख्यमंत्री ने ललकारा, मुख्यमंत्री ने कहा कि [xxxx xxxx xxxx xxxx] से देंगे। इस प्रकार के समाचारों से हमारी छवि में सुधार नहीं होगा। यह बात सही है कि मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसका उल्लेख समाचार पत्रों में है। रिकार्ड पर बात आयी है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पूरे अभिलेखों का परीक्षण करा लीजिएगा और उसमें जो बातें अशोभनीय हों उसे निकाल दीजिएगा। मुझे विश्वास था कि आप वह कर लेते। लेकिन सदन के अंदर उत्तेजना फैलायी गयी वह उचित नहीं है। 16 दिसम्बर, 93 की एवं 21 अक्टूबर, 97 की घटना हुई, इससे इस सदन की छवि धूमिल हुई। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम विरोध पक्ष में हैं और सत्ता पक्ष उधर है। हम विरोध करने की भावना से अपनी भावना को व्यक्त करते हैं न कि बदले के भावना से। हमने अपने दल के सदस्यों से कहा है कि कोई भी अशोभनीय या असंसदीय शब्द अपनी भाषा में प्रयोग न करें। सत्ता पक्ष की तरफ से असंसदीय एवं अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम खेद व्यक्त नहीं करेंगे तो हमारा दल भी जिस तरह का निर्णय लेगा वह हम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपने सदस्यों को निर्देश दें कि किसी भी प्रकार से सदन में उत्तेजना न फैलायें, अशोभनीय बातों का प्रयोग न किया जाय। मान्यवर, यह सदन गम्भीर विचारों का माध्यम है और इसे अपनी सार्थकता को सिद्ध करने दें। मुख्यमंत्री जी आपको खेद व्यक्त करने में संकोच नहीं होना चाहिए। यह बड़प्पन और शालीनता का प्रतीक होगा। आप मुख्यमंत्री बाद में हैं पहले सदन के नेता हैं यह मैंने कहा था। आप दोनों पक्षों को विश्वास में लेकर चले।

(डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जायें। निन्दा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी थे, हमने कहा था कि [xxx xxx xxx xxx] लेकिन हमारी सहनशीलता का लाभ ज्यादा नहीं उठाने दिया जायेगा। जहां तक अखबार वालों का सवाल है, अखबार वालों की बात विधान सभा में नहीं चलेगी। वह जो लिखना चाहते हैं, लिखें लेकिन अखबार के लिखने से विधान सभा नहीं चलेगी। मैंने लोक सभा में भी कह दिया था, अपर हाऊस में भी कह दिया था कि विधान सभा चल रही है हमसे और आपसे। इसलिए मैं अपने विद्वान सदस्य श्री त्रिपाठी से कहूंगा कि हमसे ऐसी उम्मीद मत कीजिये कि हम [xxx xxx xxx] का जवाब [xxx xxx]

नोट :-- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

से नहीं देंगे। अखबार वालों ने क्या-क्या किया ? क्या-क्या पैमफ्लेट छपवाये ? यह आचरण पत्रकारों का है कि वह जो छपवाना चाहें, छपवायें। हमारा अपना आचरण और व्यवहार सुधरना चाहिए। यह नहीं कि अखबार वालों ने लिख दिया और आपने कह दिया। अगर इसी तरह से होगा तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी। हम तो, वह लाबी में बैठे हैं, और हम कह रहे हैं कि कृपा करके इन अखबार वालों के सहारे इस विधान सभा को मत चलने दीजिये। यह बहुत बड़ा सदन है, हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा सदन है। मैं गौर साहब से भी प्रार्थना करूंगा कि आप गुस्सा मत कीजिये। जो बजट आप और बढ़वाना चाहते हैं तो हम बढ़ा देंगे, संसाधन भी जुटा देंगे। जो आपने सहयोग दिया है, उससे यह सदन चलता रहेगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिह गौर–

मान्यवर, मैं भी 14 वर्ष से इस विधान सभा का सदस्य हूं। आप हमारी बात को सुनिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल और माननीय त्रिपाठी जी की बात आ गयी है, अब मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं देता हूं। आप जो कहेंगे वह लिखा नहीं जायेगा।

(व्यवधान के मध्य)

आपसे निवेदन है माननीय गौर साहब, अब आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। मैं खड़ा हूं, अब आप बैठ जाएं।

माननीय नेता विरोधी दल और सदन के सभी सम्मानित सदस्यगण, परसों की घटना पर चर्चा,,,

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर।)

माननीय प्रमोद कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहें हैं, आप अपनी बात कह लें, फिर हम अपनी कहें।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय त्रिपाठी जी ने...

डा0 नरेन्द्र कुमार सिह गौर–

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन ने हर बात को स्पष्ट कह दिया है फिर आप बार-बार इस चीज को ऊपर करके क्यों सदन का माहौल खराब कर रहे हैं ? हम चाहते हैं कि सदन का माहौल शान्तिपूर्ण बनाया जाए जिससे सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से चलाई जा सके। माननीय गौर साहब आप बैठ जायें, सदन की एक परम्परा है, मैं खड़ा हुआ हूं, आप बैठ जायें, अब आपकी बात को लिखा नहीं जायेगा।

नोट :--- {xxx} यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

***श्री हुकुम सिंह–**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ, आपसे निवेदन कर रहा हूं, सदन का माहौल ठीक करने के लिए माननीय गौर साहब खड़े हुए हैं, सदन का माहौल खराब करने के लिए नहीं। मान्यवर, अगर किसी के मन में कोई पीड़ा है, तो वह आपसे अपनी बात कह रहा है, उसका स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय गौर साहब वरिष्ठ सदस्य हैं, इनको एक मिनट में अपनी बात कह लेने दें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय सदस्य मुख्यमंत्री जी से वरिष्ठ नहीं हैं, हमसे वरिष्ठ नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी नेता सदन के कहने के बाद भी अगर यह आचरण किसी सदस्य का रहेगा तो फिर यह उचित नहीं है, यह परम्परा के अनुरूप नहीं है। [xxx xxx xxx xxx]

श्री अध्यक्ष–

माननीय हुकुम सिंह जी, अब इससे ज्यादा और स्पष्ट करने का क्या औचित्य है ? अब इससे ज्यादा मुख्यमंत्री जी क्या कहते ? नेता सदन ने हर तरह से आग्रह कर लिया है।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर।)

माननीय पाल साहब आप बैठ जायें।

श्री लाल जी टण्डन–

माननीय अध्यक्ष जी, यह परम्परा भी है, अगर किसी का नाम आया है और अगर वह सोचता है कि वह सही अर्थों में नहीं आया है तो वह अपनी बात कहने का अधिकारी है। माननीय नेता सदन की, या किसी की आलोचना करने की मंशा नहीं है, अगर यह नियमों में है और किसी का अधिकार भी है तो उसे, उसके अधिकारों का पालन करने दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

सदन का माहौल बनाने के लिए आप इस बात को न बढ़ायें, माननीय नेता सदन ने कह दिया, कि हम आपके विद्यालय के लिए, जितना आप कहेंगें बजट देने के लिए तैयार हैं, इतना सब अनुरोध कर दिया, फिर भी आप नहीं मानते हैं। अब इसका कोई औचित्य नहीं है, मेरा आपसे निवेदन है गौर साहब, अब आप इस बात को न उठायें।

***संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–**

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल ने जो बातें कही, अगर किसी भी माननीय सदस्य के बारे में कोई टिप्पणी हुई है तो उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी सफाई देनी चाहिए,

---

नोट :--[xxx]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

लेकिन नेता सदन ने अपने पूरे भाषण में गौर साहब के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि बजट बढ़ाने की बात कही, उनसे निवेदन किया, उनसे सहयोग की अपील की है, इसके अलावा गौर साहब के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है ? अगर कहें तो गौर साहब को अधिकार है, वह उसके बारे में सफाई दे सकते हैं। हालांकि नेता सदन के बारबार निवेदन के बाद भी गौरसाहब का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। पता नहीं अल्बर्ट पिण्टो को गुस्सा क्यों आ रहा है? अवश्य ही आपको किसी ऐसी बात पर पीड़ा हुई होगी और जरूर हुई होगी, पूरा सदन यह महसूस कर रहा है आपकी पीड़ा को। और मेरे ख्याल से इस पीड़ा को बर्दाश्त कर लिया जाए और सबको इस बात का एहसास दिलाया जाय कि आपने इस पीड़ा को बर्दाश्त कर लिया है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय अध्यक्ष जी मेरी बात सुने।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गौर साहब क्यों जिद कर रहें हैं? माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय गौर साहब मेरा आपसे निवेदन है कि अब इस माहौल को न खराब करिये।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, आप मेरी बात सुनेंगे तभी कोई बात आयेगी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

गौर साहब बहुत सीनियर हैं ऐसी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल ने कह दिया, हुकुम सिंह ने कह दिया त्रिपाठी जी ने कह दिया, नेता सदन ने कह दिया।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, रोज वरिष्ठता का सवाल आता है इस सदन के सभी सदस्यों का अधिकार बराबर है स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो हमारे यहां बैठने का क्या औचित्य है ?

(स्पष्टीकरण का अवसर न दिये जाने पर डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री केशरीनाथ त्रिपाठी व डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के साथ भाजपा के अन्य सदस्य सदन त्यागकर चले गये)

श्री मुलायम सिंह यादव–

जब एक बात हो गयी कि हम बजट बढ़ा देंगें आपकी बात मान लेंगे। कोई बात नहीं कही है। अगर मन बनाकर आये हैं तो मेरी अकेले जिम्मेदारी थोड़े ही है।

श्री लाल जी टंडन–

मान्यवर, मैं वातावरण ठीक करने का प्रयास कर रहा हूं नरेश जी का मामला नहीं है नेता सदन ने स्पेसिफाई करने की कोशिश की और गौर साहब का नाम लिया तो जिसका नाम लिया उसको अधिकार है अपनी बात कह ले आलोचना करने की बात नहीं है दो शब्द उनके सुन लेने में सारा सदन व्यवस्थित चलता है तो इनकी बात सुन ली जाय। सारी बातें हो गयी हैं अब उन्हें कुछ कहना नहीं है लेकिन उनकी जो पीड़ा है उसको सुन लेना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव–

परम्परा का सवाल है, हमें नहीं खड़ा होना चाहिए था और मौकों पर वह यह खुद बोल सकते हैं, अभी तो सदन चल रहा है लेकिन एक परम्परा का सवाल है यह परम्परा इससे टूटेगी। माननीय नेता विरोधी दल, माननीय हुकुम सिंह, यह परम्परा का सवाल है इसलिए चाहता हुं कि लोकतांत्रिक परम्पराओं को लोकतंत्र में कायम रखा जाय। नेता सदन बोल लें इसके बाद फिर आप बोलें। इधर से बोलें, उधर से बोलें। अध्यक्ष महोदय, यह सवाल नहीं है, बहिष्कार का ऐसा सवाल नहीं है। यह महत्वपूर्ण सवाल है। भविष्य में यह नजीर बनेगी कि नेता सदन, नेता विरोधी दल के बोलने के बाद और उसके बाद इधर से, उधर से फिर बहस जारी रहेगी। फिर उसके बाद आपके चैम्बर में बैठकर, यहां बैठकर बात करने का कोई मतलब नहीं है। हम फिर विश्वास दिलाते हैं अध्यक्ष, महोदय, हम अपने सबको नियंत्रित करने के प्रति आश्वस्त करते हैं। यहां नीति का सवाल है, परम्पराओं का सवाल है। एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, दो व्यक्तियों का सवाल नहीं है। हमने कहा कि बजट भी बढ़ा देंगे। बहुत बड़ी बात है हम जानते हैं कि इससे दिक्कत होगी। व्यक्तिगत भी इलाहाबाद में कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कर देंगे। हमने आदरपूर्वक कहा है। उसके बाद माननीय त्रिपाठी जी का आदर करने के बाद त्रिपाठी जी को इतना गुस्सा ! मुझे आश्चर्य है। लोकतांत्रिक परम्पराओं का सवाल है। यह विधान सभा देश की आदर्श है। लोकसभा बहुत बड़ी है, यह उससे छोटी है लेकिन यह विधान सभा भी पूरे हिन्दुस्तान के लिए आदर्श है। हम प्रार्थना करेंगे माननीय नेता विरोधी दल से, माननीय हुकुम सिंह से कि आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने साथियों को मनाकर ले आइये, यह मेरी प्रार्थना है। अब बहस का मुद्दा नहीं है।

श्री हुकुम सिंह–

श्रीमन्, आपकी अनुमति से इतना कहना चाहता हूं कि सदैव यह परम्परा रही है।

(श्री जबदम्बिका पाल द्वारा बीच में बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पाल साहब, आप बैठें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे अनुमति दी। मैं सारे माहौल के बारे में बात कहना चाहता हूं। नेता सदन जी बोले। लेकिन किसी सदस्य को स्पष्टीकरण प्राप्त करना है तो यह परम्परा आज की नहीं है, यह बहुत पुरानी परम्परा है। किसी कारण से इनका नाम लिया गया था, इनका सन्दर्भ आया था, यह कुछ

स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते थे, अगर आप इन्हें मौका ही नहीं देगें तो फिर सदन की उपयोगिता क्या रह जायेगी ? यह व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने है। अगर कोई सदस्य अपना स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है कि नहीं ?

***श्री जगदम्बिका पाल–**

मान्यवर, हम लोग इनको धन्यवाद देना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष, उप नेता को कि यह नेता सदन की अपील पर कार्यवाही चलाने के लिये सौहाद्रपूर्ण ढंग से बैठे हुये हैं। मैं इनका साधुवाद करना चाहता हूं लेकिन माननीय अध्यक्ष जी इस सदन ने एक नई परम्परा देखी।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें।

माननीय हुकुम सिंह जी ने एक व्यवस्था का सवाल उठाया कि जब किसी माननीय सदस्य के बारे में कुछ कहा जाता है तो वह स्पष्टीकरण की बात करते हैं। आप तो खुद उपाध्यक्ष रहे हैं। लेकिन माननीय नेता सदन का कहना है कि इनके बारे में कोई आक्षेपात्मक बात नहीं कही गयी। यह सही है कि जब कोई आक्षेपात्मक बात होती है तो स्पष्टीकरण लेते हैं लेकिन जब कोई आक्षेपात्मक बात हुई ही नहीं तो स्पष्टीकरण का क्या सवाल?

श्री हुकुम सिंह–

मेरा प्रश्न यह है कि जब भी कोई सदन में वक्तव्य होता है, भाषण होता है कोई नेता बोलते हैं, मंत्री बोलते हैं तो हर सदस्य को यह अधिकार है।

श्री अध्यक्ष–

यहां तो माहौल ठीक करने की बात चल रही थी ?

(इसी मध्य श्री केशरी नाथ त्रिपाठी सदन में आ गये)

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी–

आप यहां क्यों बैठे हैं ? हमारी आवाज को दबाने की कोशिश इस तरह की जायेगी तो यह ठीक नहीं है। साडीकांड की धमकी न दी जाये, उसके लिये तो जो अदालत में होगा, वह हम निपटेंगे। इस तरह धमकी दिया जाना उचित नहीं है। हम लोग इस तरह से कार्यवाही में भाग नहीं लेगें।

(इसके बाद श्री केशरी नाथ त्रिपाठी के साथ नेता विरोधी दल ने भी सदन का त्याग किया)

(डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल भी सदन त्याग कर चले गये)

(सदन में इस समय विपक्ष की सभी सीटें खाली थीं।)

श्री जगदम्बिका पाल–

हम इस घटना की निन्दा करते हैं। नेता सदन ने अपील कर दी। इस सदन को चलाने के लिये अप्रिय घटना की सभी ने निन्दा की। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से एक वातावरण सौहार्द का बन गया,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुयीं, इस बीच नेता सदन ने गौर साहब की तारीफ भी कर दी और यह भी कहा कि माननीय सदस्य के लिये कोई आक्षेपात्मक टिप्पणी नहीं हुयी। नेता प्रतिपक्ष सदन में बैठे भी रहे, [xxx xxx xxx] मान्यवर, यह परम्परा रही है कि सदन से बहिर्गमन की घोषणा दल का नेता करता है। लेकिन पहली बार यह परम्परा हुयी। [xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

***श्री प्रमोद कुमार–**

अध्यक्ष जी, अरे ! आ जाइये न टण्डन जी। मान्यवर, आप अपील कर लीजिए। (नेता प्रतिपक्ष के लौटकर न आने पर) अध्यक्ष जी, इस सदन ने बहुत गौरवशाली क्षण भी देखे हैं और कुछ क्षण ऐसे भी देखे हैं, जो सदन के लिए अच्छे नहीं रहे हैं बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण रहे हैं। मान्यवर, मुझे परसों से ज्यादा दु:ख आज हो रहा है। परसों जो कुछ हुआ था, मान्यवर, नेता सदन के कह देने के बाद और नेता विरोधी दल के कह देने के बाद उस प्रकरण को समाप्त हो जाना चाहिए था। जो कुछ भी परसों हुआ, नेता सदन और नेता विरोधी दल ने सारी स्थितियों को स्पष्ट कर दिया, उसके बाद कुछ बचा नहीं था, लेकिन मैं समझता हूं कि यह बहुत ही दु:खद है, मैंने देखा है, मुझे बहुत बुरा लगा है। मान्यवर, कहीं न कहीं अगर सदन में गतिरोध उत्पन्न हो तो उसे निपटाने के लिए, सदन को चलाने के लिए हम सदन के अन्दर और बाहर भी बैठते हैं, मान्यवर, हम लोग आपके कक्ष में गये थे, एक परामर्श भी हुआ था और सदन को चलाने के लिए हम लोगों ने कुछ प्रयास भी किये थे। नेता सदन ने तो जो कुछ कहा था, वह कह दिया। मैं आपकी भी प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपने भरपूर प्रयास किया है सदन को चलाने का। मान्यवर, मैं पहली बार देख रहा हूं कि नेता विरोधी दल बेचारे बहुत बेबस हैं। मान्यवर मैंने एक चीज अभी देखी कि नेता विरोधी दल को जिस तरह से, मान्यवर [xxx xxx xxx xxx xxx xxx] मैं समझता हूं कि यह नेता प्रतिपक्ष का ही अपमान नहीं बल्कि सम्पूर्ण सदन का अपमान है और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मान्यवर, मैं तो इसके पीछे एक साजिश देख रहा हूं, शायद लोग यह चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद यह सदन शान्तिपूर्वक चल रहा है, मैंने सदन को ढाई दिन के अन्दर ही राज्यपाल के अभिभाषण समेत बजट को पारित होते हुए देखा है और अवशेष प्रस्ताव भी बिना चर्चा के अस्वीकार होते देखा है, लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि लगातार सदन चल रहा है, मैं नेता सदन और नेता विरोधी दल की प्रशंसा करूंगा कि इन दोनों लोगों के सहयोग से ही यद सदन चला है, इसलिए मुझे इसमें लगता है कि कुछ लोगों को यह बात पसन्द नहीं आ रही है, यह बात रास नहीं आ रही है, क्योंकि [xxx xxx xxx xxx] मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए सदन को चलाया है और इसके लिए सम्पूर्ण सदन बधाई का पात्र है। मान्यवर, क्या वैचारिक मतभेद जो किसी दल में हो, उनका प्रदर्शन इस सदन में होगा ? नेता प्रतिपक्ष को बलात्, मजबूर करके इस सदन से ले जाया गया। आज तक यह परम्परा रही है कि जब कोई भी सदन का बहिष्कार कर देता है तो वह तब तक वापस नहीं आता है, जब तक कि उस विषय का पटाक्षेप नहीं होता है, लेकिन आज उस विषय का पटाक्षेप नहीं हुआ और वह जिस तरह से आये, [xxx xxx xxx] मान्यवर, मैं ऐसे लोगों में हूँ, जो चाहते हैं कि सदन ज्यादा से ज्यादा चले, मैं इन सबके बावजूद अपील करूंगा भारतीय जनता पार्टी से भी और बहुजन समाज पार्टी से भी कि वह सदन में आयें। आज

नोट :-- [xxx] यह अंश दिनांक 22 मार्च, 2005 को औचित्य के प्रश्न की सूचना पर मा0 अध्यक्ष द्वारा दिए गये निर्णयानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

बहुत ही महत्वपूर्ण गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग के बजट पर चर्चा होनी है, क्या विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है ? क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि विपक्ष का सदन में विश्वास नहीं है ? उनको चाहिए था कि सदन के अन्दर आयें और सरकार की नीतियों पर जहां गलत हो, प्रहार करें। अगर आज वह अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं तो आप भी समय नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इसका समय निर्धारित है, तिथि निर्धारित है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। [xxx xxx xxx xxx] मैं अपील करता हूं कि सदन शांतिपूर्वक चले। जो भावनायें नेता विरोधी दल और नेता सदन ने रखी हैं उससे अपने को जोड़ते हुये सहमत हूं कि सदन चलना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

माननीय अध्यक्ष महोदय, फलों से लदी हुई डालियां झुक जाती हैं और उन्हें झुक जाना चाहिए। नेता सदन का जो आचरण आज सदन में रहा, जिस तरह से सदन को चलाने के लिए बार-बार निवेदन किया जो कड़ुवाहट 12 तारीख को इस सदन में हुई उसको भुला देने के जिए जिन शब्दों में अपील की, हम सबको उसकी कद्र करनी चाहिए थी। बीते दिनों की बहुत सी यादें करके, अपनी मिजाज में कड़ुवाहट पैदा करके कोई फायदा नहीं होगा। हमारे सामने बैठे विपक्ष के लोग जो कल सत्ता में थे और प्रदेश की सरकार चला रहे थे, मैं खुद उस कुर्सी पर बैठा हुआ था जहां नेता विरोधी दल बैठे हैं। हमें डेढ़ साल का जमाना याद है, उन सज्जन के बारे में भी अच्छी तरह से याद है जो उस कुर्सी पर बैठा करते थे, जहां आप बैठे हैं। नेता सदन ने पहली बार सत्ता में आने के बाद यह माहौल बनाया कि हर सदस्य के पास खुद जा करके नमस्ते किया, उन्हें मुबारकवाद दी, उनसे अपील की। हमें भी याद है कि जब पहले दिन इस सदन में आये नेता सदन ने आंखे मिलाना तो दूर की बात, नमस्ते करना तो दूर की बात, ऐसी निगाहों से देखा कि गोया निगाहें ही निगल जायेंगी। इस सदन में कहर का मंजर होता था, नफरत का माहौल होता था। [xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx] सत्ता आती और जाती रहती है। हमें सत्ता यूं ही नहीं मिल गई। माननीय नेता सदन मात्र इस सदन के नेता नहीं हैं। माननीय मुलायम सिंह मात्र इस सदन के नेता नहीं हैं, वह इस देश के नेता हैं। हम इस बात को फ्रख के साथ कहते हैं कि हम समाजवादी लोग एक ऐसे शख्स के साथ, उनके नेतृत्व में काम करते हैं जो इस सदन के नेता ही नहीं बल्कि इस देश के नेता हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे देश को कानून और लोकतंत्र के नाम पर, इंसानी दिलों को जोड़ने के नाम पर, अभूतपूर्व एतिहासिक काम किया है। जिसका नाम इसलिए नहीं याद किया जाता कि वह तीसरी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ है, जिसका नाम इसलिए नहीं याद कि वह हिन्दुस्तान की पल्टन का वजीर रहा है, जब पूरा हिन्दुस्तान नफरत की आग में जल रहा था उस वक्त जिस व्यक्ति ने अकेले समाज में खड़े होकर कहा कि मुझे भी इस आग में जल जाना पड़ेगा तो जल जाऊंगा, ऐसे व्यक्ति का नाम आने वाली सदियां याद रखेंगी। उस व्यक्ति की अपील पर भी, बार-बार कहने पर भी विपक्ष के लोग जिस अन्दाज में यहां से गये, अपने गुस्से का इजहार करके गये उससे यह साबित होता है कि यह लोग समाज में शान्ति, प्यार और अच्छे रिश्ते नहीं चाहते हैं। आपके कक्ष में वार्ता हुई थी, वहां जो तय हुआ था उस पर अमल करना चाहिए था। लेकिन जैसे हमारे नेता जी बराबर कहते हैं कि दोहरी जीभ वालों, दोहरी जबान वालों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। आज जो मंजर अभी थोड़ी देर पहले जिन लोगों ने पेश किया, आपके कक्ष में जो वायदा किया था, अपने वायदे से वह मुकर गये। मैं अपने जाती तौर पर और संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत

नोट :-- [xxx] यह अंश दिनांक 22 मार्च, 2005 को औचित्य के प्रश्न की सूचना पर मा0 अध्यक्ष के निर्णयानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

से यह गुजारिश करूंगा कि सदन की कार्यवाही को चलाया जाए और बाकी काम सुचारू रूप से चले।

श्री अध्यक्ष–

यह सही है, जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा अभी नेताओं की बैठक में माननीय नेता विरोधी दल, माननीय हुकुम सिंह माननीय नेता प्रमोद कुमार जी थे और उसमें काफी विचार-विमर्श हुआ था और एक रास्ता निकाला गया था। माननीय नेता विरोधी दल ने अपनी बात कही, मुख्य मंत्री जी ने अपनी बात कही, लेकिन जो वादा वहां पर किया गया था उसको निभाया नहीं गया मुझे इस बात का काफी कष्ट है। जो वहां तय हुआ उसको नही माना गया यह आचरण बहुत अच्छा नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

यह सदन इस बात का गवाह है, पूरी तरह से गवाह है कि इन लोगों ने जिस तरह से सरकार चलाई, दहशत से सरकार चलाई अपमान से चलाई, वह आप सभी जानते हैं। हमारी संख्या उस समय सत्ता में बैठे हुए लोगों से ज्यादा थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जिस तरह से नौ-नौ साल के दो बच्चे एक बालिग नौजवान नहीं बन सकते उसी तरह से दो छोटे-छोटे दल मिलकर एक बड़ा दल नहीं बन सकते हैं। उसके बावजूद पूरी ताकत होने के बावजूद हमने एक बार भी इस सदन में जज्बात का मुजाहिरा नहीं किया। आप साक्षी हैं किस तरह से बजट पास होते थे ? आप साक्षी हैं किस तरह से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास होता था। किस तरह से नेता सदन ने पूरे सदन का अपमान किया है ? जनता का अपमान किया है। कभी विपक्ष में हम भी रहे हैं हमारा किस तरह से अपमान हुआ है मैं आपके जमाने की बात नहीं कर रहा हूं आपने तो रवायतों को बहाल किया है। आप नेता विरोधी दल के घर गए हैं, आपने बार-बार टेलीफोन किया है आपने बार-बार मामले को सुलझाया है आपने खाने पर इंतजार किया है हर सत्र के पहले नेता जी ने उस वक्त तक खाना शुरू नहीं किया जब तक नेता विरोधी दल नहीं आ गए आपने इसके लिए बार-बार टेलीफोन किया और बुला नहीं लिया उस वक्त तक खाना शुरू नहीं किया। यह सम्मान आपने नेता विरोधी दल को दिया है। यह सम्मान कि नेता सदन नेता विरोधी दल का इन्तजार करे यह सम्मान कि नेता सदन उस वक्त तक भोजन न करे जब तक नेता विरोधी दल आ न जाये और एक वह समय था कि नेता विरोधी दल को नेता सदन टेलीफोन करना तो दूर उसके पी0ए0, पी0एस0 तक को सूचना न दे इस तरह का आचरण हमारे साथ हुआ है। वह रवायत हमने देखी है। उसके बाद इस तरह के आचरण को बर्दाश्त करना जिगर की बात थी। मेरे ख्याल से वहां पर बैठे हुए लोग अपने पुराने आचरण को भुला नहीं पाए हैं, उस तरह की जिन्दगी को भुला नहीं पाए हैं इसलिए यह सब देखने को मिल रहा है। एस0एस0पी0 कानपुर के प्रकरण में क्या हुआ लिखित माफी मांगने के बाद भी एक तरफ तो कहते हैं कि हम अखबारों का संज्ञान नहीं लेंगें दूसरी तरफ अपनी बात को मनवाने के लिए समाचार पत्रों का संज्ञान लिया और इस हद तक संज्ञान लिया गया कि न सिर्फ उसे हटाया गया बल्कि ऐसी जगह भेजा गया है जहां भेजना इतनी बड़ी सजा है जितनी बड़ी सजा इतने बड़े अधिकारी के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती है। आप क्या मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे मेरे ख्याल से आपकी उदारता ज्यादा है कभी-कभी ज्यादा उदारता अच्छी नहीं होती है। माफ करें हमारा तजुर्बा है कि माननीय नेता सदन की उदारता ज्यादा हुई है। इसी के कारण वहां पर आपके साथ विश्वासघात हुआ है। आपके साथ धोखा हुआ है और आपका अपमान किया है।

श्री जगदम्बिका पाल–

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा अभी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी जो कह रहे थे मैं उससे सहमत हूं। सदन चलाने का दायित्व किसका है यह पूरा सदन इस बात का गवाह है कि नेता प्रतिपक्ष वहां पर बैठे थे और उनकी पार्टी के कुछ सदस्य चले गए थे कुछ सदस्य बैठे थे तो जाने के बाद दुबारा आकर [xxx xxx xxx xxx xxx] यह सदन की एक नई परम्परा होगी। इस सदन में चाहे नेता सदन हों, संसदीय कार्यमंत्री जी हों या हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी होती है।

श्री अध्यक्ष–

अब बैठ जाएं।

श्री जगदम्बिका पाल–

नेता प्रतिपक्ष के ऊपर दबाव डालकर जिस तरह से सदन से बाहर ले जाया गया है यह सदन में एक नई परम्परा हुई है। स्वाभाविक है कि इस तरह के आचरण की हम सब निन्दा करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों को लेते हैं।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के महानगरों मे दिल्ली की भांति सी0एन0जी0 बसें चलाये जाने पर विचार

****1-श्री कौशल किशोर–**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के महानगरों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने हेतु दिल्ली महानगर की भांति सी0 एन0 जी0 बसें चलाने पर विचार कर रही है ? यदि हां तो इसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

जी हां।

प्रथम चरण में प्रदेश के प्रमुख चार महानगरों- लखनऊ, कानपुर, आगरा व बरेली में बसों, टैम्पो टैक्सियों को सी0 एन0 जी0 में परिवर्तित कर संचालन कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके सफल होने पर शेष अन्य नगरों में इसे लागू करने की कार्यवाही की जायेगी?

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कौशल किशोर–

मान्यवर, दिल्ली में गैस से चलने वाली बसें, टैम्पो सफलतापूर्वक चल रही हैं और कई सालों से चल रही हैं। मैंने जो प्रश्न किया था उसमें माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि प्रथम चरण में प्रदेश

नोट :--[xxx] यह अंश दिनांक 22 मार्च, 2005 को औचित्य के प्रश्न की सूचना पर मा0 अध्यक्ष के निर्णयानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

के प्रमुख चार महानगरों लखनऊ, कानपुर, आगरा व बरेली में बसों टैम्पों टैक्सियों को सी0 एन0 जी0 में परिवर्तित कर संचालन कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, मेरा एक सवाल यह है कि जब दिल्ली में सफलतापूर्वक चलाई जा रही है तो पूरे प्रदेश में भी चलाई जायेंगी ? जिन शहरों को इंगित किया गया है उन शहरों में क्या 2005 में सी0 एन0 जी0 से बस, टैम्पो और टैक्सियों को चलाना शुरू कर दिया जायेगा। दूसरा सवाल मेरा यह है कि बाकी जो उत्तर प्रदेश के महानगर बचे हैं उनमें कब से सी0 एन0 जी0 गैस पर आधारित बस, टैक्सी और टैम्पो चलाने का काम शुरू किया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, यह सही है कि प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिये सी0 एन0 जी0 पर आधारित वैहिकल चलाया जाना आवश्यक है और इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने गैस एथारिटी आफ इंडिया से अनुरोध किया है कि जिस तरह से गैस की हमको रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हमको गैस उपलब्ध करा दें तो पहले तो हम जो कामर्शियल वैहिकल्स हैं उनको चलायेंगे। गैस एथारिटी आफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार को आश्वासन दिया है कि 31 अगस्त 2005 तक इन 4 महानगरों में हम गैस उपलब्ध करा देंगें क्योंकि प्रतिदिन इन 4 महानगरों में 57500 किलो गैस की आवश्यकता है। गैस की उपलब्धता के आधार पर पूरे प्रदेश में इसे लागू करने पर विचार किया जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि राज्य सरकार इस बात से चिन्तित है कि उत्तर प्रदेश को प्रदूषण से किस तरह से मुक्ति दिलाई जाय और उस दिशा में कार्य कर रही है और उसी के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि सी0 एन0 जी0 के बस टैम्पों और टैक्सियां चलाई जायेंगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था कि अमुक तारीख तक दिल्ली में सभी गाड़ियों को सी0 एन0 जी0 की वैहिकल्स में परिवर्तित कर दिया जायेगा। क्या उस फैसले में उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में भी कोई निर्देश दिया गया था ? दूसरी बात यह कि इन चार महानगरों के अलावा भी अन्य महानगरों के लिये भी सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है। केवल चार महानगरों में गैस उपलब्ध कराकर गैस पर आधारित गाड़ियां चलायेंगे, पूरे प्रदेश को इन चार महानगरों में सी0एन0जी0 की गाड़ियां चलाकर नजात नहीं दिलाई जा सकती है। पूरे प्रदेश के लिये क्या कार्य योजना है भविष्य में गाड़ियों को सी0 एन0 जी0 में परिवर्तित करने की ? उसका क्या प्रारूप है, मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला चार महानगरों में सी0 एन0 जी0 पर आधारित कामर्शियल वैहिकल्स चलाने के लिये दिया है। हमने अपनी कार्य योजना पॉल्यूशन विभाग को दे दी है और गैस एथारिटी आफ इंडिया को उसमें नोडल एजेन्ट बनाया है और कहा है कि जितनी गैस उपलब्ध करायेंगें उस हिसाब से काम होता जायेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन चार महानगरों के लिये था। इनकी कार्य योजना दाखिल कर दी है और शेष की योजना बना रहे हैं। पाल जी भी जानते हैं कि गैस नहीं मिलेगी तो चलायेंगें कैसे ? गाजियाबाद में मिलेगी तो दिल्ली तक चलायेंगें और हमको बहुत सी निजी क्षेत्र की बसों को बन्द करने के लिये गैस आधारित बसें चलाना शुरू करना पड़ेगा। हम यह कार्य योजना पूरी बना रहे हैं लेकिन उपलब्धता के आधार पर इसको लागू किया ज़ाएगा। सरकार चाहती है कि पूरा प्रदूषणमुक्त हो।

श्री जगदम्बिका पाल–

राज्य सरकार ने असमर्थता दिखाई है कि गैस उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय लिया गाड़ियों को चार महानगर में चलवाने का निर्देश दिया। स्पष्ट रूप से टाइम बाउन्ड किया और कहा कि समुचित गैस उपलब्ध कराई जाए। तो क्या राज्य सरकार इन चार महानगरों में भारत सरकार से गैस उपलब्ध कराने को कहेगी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

परिवहन विभाग द्वारा सूचित कर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय को सूचित कर दिया जाए। उसके आधार पर गैस आथोरिटी इंडिया लिमिटेड ने 31 अगस्त 2005 तक गैस देने की बात कही है उसके बाद हम इसको लागू करेंगे।

श्री कौशल किशोर–

सी0 एन0 जी0 गैस इस वर्ष उपलब्ध होने की जहां तक बात है इसमें जानना चाहूंगा कि इसी वर्ष में सी0 एन0 जी0 गैस से गाड़ियां चलाना निर्धारित किया जाएगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सर्वोच्च न्यायालय को सूचित कर दिया गया है गैस ऑथोरिटी इंडिया लिमिटेड ने 31 अगस्त 2005 तक गैस उपलब्ध कराने की बात कही है उसके बाद गैस पर आधारित वेहिकिल्स चलेंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उ0 प्र0 सीमान्तर्गत रेल यात्रियों के साथ यात्रा में लूटपाट, डकैती आदि घटनाओं की वृद्धि पर अंकुश लगाये जाने हेतु कार्य योजना

***1-श्री श्यामदेव राय चौधरी–**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश की सीमान्तर्गत रेल यात्रियों के साथ यात्रा में लूटपाट, डकैती आदि अपराधिक घटनाओं में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाने हेतु क्या प्रदेश सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (मुलायम सिंह यादव)–

जी हां।

कार्ययोजना के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है :--

(1) राजकीय रेलवे पुलिस उ0 प्र0 के अधिक्षेत्र में अपराधों से प्रभावित ट्रेनों में डीक्वाय स्कीम लागू की गयी है, जिसमें सादे वस्त्रों में पर्याप्त पुलिस बल लगाकर ट्रेनों के अन्दर गुप्त तरीके से अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है।

(2) ट्रेन एस्कोर्ट को और अधिक सक्रिय किया गया है और ऐसी ट्रेनें जिनमें घटनायें हुयी है उन्हें चिन्हित कर उनमें विशेष पुलिस दल की व्यवस्था की गयी है।

(3) पूरे उ0 प्र0 की जी0 आर0 पी0 को सिंगल, फ्रिक्वेन्सी पर कर दिया गया है, जिससे ट्रेन में चलने वाले पुलिस एस्कोर्ट रास्ते में पड़ने वाले किसी भी थाने पुलिस चौकी एवं जिला कंट्रोल रूम से सम्पर्क कर सकते हैं और समय पर सूचना का आदान प्रदान करके अपराधों की रोकथाम में सहायता मिलती है। राजकीय रेलवे पुलिस के समस्त थाना/चौकियों में वायरलेस सेट एवं हैण्डसेट दे दिये गये हैं।

(4) लखनऊ रेलवे स्टेशन पर सी0सी0टी0वी0 लगा दिया गया है, जिसके कारण अपराधों के रोकथाम में सहायता मिल रही है।

(5) पूर्व प्रकाश में आये अपराधियों की फोटो एलबम तैयार कर जी0आर0पी0 मुख्यालय, परिक्षेत्र, अनुभाग व थाना एवं चौकियों पर रखा गया है, जिसे पीड़ित व्यक्ति को दिखाया जाता है और पहचानने पर विधिक कार्यवाही की जाती है।

(6) अपराधों की रोकथाम हेतु जी0आर0पी/आर0पी0एफ0/रेलवे प्रशासन एवं जनपदीय पुलिस के मध्य परस्पर सहयोग एवं समन्वय स्थापित रखते हुए स्टेशन परिसर एवं ट्रेनों में सघन चेकिंग करायी जाती है।

(7) प्रभावित रेल खण्डों एवं ट्रेनों पर अपराधों से यात्रियों को सतर्क करने हेतु पोस्टर/स्टीकर चस्पा कराये गये हैं।

(8) रेलवे स्टेशन व ट्रेनों के अन्दर तथा सरकुलेटिंग एरिया में लाउड हैलर/ध्वनि प्रसारण यंत्रों द्वारा यात्रियों को जहरखुरानी के अपराधों से बचने के लिए निरन्तर सतर्क रखने हेतु प्रसारण कराया जा रहा है।
उपर्युक्त से स्पष्ट है।

प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किये जाने हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों की जानकारी

***2-डा0 अजय कुमार–**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश सरकार पर केन्द्र सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की देनदारियां उसकी आय की अपेक्षा लगातार बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)–

जी हां।

जी हां, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किये जाने हेतु सरकार द्वारा उपाय किये जा रहे हैं, जो निम्नवत् है :--

(क) वर्ष 1998-99 में भावी सुधार कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि हेतु वित्तीय स्थिति पर श्वेत-पत्र जारी किया गया।

(ख) वर्ष 1999 में वित्तीय सुधार कार्यक्रमों को निरूपित किये जाने हेतु, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षरित किया गया।

(ग) वर्ष 2000-01 में "मध्य कालीन वित्तीय सुधार नीति पत्रक" विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(घ) वर्ष 2004 में, प्रदेश सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम-2004" पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य, सरकार को कठोर वित्तीय अनुशासन में बांधना, सरकार के मार्गदर्शन के लिये राजकोषीय प्रबन्ध के सिद्धान्तों को निर्धारित करना एवं वित्तीय कार्यकलापों में पारदर्शिता लाना आदि है।

(ङ) उक्त अधिनियम के अनुसार, अब प्रत्येक वर्ष आय-व्ययक के साथ "मध्यकालीन वित्तीय सुधार नीति" सदन के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(च) अन्य तत्संबंधी प्रयासों के अंतर्गत, राजस्व में वृद्धि का सुझाव दिये जाने हेतु मा0 मंत्रि परिषद् की उप-समिति का गठन तथा करों के अभिनवीकरण एवं वित्तीय प्रशासन संबंधी मामलों की देखभाल हेतु एक राज्य मंत्री स्तर के वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति सम्मिलित है।

(छ) राजस्व व्यय में कमी लाये जाने हेतु, मितव्ययिता संबंधी आदेशों को कठोरता से लागू किया गया है तथा संसाधनों में वृद्धि के दीर्घकालिक उपायों एवं लोक व्यय में समग्र कमी लाये जाने के उद्देश्य से "संसाधन एवं व्यय आयोग" का भी गठन किया गया है।

(ज) भारत सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की देनदारियों को कम करने के लिये राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की ऋण अदला बदली योजना में प्रतिभाग किया गया।

उपरोक्त वित्तीय सुधारात्मक उपायों के फलस्वरूप ही, राजस्व घाटा व राजकोषीय घाटा जो वर्ष 1999-2000 में क्रमशः 7252.61 करोड़ तथा 11098.73 करोड़ था घटकर वर्ष 2002-03 में रू0 5117.32 करोड़ एवं 9496.90 करोड़ रह गया है तथा ऋण ग्रस्तता में जो वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2001-02 में 14.08 प्रतिशत थी, घट कर वर्ष 2002-03 में 9.84 प्रतिशत रह गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

डा0 अजय कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, काफी लम्बे अर्से से प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदहाल है और यह हम सभी को पता है। हमें खुशी है कि माननीय नेता सदन, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इससे उबरने के लिए सार्थक और गम्भीर प्रयास जारी हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2003-2004 में भारत सरकार की कितनी देनदारियां बाकी थी और दूसरा सवाल है कि वर्ष 2003-2004 में राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा कितना रहा और इस वर्ष ऋणग्रस्तता का प्रतिशत क्या है ?

श्री शाहिद मंजूर–

अध्यक्ष महोदय, जहां तक देनदारियों का सवाल है, यह मूल प्रश्न से हटकर है। माननीय सदस्य को इसके सम्बन्ध में अवगत करा दिया जायेगा और जहां तक राजकोषीय देनदारियों की बात है, वह जवाब में स्पष्ट है, पढ़ कर देख लें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि वर्ष 2004 में प्रदेश सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम-2004 पारित किया गया है तो यह सरकार की प्रतिबद्धता है और सरकार इससे चिन्तित है कि राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है तो उस हेतु कुछ उपाय करने के लिए सरकार एक विधेयक लेकर आयी है। मैं जानना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम-2004 पारित हो गया है और इसके पारित करने के बाद जो इसका उद्देश्य था कि कठोर वित्तीय प्रबन्ध लागू करेंगे? मान्यवर, पिछले वित्तीय वर्ष में, एक वर्ष में 75 हजार करोड़ से बढ़कर 90 हजार करोड़ रूपये का घाटा हो गया है, आज उत्तर प्रदेश में जो केन्द्र सरकार की देनदारियां हैं, अभी मंत्री जी कह रहे थे, कि यह मूल प्रश्न से नहीं जुड़ा है, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि आज केन्द्र सरकार या अन्य वित्तीय संस्थाओं पर प्रदेश सरकार की लगभग 90 हजार करोड़ की देनदारियां हैं इस प्रकार 25 से 30 हजार करोड़ रूपये प्रति वर्ष हमारे ऊपर ऋण बढ़ा है। इस अधिनियम को पारित करने के बाद, जो इसमें कठोर वित्तीय अनुशासन की बात की गयी है, उसमें क्या उपाय आपने किए हैं और उसके परिणाम क्या आए हैं ?

श्री शाहिद मंजूर–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, पूरा प्रदेश गवाह है कि हमारी सरकार के आने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद, हमने वित्तीय संसाधनों को सुधारने के लिए जितने प्रयास किए हैं उसका परिणाम है कि आज हमारे वित्तीय संसाधन बढ़े हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्न प्रहर समाप्त हुआ।

जलीय, ताप एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु कार्यवाही की जानकारी

***3-श्री उज्जवल रमण सिंह–**

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जलीय, ताप एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु क्या सरकार कोई विस्तृत कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उसे कब से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण मंत्री (श्री राम प्यारे सिंह)–

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जलीय, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं

नोटः-- नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उद्योगों एवं अन्य संस्थाओं से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समय-समय पर प्राप्त एक्शन प्लान के अनुपालन में निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :--

(1) उद्योगों से हो रहे जल तथा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु 17 श्रेणी के अति प्रदूषणकारी उद्योगों को चिन्हित कर प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके अन्तर्गत चिन्हित 276 उद्योगों में से 219 उद्योगों ने प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर ली है, तथा 57 उद्योग बन्द हैं।

(2) प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों में जल प्रदूषण की रोकथाम करने के परिप्रेक्ष्य में नदियों/तालाबों आदि में उत्प्रवाह निस्तारण करने वाले 420 अतिप्रदूषणकारी उद्योगों को चिन्हित किया गया है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली 13 प्रमुख नदियों (गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, हिण्डन, सरयू, काली, ईस्ट काली, घाघरा, राप्ती, सई, शारदा एवं रिहन्द) एवं विभिन्न तालाबों में अपना उत्प्रवाह निस्तारित करते हैं तथा इनमें समुचित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित कराने के प्रयास किये गये हैं। इन 420 उद्योगों में से 85 उद्योग बन्द हैं, शेष सभी कार्यरत 335 उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हो चुके हैं।

(3) प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों में जलीय/वायु/ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में चार्टर आन कार्पोरेट रिसपाँसबिल्टी फॉर इन्वायरमेन्टल प्रोटेक्शन नामक गाइड लाइन्स प्रख्यापित की गयी है, जिसमें दिये गये समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उद्योगों से अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान में प्रथम चरण में लखनऊ, कानपुर की परिवेशीय वायु गुणता के सुधार हेतु एक कार्ययोजना तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित की गई है। द्वितीय चरण में आगरा एवं वाराणसी हेतु कार्ययोजना तैयार कर मण्डलायुक्त को अन्तिम रूप देने हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्राविधान किये गये हैं तथा उक्त के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से परिवहन विभाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से टीम बनाकर वाहनों की जांच की जाती है। ऐसे वाहन, जिनका ध्वनि स्तर मानकों से अधिक पाया जाता है उनके विरूद्ध नियमानुसार चालान किया जाता है। वर्ष 2004-2005 में माह जनवरी, 2005 तक ध्वनि प्रदूषण के अभियोग में 23,902 वाहनों के चालान किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में डा0 राम मनोहर लोहिया की स्मृति में योजना चलाये जाने सम्बन्धी जानकारी

***1-श्री सुरेश कुमार खन्ना–**

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में डा0 राम मनोहर लोहिया की

स्मृति में कोई विशेष योजना चलाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कोई विशेष योजना विचाराधीन नहीं है, किन्तु लखनऊ में डा0 राम मनोहर लोहिया राजकीय विधि संस्थान, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लोहिया पार्क का निर्माण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय को एस0जी0पी0जी0आई0 के सेटेलाइट संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व से ही मण्डी परिषद् द्वारा लोहिया ग्राम योजना तथा हिन्दी संस्थान द्वारा डा0 लोहिया की स्मृति में पुरस्कार दिये जाने की योजना संचालित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों से आयातित धातुओं के कबाड़ में विस्फोटक सामग्री बरामद होने वाले जिलों की जानकारी तथा इसके रोकथाम हेतु उपाय

***2-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–**

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर-अक्टूबर, 2004 में प्रदेश में विदेशों से आयातित धातुओं के कबाड़ में विस्फोटक सामग्री किन-किन जिलों में मिली है ? क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई उपाय कर रही है। यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

माह सितम्बर-अक्टूबर, 2004 में विदेशों से आयतित धातुओं के कबाड़ में विस्फोटक सामग्री प्रदेश के जनपद गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, बागपत, मेरठ, अलीगढ़ व हमीरपुर में बरामद हुई है, जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जी नहीं। कबाड़ (स्क्रैप) के आयात संबंधी कार्यों के नियंत्रण की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। फिर भी जनपदीय पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में सतर्क कर दिया गया है।

प्रदेश में लापता पाकिस्तानी नागरिकों को खोजने एवं देश से बाहर भेजने हेतु प्रदेश स्तर पर की जा रही कार्यवाही की जानकारी

***3-श्री श्याम देव राय चौधरी–**

क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में है कि सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिक वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी वर्षों से उत्तर प्रदेश में लापता हैं और लौट कर वापस पाकिस्तान नहीं गये ? क्या सभी लापता पाकिस्तानियों को खोजने एवं प्रदेश से बाहर भेजने हेतु सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

सभी लापता पाकिस्तानियों को खोजने एवं देश से बाहर भेजने हेतु प्रदेश स्तर से एक विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत जनपद-स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा नामित अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभावी अभियान, अनुश्रवण व मासिक समीक्षा की जाती है। जनपदों से प्राप्त मासिक व त्रैमासिक आख्याओं की समीक्षा अभिसूचना मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश तथा शासन स्तर पर की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

माननीय मंत्रियों/राज्यमंत्रियों पर जेब खर्च वेतन एवं भत्तों के रूप में व्यय

***4-डा0 सुशील चौधरी–**

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मंत्रियों तथा मा0 राज्य मंत्रियों पर प्रतिमाह कुल कितना रूपया जेब खर्च, वेतन एवं भत्तों के रूप में व्यय किया जा रहा है ? क्या प्रदेश की जर्जर आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार उक्त खर्चों में कटौती करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मा0 मंत्रियों/राज्य मंत्रियों पर जेबखर्च, वेतन एवं भत्तों पर औसत रूपया 22,52,269.00 प्रतिमाह व्यय किया जा रहा है, जिसके सन्दर्भ में बजट में यथोचित प्राविधान किये गये हैं। वर्तमान में जेबखर्च, वेतन एवं भत्तों में किसी प्रकार की कटौती किये जाने का कोई प्रकरण सरकार के विचाराधीन नहीं है। इस सम्बन्ध में पूर्व से ही शासन की मितव्ययता नीति के अनुसार कार्यवाही की गई है।

गंगा यमुना व हिन्डन नदी के प्रदूषित जल को प्रदूषण मुक्त करने सम्बन्धी उपाय

***5-डा0 अजय कुमार–**

क्या सरकार को जानकारी है कि गंगा, यमुना व हिन्डन नदियों का जल प्रदूषित हो गया है ? यदि हां, तो इन नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्यारे सिंह–

जी हां। गंगा, यमुना व हिन्डन नदियों का जल कुछ स्थानों पर मानकों के अनुरूप नहीं है। नदियों के प्रदूषण का मुख्य कारण शहरी मल-जल का निस्तारण, औद्योगिक उत्प्रवाह, कृषि कार्य में काम आने वाले कीटनाशक तथा खाद का बहाव, नदियों में जल प्रवाह का कम होना व अन्य राज्यों से प्रदूषित जल प्राप्त होना है। घरेलू मल-जल से हो रहे प्रदूषण को कम करने हेतु गंगा एक्शन प्लान एवम् यमुना एक्शन प्लान के अन्तर्गत कुछ नगरों में जल निगम द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाये गये हैं। औद्योगिक उत्प्रवाह से नदियों के जल को प्रदूषण से रोकने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न श्रेणी की जल प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों में उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की समुचित व्यवस्था कराई जाती है तथा इन औद्योगिक इकाईयों द्वारा जनित उत्प्रवाह की जांच बोर्ड की प्रयोगशालाओं में की जाती है। जांच रिपोर्ट मानकों के अनुरूप पाये जाने पर ही इन उद्योगों को चलाये जाने हेतु सहमति देने पर विचार किया जाता है। जांच रिपोर्ट मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर

उद्योग के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 420 अतिप्रदूषणकारी उद्योगों (ऐसे उद्योग जिनके उत्प्रवाह से बी0ओ0डी0 लोड 100 किग्रा0/दिन या अधिक है अथवा टाक्सिक उत्प्रवाह है) को चिन्हित किया गया है, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों, जिसमें गंगा, यमुना तथा हिण्डन भी शामिल है, अपना उत्प्रवाह निस्तारित करते हैं। इन 420 उद्योगों में से 85 उद्योग बन्द हैं तथा शेष कार्यरत 335 उद्योगों में औद्योगिक उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान सुविधायें एवं वेतन दिलाये जाने की मांग

***6-श्री राम करन आर्य–**

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति अन्य सुविधायें एवं वेतनमान देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समकक्ष पदों से समकक्षता के आधार पर दिनांक 1-1-1986 से वेतनमान प्रदान किये जा चुके हैं। अन्य सुविधायें के बारे में केन्द्र सरकार से समकक्षता नहीं रही है।

प्रदेश में समग्र ग्राम-विकास योजनान्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण

***7-श्री राम इकबाल सिंह–**

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समग्र ग्राम विकास योजना में ग्रामों का विद्युतीकरण करने की सरकार की भी कोई नीति है ? यदि नहीं, तो उक्त योजना में विद्युतीकरण को भी सम्मिलित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गोरखपुर में मलमूत्र निकासी हेतु योजना की जानकारी

***8-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–**

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में मलमूत्र के निकासी हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉं)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर में मलमूत्र के निकासी हेतु नगर निगम, गोरखपुर द्वारा कोई कार्य योजना शासन में प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि 74वें संविधान संशोधन के पश्चात नागर स्थानीय निकाय संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित है। जिनके द्वारा अपने अनिवार्य कर्तव्यों का निर्वहन स्वयं किया जाता है। अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पारस्परिक प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए इनका संचालन निगम द्वारा राज्य सरकार से, राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप, प्राप्त धनराशि तथा अपने संसाधनों व स्रोतों से प्राप्त धनराशि से किया जाता है। नागर स्थानीय निकायों के दायित्वों व कर्तव्यों के क्षेत्रों में राज्य सरकार की सीमित भूमिका है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भूमिगत जलश्रोतों के खोज के लिये भू-जल अन्वेषण प्रखण्ड की स्थापना तथा सर्वेक्षण

***9-श्री प्रदीप जैन आदित्य–**

क्या मुख्यमंत्री को ज्ञात है कि बुन्देलखण्ड के जल संकट को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बुन्देलखण्ड में भूमि गत जल श्रोतों की वैज्ञानिक तकनीक से जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्ष 1983 में रिमोट सेंन्सिग एप्लीकेशन सेन्टर उत्तर प्रदेश के कार्यालय को भू-जल अन्वेषण हेतु स्थापित किया गया था ? क्या यह सही है कि इस कार्यालय में मात्र एक टीम को छोड़कर अन्य टीमें मुख्यालय लखनऊ जनपद में स्थानान्तरित कर दी गयी हैं ? क्या वर्तमान में कार्यरत वैज्ञानिक टीम को भी लखनऊ मुख्यालय में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बुन्देलखण्ड में भू-जल सर्वेक्षण कार्य को सूचारू रूप से संचालित कराने के लिये वर्तमान टीम को झांसी में ही रूकवाने तथा एक और टीम उपलब्ध कराने के लिये कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ एक स्वायत्तशासी संस्था है। जिसके समस्त निर्णय सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा दिये जाते हैं। केन्द्र द्वारा अपनी स्थापना के बाद से ही वर्ष 1983 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भूमिगत जलश्रोतों के खोज के लिए भू-जल अन्वेषण प्रखण्ड की स्थापना की गयी थी। वर्ष 1983 से वर्ष 1996 तक केन्द्र के झांसी स्थित भ-ूजल अन्वेषण प्रखण्ड

द्वारा 8285 स्थलों पर सर्वेक्षण का कार्य किया गया। जिनमें से 4568 भू-जल उपयुक्त स्थलों पर छिद्रण हेतु उपयुक्त पाया गया। उपयोगकर्ता विभागों द्वारा उक्त 4568 उपयुक्त पाये गये स्थलों में से केवल 1768 स्थलों पर ही छिद्रण का कार्य किया गया। वर्ष 1996 तक 2800 उपयुक्त पाये गये स्थल छिद्रण के लिए अवशेष थे। चूंकि झांसी प्रखण्ड द्वारा बुल्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वेक्षण का कार्य लगभग सम्पूर्ण कर लिया गया था, अत: सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा 9 नवम्बर, 2004 की बैठक में आइटम संख्या-18 (घ) में यह निर्णय लिया गया है कि झांसी में केंद्र के एक प्रखण्ड की स्थापना न तो वर्तमान में तकनीकी दृष्टि से और न ही वित्तीय दृष्टि से कोई औचित्य है।

अत: झांसी स्थित वैज्ञानिक टीम तथा सम्पूर्ण कार्यालय को लखनऊ मुख्यालय स्थानान्तरित कर दिया जाय।

जी हां। कार्य पूर्ण हो जाने तथा छिद्रण हेतु विभागों के पास पर्याप्त स्थल उपलब्ध होने के कारण किसी भी टीम का उपलब्ध रहना आवश्यक नहीं है।

झांसी स्थित कार्यालय पर सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र का वार्षिक व्यय लगभग 10 लाख प्रतिवर्ष आ रहा है। विगत दो वर्षों में कार्यालय द्वारा क्रमश: 2.14 लाख तथा 3.43 लाख रूपये की धनराशि अर्जित की गयी। कार्यरत स्टाफ पर अनावश्यक व्यय भार रोकने के लिए तथा उपयुक्तता को देखते हुए कार्यकारिणी की बैठक में टीम को वापस बुलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में टीम को झांसी में रूकवाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा नगर के गिरते जल स्तर के निवारण हेतु योजना

***10-श्री बाबूलाल कुशवाहा–**

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा नगर में लगातार नीचे खिसकते जा रहे भू-गर्भीय जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुए बांदा नगर के नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्य योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

74वें संविधान संशोधन के उपरान्त शासन द्वारा पेयजल एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के लिए निकायों को अनुदान दिये जाने की व्यवस्था समाप्त हो गयी है। इसका दायित्व संबंधित स्थानीय निकाय नगर पालिका परिषद्, बांदा का है। संबंधित निकाय अपने संसाधनों एवं धनराशि की उपलब्धता के आधार पर अपने क्षेत्र में अवस्थापना सुविधायें विकसित करते हैं।

प्रदेश में "त्वरित आर्थिक विकास योजना" के अन्तर्गत आवंटित धनराशि

***11-श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज)–**

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के समग्र विकास के लिए "त्वरित आर्थिक विकास योजना" को आरम्भ किया गया है ? यदि हां, तो उक्त योजना में कितनी धनराशि आवंटित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं। यह योजना राज्य स्तरीय है।

योजना में जिला/क्षेत्रवार आवंटन का प्राविधान नहीं है।

त्वरित आर्थिक विकास योजना में वर्ष 2004-05 के लिए रू0 200 करोड़ की बजट व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत रू0 199.67 करोड़ स्वीकृत किये जा चुके हैं।

प्रदेश में राजीव गांधी पेयजल योजना अन्तर्गत लगाये गये डण्डिया मार्का हैण्ड पम्प

***12-श्री जगदीश नारायण राय–**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में राजीव गांधी पेयजल योजना के अन्तर्गत इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये जाने हेतु वर्ष 2004-2005 में जिलांश से अवमुक्त धनराशि से हैण्ड पम्प लगाये जाने हेतु क्या जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लिये जाने की व्यवस्था की गयी है ? क्या इस हेतु कोई निर्देश शासन द्वारा जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजपाल त्यागी)–

वर्तमान में प्रदेश में राजीव गांधी पेयजल योजना नाम की कोई पेयजल योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पालीथीन बैग्स के उत्पादन पर रोक लगाये जाने की योजना

***13-श्री बादशाह सिंह–**

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि "पालीथीन बैग्स" के प्रयोग से वर्तमान में प्रदेश के नगरों की सफाई व्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है? इसके दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने हेतु क्या सरकार "पालीथीन-बैग्स" के उत्पादन पर रोक लगाये जाने हेतु कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी हां।

जी हां।

उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 प्रख्यापित किया गया है जिसकी धारा-7 में यह प्राविधान किया गया है कि पुन: चक्रित प्लास्टिक का उपयोग खाद्य सामग्री के भंडारण अथवा उसे ले जाने या पैकिंग में नहीं किया जायेगा और यदि मोटाई 20 माईक्रान से कम हो तो किसी भी प्रयोजन के लिये उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।

अधिसूचना सं0-3498/9-7-2001-111रिट/98, दि0 12-7-01 द्वारा उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-29 सन् 2000) की धारा-12 द्वारा निहित शक्तियों के प्रयोग हेतु दण्डनीय अपराधों के प्रशमन के लिये नागर स्थानीय निकाय के सक्षम अधिकारियों को अपने-अपने स्थानीय निकाय अधिकार क्षेत्र में अधिकारिता के प्रयोग हेतु अधिसूचित किया गया है।

शासनादेश संख्या-155/9-7-03-111रिट/1998, दिनांक 28-01-03 द्वारा प्रदेश के समस्त नागर स्थानीय निकायों के सक्षम अधिकारियों को अपने-अपने अधिकारिता में नियम के प्रतिकूल हो रहे कैरी बैग्स/सफाई व्यवस्था पर पड़ रहे कुप्रभाव को नियंत्रित करने पर प्रतिबंध लगाये जाने के संबंध में संगत नियम के अधीन आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं रोस्टर के माध्यम से सफाई व्यवस्था कराने के निर्देश हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर में विधायकों द्वारा चयनित ग्रामों में निर्बल वर्ग लाभार्थियों को आवासीय लाभ दिये जाने की जानकारी

***14-श्री जयराम विमल–**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2003-2004 एवं वित्तीय वर्ष 2004-2005 में जनपद अम्बेडकर नगर के विधायकों द्वारा चयनित ग्रामों में निर्बल वर्ग के लाभार्थियों को आवासीय लाभ दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जनपद अम्बेडकर नगर के मा0 विधायकगण द्वारा चयनित समग्र ग्रामों में निर्बल वर्ग के लाभार्थियों को आवासीय लाभ दिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2003-04 में मा0 विधायकों द्वारा चयनित कुल 63 ग्रामों में पात्र 848 लाभार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष सभी 848 निर्बल वर्ग के लाभार्थियों को दिनांक 8-8-2003 से 28-02-2005 तक आवासीय लाभ दिया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2004-05 में माननीय विधायकों द्वारा चयनित कुल 61 ग्रामों में पात्र 1603 लाभार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष 985 निर्बल वर्ग के लाभार्थियों को दिनांक 30-09-2004 से आवासीय लाभ दिया जा रहा है। शेष को धन की उपलब्धता के आधार पर आवासीय लाभ दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में घाटे में चल रही अथवा बन्द पड़ी समितियों एवं कोआपरेटिव बैंकों को पुनः चालू कराये जाने की मांग

***15-श्री जियाउद्दीन रिज़वी–**

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में घाटे में चल रही अथवा बन्द पड़ी समितियों एवं जिला स्तर पर घाटे में चल रहे अथवा बन्द पड़े कोआपरेटिव बैंकों को क्या सरकार अनुदान देकर चालू कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री शारदा नन्द अंचल)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस बल में बढ़ोत्तरी पर विचार

***16-श्री मुंशी लाल गौतम–**

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बुलन्दशहर में मानक के अनुसार कितने पुलिस बल की आवश्यकता है ? क्या सरकार जनपद में बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए पुलिस बल में बढ़ोत्तरी करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद बुलन्दशहर में स्वीकृत नियतन के सापेक्ष 45 उपनिरीक्षक, 21 मुख्य आरक्षी, 175 आरक्षी नागरिक पुलिस एवं 13 कान्सटेबिल चालक की आवश्यकता है। जनपद में अपराध नियंत्रण में है तथा वर्ष 2002 में घटित कुल अपराधों की तुलना में वर्ष 2004 में कमी हुई है। वर्तमान में निरीक्षक नागरिक पुलिस 12, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस 143, मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस 205 तथा आरक्षी नागरिक पुलिस 1238 एवं आरक्षी चालक 53 उपलब्ध है। फिर भी प्रदेश स्तर पर 11444 आरक्षी के पद स्वीकृत किये गये हैं और 193 उपनिरीक्षक के पद निरीक्षक के पद में उच्चीकृत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में गिरती कानून व्यवस्था में सुधार हेतु कार्य योजना

***17-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर–**

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ में गिरती कानून व्यवस्था में सुधार लाने हेतु क्या सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद मेरठ में कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है, कोई गिरावट नहीं है।

पुलिस उच्च अधिकारीगण व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ द्वारा जनता की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है एवं अपराधों की नियमित समीक्षा कर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। अपराध के आंकड़ों का कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है तथा जनता की समस्याओं व अपराधों के आंकड़ों को कम्प्यूटर में फीड करके उनका दैनिक अवलोकन किया जा रहा है जिससे जनपद की कानून-व्यवस्था एकदम चुस्त एवं दुरूस्त है।

इसके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/शासन स्तर पर भी कानून-व्यवस्था के संबंध में समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिससे कानून-व्यवस्था में प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर में यमुना नदी के जल को पीने योग्य बनाये जाने हेतु कार्य योजना

***18-डा0 रामबाबू हरित–**

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा नगर में यमुना जल को पीने योग्य बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कोई कार्ययोजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी हां। भारत सरकार के निर्देशानुसार यमुना कार्य योजना बनायी गयी है।

उक्त योजना वर्ष 1993 में क्रियान्वित की गयी जिसके अन्तर्गत 13.53 कि0मी0 सीवर लाइन व 10.79 कि0मी0 राइजिंग मेन बिछाकर तथा 8 पम्पिंग स्टेशन व 2.25, 10.00 एवं 78 एम0एल0डी0 क्षमता के 3 शोधन संयंत्रों का निर्माण कर 90.25 एम0एल0डी0 दूषित मल जल के डायवर्जन एवं शोधन की व्यवस्था की गयी है।

द्वितीय चरण के अन्तर्गत नार्दन एवं वैस्टर्न जोन्स में सीवर प्रणाली एवं शोधन के कार्य प्रस्तावित है। नार्दन जोन में 14 एम0एल0डी0 क्षमता का तथा वेस्टर्न जोन में 40 एम0एल0डी0 क्षमता का शोधन संयंत्र प्रस्तावित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में जलापूर्ति समस्या के समाधान हेतु वाटर वर्क्स बनाने का निर्णय

***19-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में जलापूर्ति की समस्या के समाधान हेतु सरकार ने द्वितीय वाटर वर्क्स बनाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी हां।

प्रश्नगत कार्य का प्रारम्भ कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष भत्ते की दुगनी धनराशि का भुगतान करने के आदेश

***20-श्री अनिल कुमार वर्मा–**

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003 में उनके द्वारा सभी सचिवालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विशेष भत्ते की धनराशि दुगनी भुगतान करने के आदेश दिये गये थे ? क्या उक्त आदेश के अनुपालन में सभी सचिवालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष भत्ते की दुगनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों और उक्त आदेश का अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सचिवालय संवर्ग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए नहीं वरन् अनुभाग अधिकारियों व उससे कनिष्ठ संवर्ग के कर्मचारियों को तत्समय अनुमन्य विशेष भत्ता की दर को दुगुना करने के आदेश जनवरी, 2004 में दिये गये थे।

उक्त आदेशों के अनुपालन में सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों एवं उससे कनिष्ठ पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुमन्य विशेष भत्ता की दरों को दुगुना करने विषयक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20-02-2004 को निर्गत किया जा चुका है तथा उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्तानुसार संशोधित दरों पर विशेष भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ के लाल कुआं से रोजगार भवन व डी0ए0वी0 कालेज को जाने वाले मार्ग पर लाश गाड़ियों से हो रहे अतिक्रमण को स्थायी रूप से समाप्त किये जाने की मांग

1-श्री भूपेन्द्र सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गुरू गोविन्द सिंह मार्ग (लाल कुआं), लखनऊ में रोजगार भवन से डी0ए0वी0 कालेज, लखनऊ को जाने वाली सड़क पर लाश-गाड़ियां, विक्रम व छोटी गाड़ियों के स्वामियों द्वारा अवैध अतिक्रमण से प्रात: 9.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा सायंकाल 5.00 बजे से 8.00 बजे तक यातायात पूरी तरह से अवरूद्ध रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को स्थायी रूप से समाप्त किये जाने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं। गुरू गोविन्द सिंह मार्ग (लाल कुआं) लखनऊ में रोजगार भवन से डी0ए0वी0 कालेज लखनऊ को जाने वाली सड़क पर रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 7.00 बजे तक रोड के किनारे वाहन पार्किंग करते हैं। यातायात के पीक आवर्स में उक्त वाहनों को यातायात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाकर हटवाया जाता है और यातायात को सुगम कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के बुद्धेश्वर पेट्रोल पम्प से फतेहगंज आवासीय कालोनी की सड़क पर विद्युत (लाइट) लगाये जाने की मांग

2-श्री भूपेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के आलमनगर से मोहान रोड को जोड़ने वाली सड़क पर बुद्धेश्वर पेट्रोल पम्प से पूर्व तक स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बुद्धेश्वर पेट्रोल पम्प से विद्युत उपकेन्द्र, फतेहगंज, लखनऊ सड़क के दोनों ओर आवासीय कालोनियों के स्थित होने तथा बढ़ते हुए यातायात के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए 11 के0वी0ए0 के खम्भों पर लाइट लगाये जाने हेतु विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खॉं–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

11 के0बी0ए0 के खम्भों पर लाईट लगाना सम्भव नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा खरगराय, गोपालापुर (पर्वतपुर) में पेयजलापूर्ति कराये जाने की मांग

3-श्री हरि प्रताप सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा खरगराय, गोपालापुर (पर्वतपुर) में गत तीन वर्षों से स्वीकृत टंकियों से क्या पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जनपद-प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित खरगरायपुर ग्राम सभा में पाइप पेयजल योजना द्वारा पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है।

ग्राम सभा-गोपालपुर (पर्वतपुर) में पाइप पेयजल योजना द्वारा पेयजल आपूर्ति अभी प्रारम्भ नहीं की गई है।

विद्युत आपूर्ति उपलब्ध न होने के कारण।

4-श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[दिनांक 7-3-05 को अता0 प्र0 सं0-27 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ के शिवानी विहार, कल्याणपुर में सीवर पानी निकासी हेतु व्यवस्था कराने की मांग

5-श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिवानी बिहार, कल्याणपुर, लखनऊ में सीवर तथा नालियां न बनाये जाने के कारण जगह-जगह पर पानी इक्ट्ठा हो जाने से गन्दगी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी में सीवर तथा पानी निकासी हेतु नालियों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खॉं–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संदर्भित कालोनी अनाधिकृत रूप से बसी कालोनी है, न तो इसका भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृत है और न ही इसकी जनसुविधायें नगर निगम को हस्तगत है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर की कतिपय पानी की टंकी हेतु धनराशि अवमुक्त करने की मांग

6-श्री राम इकबाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, जनपद-बलिया के कुरेजी, पकड़ी एवं नगरा में बनायी जाने वाली पानी की टंकी हेतु धन अवमुक्त हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र-चिलकहर के कुरेजी, पकड़ी एवं नगर में प्रस्तावित पानी की टंकियों के निर्माण हेतु अनुमानित लागत रू0 223.06 लाख है। वित्तीय वर्ष 2004-05 में 151 स्वीकृत/निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं एवं हैण्डपम्प कार्यों के निष्पादन हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम को रू0 181.2121 करोड़ अवमुक्त किया गया है। जल निगम विभिन्न स्वीकृत/निर्माणाधीन योजनाओं पर समग्रता में धनराशि की आवश्यकता व उपलब्धता अनुसार कार्य करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के लेखा संवर्ग के संदर्भ में जारी शासनादेश को निरस्त किये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

7-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद का पत्र संख्या-1623 दिनांक 28-09-2004, जो प्रदेश के लेखा संवर्ग के संदर्भ में जारी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-एस-945/दस-2003-100 (63)/99, दिनांक 22-5-2003 को निरस्त किए जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश निरस्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद (लखनऊ खण्ड पीठ) द्वारा दि0 23-01-2004 को शासनादेश संख्या-एस-3-945/दस-2003-100 (63)/99, दि0 22-5-2003 के क्रियान्वयन पर स्थगनादेश जारी किया गया है। अत: प्रकरण मा0 न्यायालय के विचाराधीन होने की स्थिति में फिलहाल कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

जनपद गोरखपुर के विन्ध्यवासिनी पार्क "जीवन-सन्ध्या" भवन का निर्माण पूर्ण कराने की मांग

8-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता की क्षेत्रीय विकास निधि द्वारा विन्ध्यवासिनी पार्क में निर्मित होने वाले "जीवन-सन्ध्या" भवन का निर्माण पूरा नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त भवन का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

मा0 सदस्य विधान सभा ने जनपद गोरखपुर के विन्ध्यवासिनी पार्क में वरिष्ठ नागरिकों, सांस्कृतिक कर्मियों, पारिवारिक, सामाजिक जन प्रतिनिधियों के कार्य सम्पादन हेतु बहुउद्देश्यीय भवन का प्रस्ताव दिया था, जिसमें कुछ कार्य शेष रह गये हैं।

सम्बन्धित अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण हो जाने के कारण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। दूसरे अवर अभियन्ता को लगाकर कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। भवन निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर में स्ट्रीट लाईटों को दिन में बन्द कराने की मांग

9-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में नगर निगम द्वारा संचालित स्ट्रीट लाईटों पर बिजली दिन में भी जली रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्ट्रीट लाईट को दिन में बन्द किये जाने हेतु कोई व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खॉं–

जी हां।

महानगर क्षेत्र में दिन में पथ प्रकाश के बिन्दुओं के जलने का मुख्य कारण निगम के स्ट्रीट लाईट के वायर को बिजली विभाग द्वारा फेस में परिवर्तित कर घरेलू कनेक्शन दे दिया जाना है, इस संबंध में विद्युत विभाग से समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया जा रहा है। निगम स्तर पर भी इसके समाधान हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के कतिपय जातियों के आवास हेतु पक्के आवास बनाये जाने की मांग

10-डा0 सुशील चौधरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-जौनपुर के गांव दुगोली कलां तिमरा बदलापुर में मुसहर जाति के परिवार झोपड़ियों में निर्वाह करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके लिए झोपड़ी के स्थान पर पक्के आवास बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां।

जनपद-जौनपुर के विकास खण्ड बदलापुर के ग्राम दुगौली कलां, तिमरा में मुसहर जाति के परिवारों को वर्ष 1989-90 में 02 तथा वर्ष 2003-04 में 03 कुल 05 पक्के आवासों का निर्माण कराया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को इन्दिरा आवास योजना तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास) अन्तर्गत पक्के आवास उपलब्ध कराये जाते हैं इन कार्यक्रमों के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार लाभार्थियों का चयन स्थानीय ग्राम सभा द्वारा किया जाता है तथा इनके चयन में शासन को हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में विगत वर्षों में चयनित ग्रामों को पूर्ण विकसित करने की मांग

11-श्री राम विशुन आजाद–

क्या अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत वर्ष 2003-04, 2004-05 में चयनित समग्र ग्रामों को पूर्ण विकसित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ग्रामों को कब तक विकसित कर दिया जायेगा ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

जी नहीं।

चयनित ग्रामों को सभी कार्यक्रमों में से कतिपय कार्यक्रमों की स्वीकृति अप्राप्त है, जिसके लिये समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

जनपद गोण्डा में स्वयंसेवी संस्थाओं के गठित समूहों का सत्यापन कराये जाने की मांग

12-श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में स्वयं रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा गठित समूह कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या सरकार गठित समूहों का सत्यापत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां।

गठित समूहों का सत्यापन कराया गया है। कुल 1801 समूह गठित हैं, जिसमें से 1589 समूह सक्रिय हैं और 212 समूह निष्क्रिय हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में गत वर्ष में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत चयनित व्यक्तियों को लाभान्वित कराये जाने की मांग

13-श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में इन्दिरा आवास योजना में विकलांगो, विधवाओं, निराश्रित तथा आग से जले आवासों के पात्र व्यक्तियों का चयन किया गया है ? यदि हां, तो कितने लाभार्थियों को उक्त लाभ दे दिया गया और कितने शेष रह गये ? शेष को उक्त सुविधा कब तक दे दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां।

जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003-04 में इन्दिरा

आवास योजना में विकलांगों, विधवाओं, निराश्रित तथा आग से जले आवासों के कुल 78 पात्र व्यक्तियों का चयन किया गया था, जिसमें से कुल 54 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है और 24 व्यक्ति लाभान्वित कराये जाने हेतु शेष है।

शेष 24 व्यक्तियों को आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि उपलब्ध होने पर लाभान्वित कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के कोतवाली थाना की पुलिस चौकी के प्रभारी द्वारा श्री रामबाबू पुत्र मोतीलाल से जबरन रूपये छीनने सम्बन्धी प्राप्त शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

14-श्री जगदीश नारायण राय–

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि जौनपुर जनपद के कोतवाली थाना की पुलिस चौकी के प्रभारी राज कुमार सिंह, उप निरीक्षक द्वारा रामबाबू पुत्र मोतीलाल, निवासी ग्राम- मुफ्तीगंज थाना केराकत से जबरन एक हजार रूपया छीनने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का गृह सचिव को सम्बोधित पत्र दिनांक 31-1-2004 व 17-8-2004 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

पुलिस अधीक्षक की आख्यानुसार उ0नि0 राजकुमार सिंह द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के समय दिनांक 27-1-2004 को आवेदक रामबाबू की बिना नम्बर की मोटर साइकिल होने के कागजात प्रस्तुत न करने के कारण चालान किया गया। जांच में उ0नि0 राजकुमार सिंह के विरूद्ध आवेदक द्वारा लगाये गये जबरन रूपया छीनने के आरोप की पुष्टि न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ में दर्ज अपराधिक मुकदमें, चार्जशीट व अन्तिम रिपोर्ट की जानकारी

15-श्री सुखदेव राजभर–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004-05 में जनपद-आजमगढ़ में कुल कितने अपराधिक मुकदमें दर्ज हुए हैं, उनमें से कितने मुकदमों में चार्जशीट लगी है तथा कितने में अन्तिम रिपोर्ट लगाई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2004-05 में न्यायालय के आदेश से कुल कितने मुकदमें दर्ज हुए उनमें से कितने मुकदमों में चार्जशीट लगी है ? कितने में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई है और कितन शेष है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद-आजमगढ़ में वर्ष 2004 में कुल 2030 अपराधिक मुकदमें दर्ज हुये हैं उनमें से 1255 मुकदमों में चार्जशीट लगायी गयी है, 266 मुकदमों में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी है, 151 मुकदमें विवेचना से खारिज कर दिये गये हैं तथा 358 मुकदमा विवेचनाधीन हैं।

दिनांक 01-01-2005 से 31-01-2005 तक कुल 155 अपराधिक मुकदमें दर्ज हुये हैं, उनमें से 21 मुकदमों में चार्जशीट लगायी गयी है, 20 मुकदमें विवेचना से खारिज किये गये हैं तथा 114 मुकदमें विवेचनाधीन हैं।

वर्ष 2004 में मा0 न्यायालय के आदेश से कुल 550 मुकदमें पंजीकृत हुये हैं, उनमें से 299 मुकदमें में चार्जशीट लगायी गयी है, 186 में फाइनल रिपोर्ट लगायी गयी है तथा 65 मुकदमें शेष हैं।

दिनांक 01-01-05 से 31-01-05 तक मा0 न्यायालय के आदेश से कुल 55 मुकदमें पंजीकृत हुये हैं, उनमें से 6 में चार्जशीट लगायी गयी है, 15 में फाइनल रिपोर्ट लगायी गयी है तथा 34 मुकदमें शेष हैं।

श्री राम सेवक उप निरीक्षक ना0 पु0 (सीधी भर्ती) को निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति दिये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

16-डा0 इन्द्रदेव सिंह

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती जयदेवी, निवासी सरोजनीनगर, लखनऊ का प्रार्थना-पत्र वास्ते श्री राम सेवक, उप निरीक्षक, ना0 पु0 (सीधी भर्ती) को निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09-09-2000 के अनुपालन हेतु तत्कालीन राज्य मंत्री, परिवहन के उपरिपत्र संख्या-225/वी0आई0पी0/रा0मं0पं0/03, दिनांक 19-12-2003 के साथ प्राप्त जो रजिस्टर संख्या-एस/176787/सी0एम0-1/2003, दिनांक 27-12-2003 द्वारा कार्यवाही किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, गृह को भेजा गया ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 9-8-2000 (न कि प्रश्न में अंकित 9-9-2000) के अनुपालन में याची की प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 12-3-03 को आहूत की गयी थी। जिसमें तत्कालीन नियमों एवं मानकों के अनुरूप याची की प्रोन्नति पर विचार किया गया। श्रेष्ठता कोटि क्रम में स्थान न पाने के कारण याची उपनिरीक्षक ना0 पु0 राम सेवक निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति हेतु चयनित नहीं हो सका, जिसकी सूचना याची को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से दे दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के बालागंज वार्ड के सभासद द्वारा नवनिर्मित गौशाला रोड बनवाने विषयक पत्र पर आयुक्त नगर निगम को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

17-श्री कौशल किशोर

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बालागंज वार्ड के जनपद-लखनऊ के सभासद भारत सिंह राजपूत द्वारा दिनांक 30-11-04 नवनिर्मित गौशाला रोड बनवाने हेतु नगर आयुक्त नगर निगम, लखनऊ को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के तहत सड़क का निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी हां।

बालागंज चौराहे से गौशाला तक डामर रोड पूर्व से ही निर्मित है। उसके आगे प्राईवेट कालोनाईजर द्वारा कालोनी बनायी जा रही है जहां सड़क निर्माण का दायित्व नगर निगम, लखनऊ का नहीं है?

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के थाना-मलिहाबाद के गांव जोरिया के राम सनेही मौर्य पुत्र प्रभू दयाल के पुत्र के अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी की मांग

18-श्री कौशल किशोर–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-लखनऊ के थाना-मलिहाबाद के गांव जोरिया के रहने वाले राम सनेही मौर्य पुत्र प्रभू दयाल के पुत्र अनिल कुमार का अपहरण दि0 16-12-04 को राधेश्याम लोहार, गुड्डू पुत्र राम दयाल व शिव कुमार लोहार द्वारा किया गया था, जिसे बाद में बरामद कर लिया गया था ? यदि हां, तो अपहर्ताओं के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

थाना मलिहाबाद पर मु0अ0सं0-9/05 धारा 342 भा0दं0वि0 शिवकुमार पुत्र मंडीलाल, राधेश्याम पुत्र हरीलाल एवं गुड्डू उर्फ ओमप्रकाश पुत्र श्री राम दयाल के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। दि0 24-1-05 को अभियुक्त गुड्डू उर्फ ओमप्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, एवं अन्य अभियुक्त राधेश्याम पुत्र हरीलाल दिनांक 10-2-05 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। मुकदमें में वांछित अभियुक्त शिवकुमार पुत्र मेंडीलाल की गिरफ्तारी हेतु कड़े प्रयास किये गये हैं। घटना के दिन से ही शिवकुमार अपने बाल-बच्चों सहित घर पर ताला लगाकर बादस्तूर फरार चल रहा है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

लखनऊ, जानकीपुरम के राजकीय कालोनी सेक्टर-डी आवास संख्या-6/4 के अध्यासी के स्थानान्तरण के पश्चात् आवास खाली कराने की मांग

19-श्री संजीव दरियाबादी–

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि आवास संख्या-6/4 टाइप-4 राजकीय कालोनी, सेक्टर-डी, जानकीपुरम् लखनऊ के अध्यासी का स्थानान्तरण कई माह पूर्व अन्य जिले में हो जाने के बावजूद आवास रिक्त नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त आवास रिक्त कराकर नये आवंटी को कब्जा दिलाया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां। संगत नियमों के अन्तर्गत स्थानान्तरण के एक माह पश्चात् आवास रिक्त न करने पर उ0प्र0 सार्वजनिक भूगृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 की धारा-04 के

अन्तर्गत मा0 विहित प्राधिकारी के न्यायालय में बेदखली वाद दायर करके बेदखली के आदेश प्राप्त करने की कार्यवाही की जाती है। प्रश्नगत मामले में मा0 न्यायालय विहित प्राधिकारी द्वारा दिनांक 15-12-04 को बेदखली के आदेश अंतिम रूप से पारित कर दिये गये हैं।

उ0प्र0 सार्वजनिक भूगृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम-1972 की धारा-5(2) के अनुसार बेदखली आदेश तामीली के तीस दिन के अन्दर आवास रिक्त न करने पर मा0 विहित प्राधिकारी न्यायालय से आदेश प्राप्त कर बलपूर्वक आवास रिक्त करवाने की व्यवस्था है। उक्त के अनुसार प्रार्थना पत्र विहित प्राधिकारी के न्यायालय में दायर कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लावारिस शव के अन्तिम संस्कार की धनराशि को बढ़ाने की मांग

20-श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा लावारिस शव के अन्तिम संस्कार के लिये मात्र 350 रू0 की राशि दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार लावारिस लाशों के अन्तिम संस्कार हेतु वर्तमान में दी जा रही धनराशि में बढ़ोत्तरी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं। शासन द्वारा लावारिस शव के अंतिम संस्कार हेतु रू0 500/- प्रति शव की दर से धनराशि स्वीकृत है।

लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार हेतु निर्धारित रू0 500/- प्रति शव से बढ़ाकर रू0 1000/ प्रति शव किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

21-श्री श्याम देव राय चौधरी–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

22-श्री श्याम देव राय चौधरी–

[दिनांक 4-3-2005 के अता0 प्र0 सं0 49 द्वारा उत्तरित]

जनपद शाहजहांपुर नगर के खराब पड़े इण्डिया मार्क-II हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की मांग

23-श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में कितने इण्डिया मार्क-II नल खराब हैं? क्या सरकार उक्त खराब हैण्ड पम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

शाहजहांपुर नगर में वर्तमान में 21 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अस्थाई रूप से खराब है।

जी हां।

15 दिन के अन्दर।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर नगरपालिका परिषद् बोर्ड की बैठकें

24-श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक वर्ष में नगर पालिका परिषद् के बोर्ड की बैठक कितने बार होनी चाहिए ? क्या यह सही है कि नगर पालिका बोर्ड, शाहजहांपुर की बैठक कई माह से नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में बोर्ड की बैठक कराने हेतु निर्देशित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

12 बैठकें।

जी नहीं। बोर्ड की बैठक दि0 29-02-04, 11-07-04, 25-07-04, 30-10-04, 27-02-05 तथा 06-03-05 को आहूत कर सम्पन्न की गयी। अन्य बैठकें विषय वस्तु न होने/ आवश्यकता न होने के कारण नहीं आहूत की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के आलमबाग के आजाद नगर भिल्लावां में कतिपय सुविधाओं की व्यवस्था कराने की मांग

25-श्री रमेश चन्द्र बिन्द–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भिल्लावां, आजाद नगर, आलमबाग, जनपद-लखनऊ में नाली/सीवर लाइन खड़न्जा स्ट्रीट लाईट न होने के कारण नागरिकों को असुविधा होती है? यदि हां, तो सरकार उक्त स्थान पर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी हां।

धन की उपलब्धता के आधार पर संबंधित निगम द्वारा उक्त कार्य कराये जायेंगे। यद्यपि वर्तमान में भी समय-समय पर निर्माण/अनुरक्षण का कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा नगर के कतिपय मुहल्लों में सीवर नाली सड़क पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग

26-श्री बाबू लाल कुशवाहा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा नगर के केवटरा, कंचनपुरवा, अम्बेडकर नगर शान्तिगर, अलीगंज, छिपटहरी छावी तालाब, जरैली कोठी खुटवा आदि मुहल्ले में सीवर नाली सड़क व पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्य योजना शासन द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

74वें संविधान संशोधन के उपरान्त शासन द्वारा पेयजल एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के लिये निकायों को अनुदान दिये जाने की व्यवस्था समाप्त हो गयी है। निकायों द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं 11वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से विकास कार्य कराये जाते हैं। राज्य वित्त आयोग की गाइड लाइन्स एवं शासनादेशों के अनुसार कार्यों का चयन स्थानीय निकाय/बोर्ड द्वारा किये जाते हैं, जिसके अनुसार वार्डवार कार्यों का चयन करके कार्य कराये जाते हैं न कि मोहल्लेवार। इसी प्रकार 11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा कार्यों की स्वीकृति प्राप्त करके कार्य कराये जाते हैं।

जनपद बस्ती की तहसील सदर के ब्लाक साउंघाट में बस्ती-गोरखपुर मार्ग से ग्राम छपिया मझरिया सम्पर्क मार्ग के पूर्ण निर्माण की मांग

27-श्री धर्मराज निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जनपद में तहसील सदर के अन्तर्गत साउंघाट ब्लाक में स्थित बस्ती-गोरखपुर मार्ग से ग्राम छपिया मझरिया तक सम्पर्क मार्ग अर्धनिर्मित है ? क्या सरकार उक्त मार्ग को लेपन स्तर तक बनवा कर पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

प्रश्नगत मार्ग खड़न्जा स्तर तक निर्मित है।

प्रश्नगत कार्य के लिए राज्य सरकार/भारत सरकार की किसी योजना में स्वीकृति अब धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी, थाना-टिकैतनगर के ग्राम-छुरिया के श्री बेचू पुत्र राम लाल की हत्या कर लाश गायब करने विषयक प्राप्त शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

28-श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री बेचू, निवासी ग्राम-छुरिया, थाना-टिकैतनगर, जिला-बाराबंकी ने दिनांक 27 जनवरी, 2004 को मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सहित जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक, बहराइच के पास पंजीकृत डाक द्वारा शिकायती प्रार्थना-पत्र भेजकर सूचित किया था कि उसके लड़के राम लाल की ग्राम ठाकुर महतोपुरवा मजरे देवलखा, थाना-कैसरगंज, जिला-बहराइच में हत्या करके लाश गायब कर दी गई है और थाना कैसरगंज, जिला-बहराइच में लिखित सूचना देने के बावजूद प्राथमिकी पंजीकृत नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत प्रार्थना-पत्रों की जांच करके प्राथमिकी दर्ज कराने एवं दोषी जनों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं। बल्कि आवेदक का एक प्रार्थना-पत्र पुलिस उप महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा के माध्यम से प्राप्त हुआ था।

प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी कैसरगंज जनपद बहराइच से करायी गयी। जांच से पाया गया कि आवेदक के लड़के राम लाल वर्मा की शादी रामावती पुत्री श्री पन्ना लाल, निवासी ग्राम-ठाकुर महतोपुरवा देवलखा, थाना- कैसरगंज, जनपद-बहराइच से हुयी थी। शादी के कुछ दिन बाद श्रीमती रामावती व आवेदक ससुर श्री बेचू से कुछ विवाद होने के कारण श्रीमती रामावती ग्राम ठाकुर महतोपुरवा देवलखा में रहने लगी, जहां पर आवेदक का पुत्र राम लाल आता जाता था। राम लाल अपनी ससुराल से अपने घर बाराबंकी गया और 8-10 दिन तक वापस नहीं आने पर श्री पन्ना लाल निवासी ठाकुर महतोपुरवा, देवलखा थाना कैसरगंज द्वारा थाना कैसरगंज में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। इस संबंध में तलाश गस्ती आदि विधिक कार्यवाही की गयी है। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि आवेदक के पुत्र का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता था, जिससे इधर उधर बिना बताये चला जाता था। जांच से आवेदक के लड़के की हत्या जैसे अपराध की पुष्टि नहीं हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड में आदर्श जनपद योजनान्तर्गत बुन्देलखण्ड के किसी जनपद को आदर्श घोषित किये जाने की मांग

29-श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज)–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श जनपद-योजनान्तर्गत बुन्देलखण्ड के किसी जनपद को आदर्श घोषित किया गया है ? यदि हां, तो किसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आदर्श जनपद योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के झांसी, बांदा तथा हमीरपुर जनपद को चयनित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

30-श्री राम करन आर्य–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

केन्द्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियिम अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रेषित रिपोर्ट

31-डा0 सुशील चौधरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी के केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1989 में अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम पारित करते हुए सभी राज्यों से प्रति वर्ष अनुसूचित जाति/जनजाति की स्थिति पर रिपोर्ट देने की अनिवार्यता थी ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा अब तक किन-किन वर्षों में केन्द्र सरकार को उक्त मामले में रिपोर्ट भेजी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार-निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों पर घटित अपराधों की रिपोर्ट विशेष जांच मुख्यालय द्वारा प्रतिमाह एवं प्रतिवर्ष, सूचना निदेशक पी0सी0आर0 कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के थाना कैण्ट में पंजीकृत अपराध संख्या 144/04 की विवेचना ठाकुरगंज थाना से कराये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

32-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ को श्री आर0 एस0 राजौरिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, इण्डियन एकता पार्टी, उत्तर प्रदेश का सम्बोधित पत्र जो अपराध संख्या-144/04 धारा 452, 506 भा0द0सं0 एवं अपराध संख्या-52/04 धारा 504 भा0द0सं0 थाना कैण्ट के स्थान पर किसी अन्य विवेचक से विवेचना कराये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पत्र दिनांक 29-10-2004 पर विवेचना थाना-ठाकुरगंज से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या मामले में विवेचक द्वारा आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

समय सीमा निश्चित करना सम्भव नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

झांसी मण्डल के ग्राम दमरास व देवकली तथा मैनूपुर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृत योजनायें

33-डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-235/ग्रमीण-1/क्यू0पी0डी0/टैंक कमेटी दिनांक 29-5-2003 के अनुसार झांसी मण्डल के ग्राम दमरास (क्रमांक 98) तथा देवकली (क्रमांक 101) का पेयजल पीने के योग्य नहीं है तथा मुख्य अभियन्ता, उ0 प्र0 जल निगम, झांसी के पत्रांक 851/एम-13 दि0 15-2-03 के अनुसार ग्राम मैनूपुर का पेयजल भी उपयुक्त नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इसके निराकरण हेतु क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां।

नलकूप बनाकर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पाइप पेयजल योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम के लालकुआं वार्ड के सफाई कर्मियों द्वारा कार्य में शिथिलता बरतने विषयक पत्र

34-श्री बाबू राम एम0काम0 तथा
श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बातयेंगे कि लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत लालकुआं वार्ड में तैनात सफाई कर्मियों द्वारा लगातार कार्य में शिथिलता बरते जाने विषयक मा0 द्वारिका प्रसाद, विधायक का पत्र दिनांक 8-12-2003 प्रमुख सचिव, नगर विकास उ0प्र0 शासन एवं मुख्य नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर, थाना-सिधौली, ग्राम हरैया की श्रीमती गुलाबा देवी द्वारा पंजीकृत मुकदमा

35-श्री कौशल किशोर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला सीतापुर के थाना-सिधौली के गांव हरैया की श्रीमती गुलाबो देवी द्वारा दिनांक 30-10-04 को दर्ज कराये गये मु0अ0सं0 352/04 धारा 376/452/504/506 आई0पी0सी0 व 3 (2) (वी0) एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रकरण में पंजीकृत मु0अ0सं0 352/04 धारा 376/452/504/506 भा0दं0वि0 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, वादिनी श्रीमती गुलाबो देवी द्वारा चेतराम यादव, वसन्त, राम दयाल निवासीगण ग्राम-अल्लीपुर पो0 हरैया, थाना-सिधौली, सीतापुर के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी मिश्रिख द्वारा की गयी। विवेचना से जुर्म का होना नहीं पाया गया। विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 15-12-04 को मा0 न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है।

36-श्री कौशल किशोर–

[दिनांक 25-2-2005 के ता0 प्र0 सं0 57 द्वारा उत्तरित]

जनपद लखनऊ के थाना-माल में पंजीकृत मु0अ0सं0 122/04 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग

37-श्री कौशल किशोर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ के थाना-माल में दिनांक 9-9-04 को मुन्नी देवी, पत्नी नन्हा नि0 गांव मडवाना द्वारा दर्ज मु0अ0सं0 122/04 धारा 323/506 आई0पी0सी0 व 3(1)x एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ के द्वारा निर्गत अभियुक्तों की गिरफ्तारी स्थगन आदेश का अनुपालन करते हुए अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या-102 दिनांक 8-10-04 को न्यायालय प्रेषित किया गया है।

प्रदेश के नगर निगमों को नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार हेतु उपलब्ध धनराशि का समयान्तर्गत उपयोग करने की मांग

38-श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि राज्य के नगर निगमों को नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार हेतु वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त धनराशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है ? यदि

नहीं, तो क्या सरकार विभिन्न मदों से प्राप्त धन निश्चित समायान्तर्गत उपभोग करने एवं निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किये जाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी नहीं।

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों, गाइड लाइन्स के अनुसार संक्रमित धनराशि एवं 11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रदत्त की जाने वाली धनराशि का उपयोग राज्य के नागर निकायों/नगर निगमों के नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार हेतु उपयोग किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद महारागंज के विकास खण्ड फरेन्दा की साधन सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार विषयक प्राप्त शिकायती पत्र

39-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि साधन सहकारी समिति परसाबेनी एवं साधन सहकारी समिति महुंअवा उर्फ महुई विकास खण्ड फरेन्दा जिला-महाराजगंज में व्याप्त घोटाले, भ्रष्टाचार, गबन मामले में अध्यक्ष/महामंत्री सहकारी संघर्ष समिति महाराजगंज, जिला महाराजगंज ने जनवरी, 2004 से दिसम्बर, 2004 के मध्य 31 अनुस्मारकों द्वारा मा0 सहकारिता मंत्री/जिलाधिकारी, महाराजगंज, उप निबंधक, सहायक निबंधक, गोरखपुर, महालेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 लखनऊ को सम्बोधित है जांच एवं गबन की वसूली की मांग की गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल–

जी हां।

प्रकरण की जांच कराई गई। जांच आख्या के अनुसार कोई गबन होना प्रमाणित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई पोस्ट बेनीगंज के ग्राम-बाजपुर के श्री शिवराम पी0सी0एफ0 सीतापुर के भण्डारनायक के मृत्योपरान्त उनकी पत्नी को सेवा में लिए जाने की मांग

40-डा0 सुशील चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवराम निवासी ग्राम-बाजपुर, पो0-बेनीगंज, जिला-हरदोई पी0सी0एफ0 सीतापुर में भण्डारनायक के पद पर कार्यरत थे, जिन्हें गोदाम में हेराफेरी करने के आरोप में दोषी पाये जाने के कारण जेल में बन्द थे ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि दिनांक 13-10-2002 को उनकी मृत्यु जेल में ही हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार मृतक की पत्नी श्रीमती श्यामपति को उनके स्थान पर तैनात करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल–

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शिव राम की मृत्यु बन्दी के रूप में उपचार के दौरान मेडिकल कालेज, लखनऊ में हुई थी।

श्री शिवराम उर्वरक सम्भार का अपहरण करने का प्रकरण प्रकाश में आने पर उनके विरूद्ध विभागीय जांच कराई गई थी। सम्यक जांचोपरान्त रू0 5,44,168.06 मूल्य के संभार अपहरण का दोषी पाये जाने पर दिनांक 28-8-2000 को इन्हें संघ की सेवा से सेवाच्युत किया गया। आदेश दिनांक 28-8-2000 द्वारा सेवाच्युत होने के कारण श्री शिवराम मृत्यु की दिनांक 13-10-2002 को संघ के कर्मचारी नहीं थे। अत: मृतक आश्रित के रूप मे उनकी पत्नी श्रीमती श्यामपति की तैनाती का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्वीकृति बिना निर्मित आवासीय कालोनियों में नागरिक सुविधायें प्रदान कराने की मांग

41-श्री पूर्णमासी देहाती–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ नगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना अनियोजित तरीके से आवासीय कालोनियों का निर्माण कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो उनमें से कितनी आवासीय कालोनियों में नगर निगम द्वारा सड़क, नाली आदि निर्माण कार्य करवाया गया है एवं नगर निगम उनमें नागरिक सुविधायें प्रदान कर रहा है ? क्या यह भी सही है कि समर बिहार कालोनी जो पूर्णतया नियोजित तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ले आउट स्वीकृत कर बनायी गयी है, में नागरिक सुविधायें नगर निगम द्वारा प्रदान की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

इस प्रकार की अविकसित कालोनियों में आंशिक रूप से मा0 विधायक निधि, मा0 सांसद निधि के अन्तर्गत निर्देशानुसार कार्य सम्पादित कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त रिवाल्विंग फण्ड, अवस्थापना मद, ग्यारहवां वित्त एवं नगर निगम विकास निधि के अन्तर्गत कार्य कराये गये हैं।

जी नहीं।

कालोनाईजर द्वारा कालोनी नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं की गयी है।

लखनऊ के समर बिहार कालोनी में नियम विरूद्ध व्यवसायिक निर्माणों सम्बन्धी प्राप्त शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

42-श्री पूर्णमासी देहाती–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि समर बिहार कालोनी, आलमबाग, लखनऊ में नियम विरूद्ध हो रहे व्यवसायिक निर्माणों के सम्बन्ध में श्री आदित्य विक्रम सिंह, श्री अनिल सिंह तथा श्री दया राम द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 26-7-04 उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

व्यवसायिक निर्माण के विरूद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की धारा-27(1) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं धारा-26(2) के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही प्रस्तावित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के मोहल्ला मोतीनगर से धोबीघाट तक नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग

43-श्री भूपेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद के मोहल्ला मोतीनगर के मकान नं0 289/241 के पीछे से तथा प्राथमिक पाठशाला, आर्यनगर, धोबीघाट के सामने से जो 20 फुट चौड़ी कच्ची सड़क पर खड़न्जा, सीवर लाइन, मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युत पोल्स, पक्की नालियों की सुविधा न होने के कारण नागरिकों को असुविधा होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क पर उपरोक्त सुविधायें उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

धन की उपलब्धता एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की वृन्दावन योजना में श्रेणी ई0एफ0डब्लू0 के आवंटियों को कब्जा दिये जाने की मांग

44-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा लखनऊ में वृन्दावन योजना-1, सम्पत्ति संख्या 6ए के अन्तर्गत दिनांक 29-3-04 को लाटरी द्वारा सम्पत्ति श्रेणी ई0एस0डब्लू0 कितने आवंटियों को आवंटित किये गये ? उनमे से कितने आवंटियों द्वारा पूरा भुगतान आवंटन तिथि के तीन माह के अन्दर कर दिया गया था? क्या तीन माह के अन्दर एक मुश्त पूरा बकाया भुगतान करने वाले आवंटियों से ब्याज लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों? क्या आवंटियों को कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की वृन्दावन योजना संख्या-1 लखनऊ में दिनांक 29-3-04 को ई0डब्लू0एस0 फिनिश्ड के कुल 72 भवन पंजीकृत आवेदकों को आवंटित किये गये जिसमें से 55 भवन किश्त पर तथा 17 भवन नकद पर आवंटित किये गये।

नकद पर आवंटित 07 भवनों के आवंटी जिन्हें 03 माह के अंदर भुगतान अनुबन्ध है, उनमें से 6 के द्वारा तीन माह के अंदर भुगतान कर दिया गया है उनसे किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया गया है। 01 आवंटी द्वारा माह अगस्त में भुगतान किया गया है उनसे नियमानुसार ब्याज लिया गया है।

एक किश्त पद्धति के आवंटी द्वारा तीसरे माह में अनुमति प्राप्त कर धनराशि का भुगतान किया गया है उनसे नियमानुसार ब्याज लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

परिषद् में भवनों तथा भूखण्डों के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम 1979 यथा संशोधित जून 1986 के प्राविधानों के अंतर्गत विलम्ब होने की स्थिति में नियमानुसार ब्याज लिया गया है।

वृन्दावन योजना संख्या-1 लखनऊ के सेक्टर-6 में विशिष्ट योजना के 72 भवन जिनका आवंटन दिनांक 29-3-04 को किया गया था, में नकद पर प्रदिष्ट 17 भवनों के सापेक्ष निरस्तीकरण के उपरान्त शेष बचे 7 भवनों के विरूद्ध 2 भवनों का कब्जा दिया जा चुका है, 5 आवंटियों के द्वारा विक्रय विलेख की औपचारिकतायें पूर्ण न करने के कारण कब्जा नहीं दिया गया है। किश्त पर आवंटित 55 भवनों के सापेक्ष निरस्तीकरण के उपरान्त शेष बचे 36 भवनों का कब्जा पूर्व भू-स्वामियों के विवाद के कारण नहीं दिया जा सका है। भूस्वामियों से विवाद समाप्त किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विवाद समाप्त हो जाने के उपरान्त इन सम्पत्तियों का कब्जा दिया जा सकेगा।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया की ग्राम सभा सदकरपुर में वर्ष 2000 तक आवंटित लाभार्थी

45-कुं0 रतनजीत प्रताप नारायन सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2004 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-11 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 2000 से 2003 में आवंटित लाभार्थियों के नाम, पते तथा उनके द्वारा उक्त सरकारी लाभ पाने हेतु प्रस्तुत अभिलेखों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां।

अतारांकित प्रश्न संख्या-11 के सन्दर्भ मे अवगत कराना है कि ग्राम सभा सदकरपुर वि0 खण्ड-छपिया, गोण्डा में वर्ष 2000-2003 तक आवंटित किये गये लाभार्थियों के नाम पते सहित सूची *संलग्न है पूर्व में त्रुटिपूर्ण सूचना देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का चिन्हीकरण कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। जहां तक लाभार्थियों द्वारा उक्त लाभ पाने के लिए प्रस्तुत अभिलेखों का विवरण प्रस्तुत करने का प्रश्न है, सूच्य है कि लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जाता है। इसलिए उनके द्वारा कोई अभिलेख दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

*देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 154 पर।

जनपद महराजगंज पुलिस चौकी शितलापुर के भवन स्वामी राघवपति दुबे को भुगतान कराने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

46- श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 347557, दिनांक 08-07-04 जो जनपद-महराजगंज की पुलिस चौकी शीतलापुर के भवन स्वामी राघवपति दुबे को किराया भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? क्या इसी विषय में पुलिस अधीक्षक, महराजगंज का पत्र र-55/99, दिनांक 04-03-01 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

पुलिस चौकी शीतलापुर शासन से स्वीकृत नहीं है। पुलिस अधीक्षक, महराजगंज द्वारा स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए यह चौकी अपने स्तर से स्थापित की गयी थी। शासन से स्वीकृति पुलिस चौकी के लिए ही किराया अनुमन्य है।

47-श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद गाजीपुर में विधायक निधि से खरीदे गये सोलर लाइट में घपले की जांच

48-श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 2004 में गाजीपुर में विधान परिषद् सदस्य श्री कैलाश सिंह की विधायक निधि से खरीदे गये सोलर लाइट में लाखों रूपये का घपला किये जाने की जांच ग्राम्य विकास आयुक्त द्वारा की गई है ? यदि हां, तो उक्त जांच में कौन से लोग दोषी पाये गये तथा उनके विरूद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां।

जांच में श्री दयाशंकर तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर एवं श्री प्रमोद चन्द्र श्रीवास्तव तत्कालीन परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गाजीपुर दोषी पाये गये थे। इन्हें निलम्बित करके इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा इनके विरूद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी है।

श्री प्रमोद चन्द्र श्रीवास्तव तत्कालीन परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के विरूद्ध आरोप सिद्ध न पाये जाने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है तथा श्री दया शंकर तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित जांच आख्या परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में दशाश्वमेघ सब्जी मण्डी को ध्वस्त कर व्यवसायिक काम्पलेक्स का निर्माण कार्य

49-श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में दशाश्वमेघ सब्जी मण्डी को ध्वस्त कर व्यावसायिक काम्पलेक्स के निर्माण हेतु किन-किन बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से कब, कितना धन कर्ज लिया गया और उक्त कर्जे पर कितनी-कितनी धनराशि ब्याज के रूप में देय है ? क्या उक्त निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो वर्षों से उक्त निर्माण कार्य ठप्प रहने का कारण क्या है ? उक्त परियोजना को कब तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

योजना का निर्माण कार्य यूको बैंक, चौक, वाराणसी से वित्तीय वर्ष 1988-89 में रू0 315.00 लाख का ऋण लिया गया था। बैंक के ऋण पर रू0 441.95 लाख ब्याज सहित कुल धनराशि रू0 756.95 लाख बैंक को वर्ष 1998-99 में भुगतान किया गया है। अब कोई धनराशि अवशेष नहीं हैं।

जी नहीं।

मा0 उच्च न्यायालय के स्थगनादेश तथा वर्ष 1992 में ए0एस0आई0 द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण योजना कार्य ठप्प रहा।

उक्त प्रतिबन्धों के कारण मूल योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका। उक्त स्थल को पार्क/पार्किंग के रूप में बनाया जाना प्रस्तावित है।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बहुमंजिली इमारतें बनाने की नीति

50-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बहुमंजिली इमारतें (आवासीय तथा व्यावसायिक) बनाने हेतु अनुमति प्रदान करने की कोई नीति बनायी गयी है? यदि हां, तो वह नीति क्या है तथा इसके मानक क्या हैं ? गत पांच वर्षों (2000-2004 तक) में शहर में कितनी बहुमंजिली इमारतें बनायी गयीं तथा इनमें से कितनी इमारतें आवासीय क्षेत्रों में हैं ? क्या इनके निर्माण में मानकों का ध्यान रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

इलाहाबाद नगर में बहुमंजिलें भवन (आवासीय एवं व्यवसायिक) के निर्माण की अनुमति भवन निर्माण एवं विकास (संशोधित) उपविधि-2000 तथा संशोधित महायोजना, 2001 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। भवन उपविधि, 2000 के अध्याय (1) के अनुच्छेद-12.14(11) के अन्तर्गत बहुखण्डीय भवन का तात्पर्य भूतल सहित 4 मंजिलें ऊंचे भवन अथवा 15 मी0 से ऊंचे भवन से हैं।

आवासीय तथा व्यवसायिक बहुखण्डीय भवनों के मानक निम्नवत् है :--

(अ) आवासीय

1-भूखण्ड का क्षेत्रफल- न्यूनतम 2000 वर्ग मी0

2-पहुंच मार्ग- न्यूनतम 12 मी0 चौड़ा मार्ग

3-पार्किंग- उपविधि में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार प्रत्येक 100 वर्ग मी0 आच्छादित क्षेत्रफल पर 17.50 वर्ग मी0 पार्किंग क्षेत्रफल आवश्यक है।

4-अधिकतम भू-आच्छादन- भूखण्ड क्षेत्रफल का 35 प्रतिशत

5-एफ0ए0आर0- अधिकतम 1.5
(तल क्षेत्रफल) क्रय योग्य अतिरिक्त एफ0ए0आर0- 0.5

6-सेटबैक- 15 मी0 से ऊंचे भवन हेतु न्यूनतम 6.00 मी0 सेटबैक (चारो तरफ) आवश्यक है।

(ब) व्यवसायिक

1-भूखण्ड का क्षेत्रफल- भवन उपविधि में निर्दिष्ट नहीं है।

2-पहुंच मार्ग- न्यूनतम 12.00 मी0 चौड़ा मार्ग

3-पार्किंग- प्रत्येक 100 मी0 आच्छादित क्षेत्रफल पर 21.00 वर्ग मी0 पार्किंग क्षेत्रफल आवश्यक है।

4-अधिकतम भू-आच्छादन- 500 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के भूखण्ड का 50 प्रतिशत।

5-एफ0ए0आर0- न्यूनतम 1.5 अधिकतम 2.0 क्रय योग्य अतिरिक्त एफ0ए0आर0 अनुमन्य (तल-क्षेत्रफल)

6-सेटबैक- न्यूनतम 6 मी0

गत पांच वर्षों (2000-2004 तक) इलाहाबाद नगर में कुल 10 बहुमंजिलें भवन के मानचित्र स्वीकृत किये गये है जिसमें से चार मानचित्र आवासीय क्षेत्र के है। इन दस मानचित्रों के सापेक्ष अब तक चार भवन पूर्ण रूप से निर्मित है।

पूर्ण रूप से निर्मित चार भवनों में मानकों का अनुपालन हुआ है शेष छः निर्माणाधीन भवनों में समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुलिस थानों को कोतवाली में परिवर्तत करने के मानक

51-श्री राम करन आर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस थाना को कोतवाली में तब्दील करने के लिये शासन द्वारा क्या मानक बनाये गये हैं ? प्रदेश मे कुल कितनी कोतवाली एवं कितने थाने हैं ? कितने थानों को कोतवाली में परिवर्तित करने का मामला शासन के विचाराधीन है ? उनको कब तक कोतवाली बनाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पुलिस थाना को कोतवाली में परिवर्तित करने हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं है, परन्तु सम्प्रति प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार नगर पालिका/नोटीफाइड एरिया/टाउन एरिया में स्थित तहसील मुख्यालय के थानों को ही निरीक्षक स्तर के थानों (कोतवाली) में परिवर्तित किया जाता है।

प्रदेश में कुल 1367 थाने हैं तथा कुल 352 थाने निरीक्षक स्तर के स्वीकृत हैं। 05 थानों को निरीक्षक स्तर का थाना बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है लेकिन प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत नये पदों के सृजन पर रोक लगी होने तथा परिसीमन आयोग, भारत सरकार द्वारा नई प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में परिवर्तन किये जाने पर लगी रोक के कारण थानों को निरीक्षक स्तर के थाने में परिवर्तित किया जाना सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् में भवन एवं भूखण्डों के विरूद्ध विधायकों द्वारा जमा किया गया रजिस्ट्रेशन शुल्क

52-श्री रामकरन आर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद् में भवन आवंटित करने के लिये कितने विधायकों का रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा है ? सरकार आवास विकास परिषद् में रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने वाले विधायकों को कब तक भवन उपलब्ध करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में दिनांक 3-3-2005 की स्थिति के अनुसार भवनों के विरूद्ध 05 तथा भूखण्डों के विरूद्ध 50 कुल 55 विधायकों ने पंजीकरण शुल्क जमा किया है।

विधायकों द्वारा कराये गये पंजीकरण के विरूद्ध सम्पत्ति की उपलब्धता होने पर परिषद् के नियमों एवं शासनादेशों के तहत आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में नगर निगमों के आय-स्रोत एवं इसके घाटे को दूर करने के उपाय

53-श्री बादशाह सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगर निगमों के मुख्य आय-स्रोत क्या हैं ? वर्तमान समय में कितने नगर निगम घाटे में और कितने लाभ में हैं ? घाटे में चल रहे नगर निगमों की अनियमितताओं को दूर करने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं ? लखनऊ नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2002-2003 तथा 2004-2005 में (अलग-अलग) अनियमितताओं के कितने मामले पांच लाख रूपये से अधिक के पाये गये तथा दोषी पाये गये कितने लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इन नगर निगमों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को निजी क्षेत्र में देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

नगर निगमों के मुख्य आय के स्रोत गृहकर, वाहनकर, विज्ञापन कर, जलकर, जलमूल्य, लाईसेन्स फीस, ठेका, तहबजारी आदि है।

समस्त नगर निगम सम्प्रति राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संकलित धनराशि सम्मिलित करते हुए घाटे में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नगर निगम, लखनऊ में आडिट आपत्तियों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2002-03 तथा 2004-05 में रूपये 5.00 लाख से अधिक अनियमितताओं का कोई मामला नहीं पाया गया।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रकरण शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर नगर निगम में हाटमिक्स प्लान्ट से निर्मित सड़कों एवं व्यय की गयी धनराशि

54-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 में हाटमिक्स प्लान्ट से कौन-कौन सी सड़कें बनवाई गयीं तथा उन पर कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या यह सही है कि इन सड़कों पर अत्यन्त अल्पकाल में अनुरक्षण कार्य भी कराया गया है ? यदि हां, तो अनुरक्षण कार्य हेतु किन-किन सड़कों पर कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

नगर निगम, गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 में हाटमिक्स प्लान्ट से सड़कों पर किये गये सुधार कार्य एवं उन पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण *संलग्न है।

संलग्न सूची के क्रमांक-10 पर अंकित गोलघर चौक से गणेश चौक तक कराये गये सड़क सुधार मे दो स्थानों पर हुई सीवर कटिंग का तथा क्रमांक-21 पर अंकित खजांची चौक से भगवानपुर जाने वाली सड़क का, वर्षा काल में खराब हो जाने के कारण, अनुरक्षण कार्य कराया गया। अनुरक्षण कार्य ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से किया गया है।

अनुरक्षण पर नगर निगम द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

प्रदेश के निदेशालयों की भांति निदेशालय मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0 प्र0 इलाहाबाद में 5 दिवसीय सप्ताह लागू करने की मांग

55-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने दि0 1-11-2004 से प्रदेश के निदेशालयों में कार्य हेतु 5 दिवसीय सप्ताह लागू कर दिया है ? यदि हां, तो क्या इसे निदेशालय, मुद्रण एवं लेखन

---

*देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 156 पर।

सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में लागू नहीं किया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में राजकीय मुद्रणालय संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश का पत्र दिनांक 6-11-2004 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 1-11-2004 से उत्तर प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों (शिक्षण, बैंकिंग संस्थाओं, उत्पादकता से जुड़े सरकारी विभाग तथा वाणिज्यिक उपक्रमों को छोड़कर) में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया गया है, जिसमें निदेशालय भी सम्मिलित है।

जी हां।

जी हां।

उक्त पत्र पर सम्यक विचार किया गया। विचारोपरान्त निदेशालय, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद के उत्पादकता से जुड़े होने के कारण उक्त कार्यालय में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

लखनऊ नगर निगम में कार्यरत अस्थाई एवं स्थायी सफाई कर्मचारियों की संख्या एवं इनको स्थाई करने की मांग

56-श्री रामकरन आर्य–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम में कितने सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं? इसमें कितने स्थायी हैं, और कितने अस्थाई हैं? अस्थाई सफाई कर्मचारियों को कब तक स्थाई कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

लखनऊ नगर निगम में कुल सफाई कर्मचारियों की संख्या 2164 है।

लखनऊ नगर निगम में वर्ष 1985 से 204 कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया था। शेष सफाई कर्मचारी अस्थायी है।

अस्थायी सफाई कर्मचारियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के समर विहार कालोनी आलमबाग में पार्क एवं जलाशय का निर्माण करने की मांग

57-श्री पूर्णमासी देहाती–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समर विहार कालोनी, आलमबाग, लखनऊ एवं उसके आसपास भीषण पेयजल संकट को दूर करने के लिये समर विहार कालोनी के पार्क में एक अदद जलाशय का निर्माण कार्य शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त कार्य आरम्भ करने के पश्चात् रोक दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त कार्य पुनः कब प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रवि प्रताप सिंह परिहार कार्यवाहक महाप्रबंधक जल संस्थान के गृह जनपद में तैनाती का कथित प्रकरण

58-डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यवाहक महाप्रबन्धक जल संस्थान, बांदा श्री रवि प्रताप सिंह परिहार जो महोबा जनपद के मूल निवासी हैं, गृह जनपद पर विगत सात वर्षों से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या इनको अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी नहीं। श्री रवि प्रताप सिंह परिहार कार्यवाहक महाप्रबंधक के पद पर जल संस्थान चित्रकूट धाम मंडल बांदा (मुख्यालय बांदा) में मई, 2000 से तैनात हैं। अभिलेखों के अनुसार श्री परिहार का गृह जनपद हमीरपुर है, जिससे स्पष्ट है कि श्री परिहार गृह जनपद पर तैनात नहीं हैं।

वर्तमान स्थानान्तरण नीति से आच्छादित न होने के कारण फिलहाल स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक नहीं है।

जनपद गोरखपुर में मानक के अनुसार सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग

59-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी मानक के अनुसार नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो मानक के अनुसार नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी नहीं।

नगर स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति एवं प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत नई नियुक्ति न कर, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर संविदा पर सफाई कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम गोरखपुर द्वारा हाटमिक्स पिच सड़कों की गुणवत्ता निर्धारण की शर्तें

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर निगम द्वारा बनवाई जा रही पिच तथा हाटमिक्स पिच सड़कों को टेण्डर विज्ञापित करते समय सड़कों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई शर्तें निर्धारित करती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

कार्य की मात्राएं एंव विशिष्टियां बिल आफ क्वान्टिटी के रूप में टेण्डर के साथ बेची जाती है।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अनेकों ब्लाकों व गांवों मे बन्द पड़ी पानी की टंकियों को ठीक करा कर चालू कराने की मांग

61-श्री कौशल किशोर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के पुरवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की पानी की टंकी, असोहा ब्लाक के चन्द्र खेड़ा जोरावरगंज पहासा, बरवाखुर्द तथा ब्लाक हिलौली में ग्राम सन्दाना, ठकुराइन खेड़ा व सगौली तथा ब्लाक पुरवा के ग्राम तिरपुरारपुर सर्वदीन खेड़ा पानी की टंकियां काफी अरसे से बन्द होने के कारण स्थानीय जनता को पेयजल के अभाव में अत्यधिक कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पानी की टंकियों को ठीक कराकर पानी की आपूर्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जनपद-उन्नाव के पुरवा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल योजना की पानी की टंकियों की स्थिति निम्नवत् है :--

1-विकास खण्ड- असोहा के ग्राम चन्द्रखेड़ा मे विद्युत बोल्टेज कम होने के कारण पानी की टंकी बन्द है।

2-विकास खण्ड- असोहा के ग्राम जोरावरगंज में विद्युत बोल्टेज कम होने के कारण पानी की टंकी बन्द है।

3-विकास खण्ड- असोहा के ग्राम पहासा में एक नलकूप आंशिक चालू है, एक नलकूप विद्युत बोल्टेज समस्या के कारण बन्द है, कुछ स्थानों पर पाइप लाइन मरम्मत का कार्य शेष है।

4-विकास खण्ड- असोहा के ग्राम बरआखुर्द में एक नलकूप आंशिक चालू है, एक नलकूप विद्युत बोल्टेज समस्या के कारण बन्द है, कुछ स्थानों पर पाइप लाइन मरम्मत का कार्य शेष है।

5-विकास खण्ड- हिलौली के ग्राम सन्दाना में बोल्टेज समस्या दूर करने के कारण पानी की टंकी चालू की गयी परन्तु काफी समय से बन्द रहने के कारण पाइप में जगह-जगह चोकेज के कारण आंशिक चालू है।

6-विकास खण्ड- हिलौली के ग्राम ठकुराइन खेड़ा बोल्टेज समस्या दूर करने के कारण पानी की टंकी चालू की गयी परन्तु काफी समय से बन्द रहने के कारण पाइप में जगह-जगह चोकेज के कारण आंशिक चालू है।

7-विकास खण्ड- हिलौली के ग्राम सगौली जौन-II में पानी की टंकी अभी निर्माणाधीन ही होने के कारण बन्द होने की स्थिति नहीं है।

8-विकास खण्ड- पुरवा के ग्राम त्रिपुरारपुर में विद्युत बोल्टेज कम होने के कारण नलकूप नहीं चल पा रहा है तथा टेस्टिंग न होने के कारण अपूर्ण है।

9-विकास खण्ड- हिलौली के ग्राम सवदीनखेड़ा में धनाभाव के कारण कार्य गतवर्ष बन्द रहने पर पाइप लाइन टेस्टिंग का कार्य बन्द रहने/प्रभावित होने के कारण जलापूर्ति नहीं हो रही है। वर्तमान में टेस्टिंग के अन्तर्गत है।

विकास खण्ड- असोहा के चन्द्रखेड़ा व जोरावरगंज तथा विकास खण्ड-पुरवा के सवादीन खेड़ा में कम बोल्टेज की समस्या को दूर कराकर पेयजलापूर्ति उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा। अपूर्ण टंकियों/कार्यों को धनराशि की उपलब्धता के आधार पर पूरा कराया जायेगा।

विद्युत समस्या का निवारण से जुड़ा होने के कारण कोई समय सीमा वर्तमान में दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज के विकास खण्ड पनियरा में खराब पड़े इण्डिया मार्का हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की मांग

62-श्री फतेह बहादुर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड-पनियरा, जनपद-महाराजगंज में अधिकांश इण्डिया मार्का हैण्डपम्प खराब हैं ? यदि हां, तो क्या उन इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की मरम्मत करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जनपद-महाराजगंज के विकास खण्ड-पनियरा में कुल 2245 हैण्डपम्प स्थापित हैं, जिसमें से 162 हैण्डपम्प खराब हैं, जिनका विवरण निम्नांकित है :--

कुल खराब हैण्डपम्पों की संख्या	162
उनमें रिबोर योग्य हैण्डपम्पों की संख्या	80
तथा सामान्य मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों की संख्या	82

जी हां।

स्थाई रूप से खराब 80 हैण्डपम्पों में से 45 हैण्डपम्प रिबोर करके चालू किये जा चुके हैं। शेष 35 रिबोर योग्य हैण्डपम्प धन की व्यवस्था होने पर आगामी वित्तीय वर्ष में तथा सामान्य रूप से खराब 82 हैण्डपम्पों को सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा अप्रैल, 2005 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज की नगर पंचायत सिसवां में जलमूल्य के निर्धारण में अनियमितता

63-श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-महाराजगंज की नगर पंचायत सिसवां द्वारा निर्धारित जलमूल्य से अधिक मूल्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिये दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी नहीं।

नगर पंचायत सिसवां जनपद महाराजगंज द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में दिनांक 6-4-2003 से जनता की मांग पर शासन द्वारा निर्धारित दर रू0 30/-प्रतिमाह के बजाय 29/-प्रतिमाह प्रति कनेक्शन की दर से लिया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद महारागंज की नगर पंचायत सिसवां में अनियमित नियुक्तियों की जांच

64-श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद महाराजगंज की नगर पंचायत सिसवां में अनियमित नियुक्तियां की जाने की जांच अपर जिलाधिकारी, महाराजगंज द्वारा की जा रही है ? क्या यह सही है कि जांच में 21-07-03 को सभासदों के बयान दर्ज किये गये थे ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में दोषी के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी हां।

जी हां।

जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित जांच आख्या शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है। परीक्षणोपरान्त नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वाराणसी नगर निगम सीमा के विस्तार हेतु प्रस्ताव

65-श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर निगम सीमा के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या विस्तारित की जाने वाली सीमा में नागरिकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के थाना भेलुपुर में नगर निगम के पूर्व सभासद तथा पार्षद श्री शैलेन्द्र यादव व अन्य के विरूद्ध पंजीकृत मुकदमा

66-श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में थाना भेलुपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व सभासद तथा वाराणसी नगर निगम के पार्षद शैलेन्द्र यादव तथा अन्य के विरूद्ध दर्ज अपराध सं0 125/2002 को वापस लिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री विधायक प्रकोष्ठ का पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम-115697/2004, दिनांक 27-12-2004 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

समुचित विचारोपरान्त उक्त वाद को वापस नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में नाविक एवं मल्लाहो को जल पुलिस में नियुक्ति देने विषयक पत्र

67-श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डूबते हुए लोगों के प्राण बचाने में दक्ष नाविक एवं मल्लाहों (गोताखोर) को जल पुलिस में नियुक्ति देने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री विधायक प्रकोष्ठ का पत्रांक सी0एम0वि0को0/एम-114551/2004, दिनांक 6-12-04 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां। मा0 सदस्य का उक्त संदर्भित पत्र जो जल पुलिस में नाविक एवं गोताखोरों, मल्लाहों को नियुति देने एवं डूबते हुए लोगों की जान बचाने के एवज में पुरस्कृत किये जाने के विषय में है तथा जो श्री सतीश चन्द्र निषाद, निवासी ग्राम महुआरी पोस्ट कावर जिला वाराणसी के प्रार्थना पत्र को संलग्न करते हुये है, मुख्य मंत्री विधायक प्रकोष्ठ से समुचित कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र पर पुलिस महानिदेशक से आख्या प्राप्त की गयी है जिसमें इंगित किया गया है कि नाविकों एवं मल्लाहों (गोताखोर) को पुलिस विभाग में भर्ती करने के संबंध में पृथक से कोई प्राविधान नहीं है। आवश्यकतानुसार नाविकों एवं मल्लाहों (गोताखोर) से दैनिक पारिश्रमिक पर समय-समय पर जनपद के जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार कार्य कराया जाता है और कार्य समाप्ति पर उन्हें वापस कर दिया जाता है। पुरस्कार या अन्य सहायता के संबंध में कार्यवाही जिलाधिकारी स्तर से की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने की नीति एवं इसमें आरक्षण का प्राविधान किये जाने की मांग

68-श्री मुंशी लाल गौतम–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस दिये जाने हेतु कोई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त नीति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को लाइसेंस दिये जाने में आरक्षण का प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं। शस्त्र लाइसेंस दिये जाने पर आयुध अधिनियम/नियमावली, जो केन्द्रीय विधान है, के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्णय लिया जाता है अत: इस बारे में प्रदेश द्वारा कोई नीति बनाये जाने एवं उसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण प्रदान किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आये अवर/सहायक अभियन्ताओं को उनके मूल विभाग भेजने विषयक पत्र

69-श्री बाबूराम एम0काम0 तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में ऐसे कितने अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता हैं जो पालिका सेवा में प्रतिनियुक्ति पर 5 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या शासन ने प्रतिनियुक्ति पर मात्र 5 वर्षों की ही समय सीमा निर्धारित की है ? यदि हां, तो 5 वर्षों से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर तैनात अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिकारियों को कब तक अपने मूल विभाग में वापस कर दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि बिना स्वीकृत पद के कितने अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं ? क्या इस सम्बन्ध में हाजी मो0 रिजवान, विधायक का पत्र दिनांक 29-9-04 सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

कोई नहीं।

जी हां।

चूंकि प्रतिनियुक्ति पर विकास प्राधिकरण लखनऊ में कोई अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिकारी तैनात नहीं हैं, अत: वापस किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं, लखनऊ विकास प्राधिकरण में उ0 प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा के अवर अभियन्ता (सिविल) के 38 पद अन्तरित हैं जिनके सापेक्ष 31 अवर अभियन्ता तैनात हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कालपी जनपद जालौन के ग्राम निबहना से उरकरा कला तक निर्मित सड़कों की क्षतिग्रस्त होने संबंधी शिकायती पत्र

70-डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कालपी जनपद जालौन के महेता विकास खण्ड मे ग्राम निबहना से उरकरा कला तक 3.20 कि0मी0 मार्ग का निर्माण कराया गया था ? यह मार्ग जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है तथा पुलिया संकरी होने के कारण पुलिया के दोनों ओर 20-20 फुट सड़क बह गयी थी, जिसे मिट्टी से भरा दिया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क-142487, दिनांक 22-10-03 पर कार्यदायी संस्था के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां।

प्रश्नगत निर्माण कार्य माह जून, 2003 में पूर्ण हो गया था परन्तु पुलिया पूर्व से ही निर्मित थी। सितम्बर 2003 में जनपद जालौन मे आयी भीषण बाढ़ से प्रश्नगत मार्ग को गहन क्षति पहुंची है। चूंकि प्रश्नगत मार्ग दैविक आपदा से क्षतिग्रस्त हुआ है अतएव क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत हेतु संबंधित ठेकेदार को बाध्य नहीं किया जा सकता तथा अनुबन्ध पत्र में भी दैविक आपदा से क्षतिग्रस्त होने पर पुन: निर्माण की शर्त नहीं थी। दैविक आपदा से हुई क्षति की तथ्यात्मक जांच किये जाने हेतु जिलाधिकारी जालौन को निर्देशित कर दिया गया है। जिलाधिकारी की आख्या प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड-बसखारी के समग्र ग्राम शादीपुर में नाली खड़न्जें के निर्माण की मांग

71-श्री जयराम विमल–

क्या अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समग्र ग्राम शादीपुर, विकास खण्ड-बसखारी, जनपद अम्बेडकर नगर में दलित बस्ती को नाली, खड़न्जे द्वारा संतृप्त करा दिया गया है ? यदि हा, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त समग्र ग्राम को कब तक नाली खड़न्जा से संतृप्त किया जायेगा ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

ग्रामवासियों के स्थानीय विवाद के कारण कार्य अवरूद्ध है, जिसके लिये समय-सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

जनपद अम्बेडकर नगर विगत वर्षों में चयनित ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की मांग

72-श्री जयराम विमल–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में वित्तीय वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के चयनित समग्र ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से लेपन स्तर तक जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

जी हां।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा गुरूकुल पब्लिक स्कूल करगुवां, झांसी की बिल्डिंग अवैधानिक रूप से ध्वस्त किये जाने विषयक पत्र

73-श्री रामकरन आर्य–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 10-01-05 के साथ श्री राकेश बिहारी गुप्ता, प्रबन्धक, गुरूकुल पब्लिक स्कूल, करगुवां, झांसी का शिकायती पत्र जो स्कूल की बिल्डिंग को झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैधानिक रूप से ध्वस्त कर दिये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय दिनांक 31-7-2002 के अनुक्रम में सैनिक आवासीय कालोनी हेतु भूमि अर्जन हेतु धारा-4 एवं 6 की अधिसूचना निर्गत की गयी थी। श्री राकेश बिहारी गुप्ता द्वारा बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया जाता रहा। जिसके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के अधीन दिनांक 23-4-2004 को कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी। श्री गुप्ता द्वारा नोटिस तामील न करने की दशा में उक्त नोटिस को स्थल पर ही गवाहान के समक्ष चस्पा कर दिया गया। नोटिस में नियत तिथि दि0 5-6-2004 तक श्री गुप्ता न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही उनके द्वारा निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई अभिलेख आदि प्रस्तुत किया गया।

अत: उक्त अवैध निर्माण के विरूद्ध दिनांक 19-5-2004 को निर्माण हटाने की नोटिस जारी की गयी। अत: निर्माण हटाने की नोटिस जारी किए जाने के तीन माह के उपरान्त दिनांक 23-9-2004 को उक्त निर्माण हटाने की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की गयी। श्री गुप्ता द्वारा उक्त कार्यवाही के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक रिट याचिका दायर की गयी जिसको मा0 न्यायालय ने खारिज कर दिया। श्री गुप्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 प्रस्तुत की गयी जिसको मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 17-12-2004 को निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नति के मानक

74-श्री रामकरन आर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने सब इंस्पेक्टर पुलिस हैं तथा सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर प्रोन्नति के क्या मानक हैं ? क्या मानक के अनुसार जनवरी, 2000 से जनवरी, 2005 तक प्रोन्नति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त प्रोन्नति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 8887 सब इन्सपेक्टर नागरिक पुलिस उपलब्ध हैं निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर नियमित प्रोन्नति हेतु उपनिरीक्षक पद पर चयन वर्ष प्रथम अप्रैल की तिथि को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करना, विगत 10 वर्षों के सेवा अभिलेखों का संतोषजनक होना, विगत 3 वर्षों में कोई गंभीर प्रकृति की परिनिन्दा प्रविष्टि न प्रदान किया जाना तथा विगत 5 वर्षों में सत्यनिष्ठा न रोका जाना आदि मानक हैं।

जी नहीं।

मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका विचाराधीन होने के कारण विशेष अनुज्ञा याचिका के निस्तारण के पश्चात् शीघ्र यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

लखनऊ के कानपुर रोड योजना के सेक्टर-जी में बिजली पोलों पर लाइट जलाने की व्यवस्था की मांग

75-श्री पूर्णमासी देहाती–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के कानपुर रोड योजना के सेक्टर जी में ग्रीनबेल्ट की ओर बने आवासों में एस0एस0-700 के आस-पास बिजली पोलों पर लाइट न जलने के कारण अंधेरा बना रहता है जिससे नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो वहां पर उक्त पोलों पर लाइटें जलाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खॉ–

जी नहीं। जनपद लखनऊ के कानपुर रोड योजना के सेक्टर जी में ग्रीनबेल्ट की ओर बने आवासों में एस0एस0-700 के आस-पास कुल 48 पोल लगे हैं जिनमें से 12 पोलों पर 40 वाट ट्यूब फिटिंग, दो पोलों पर 250 वाट सोडियम फिटिंग तथा 34 पोल रिक्त हैं जिन पर 100 वाट के बल्ब लगे हैं, सभी मार्ग प्रकाश बिन्दु प्रकाशित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के माडल हाउस में बनाये जा रहे कूड़ाघर को छोटा करने विषयक प्राप्त पत्र

76-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि डुडा, लखनऊ के अधीन माडल हाउस लखनऊ में

बनाये जा रहे कूड़ाघर को छोटा करने के सम्बन्ध में सुश्री सुनीता सिंघल पार्षद का पत्र दिनांक 27-1-2004, 12-4-2004, 16-5-2004, 30-5-2004, 15-6-2004 एवं 11-7-2004 जो जिलाधिकारी, लखनऊ नगर प्रमुख, नगर निगम लखनऊ, डूडा इंचार्ज लखनऊ को सम्बोधित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी हां।

पत्रों का संज्ञान लिया गया। मो0 माडल हाउस में सैयद बाबा की मजार एवं मैक्सएड एकेडमी स्कूल के समीप स्थित पुराना कूड़ाघर मुख्य डामरीकृत मार्ग एवं नाले के ऊपर होने के दृष्टिगत 4.46x10.96 मी0 की साइज में आधुनिक कूड़ाघर के निर्माण हेतु नगर निगम, लखनऊ से अनापत्ति प्राप्त की गई थी। अत: नीव डालने के बाद लम्बाई घटाने की बात तथ्यात्मक नहीं है। मूल प्रस्ताव में कूड़ाघर की साइड में छोटा गेट लगाया जाना प्रस्तावित था, परन्तु श्री विनोद सिंघल एवं स्थानीय जनता की आपत्ति तथा यातायात में संभावित अवरोध के दृष्टिगत साइड में गेट नहीं लगाया गया। वहीं पीछे की तरफ श्री राजीव साहू के आवास एवं मैक्सएड एकेडमी स्कूल का मुख्य द्वार होने से आपत्ति के कारण पीछे की तरफ गेट नहीं लगाया गया। स्थल पर निर्मित आधुनिक कूड़ाघर वर्तमान में उपयोग में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली में नवसृजित वि0 खं0 रोहनियां के कार्यालय भवन का निर्माण का कार्य पूर्ण कराने की मांग

77-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में नवसृजित वि0 खं0 रोहनियां के भवन का निर्माण कार्य अधूरा है? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां। विकास खण्ड रोहनियां के कार्यालय भवन का निर्माण अभी नहीं हुआ है। इस हेतु जिला योजना में परिव्यय स्वीकृत कराया जा रहा है। परिव्यय स्वीकृत होने तथा प्रस्ताव प्राप्त होने पर धनराशि स्वीकृत कर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

जनपद रायबरेली की नगर पंचायत ऊंचाहार में नवनिर्मित टंकी से जलापूर्ति की मांग

78-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली की नगर पंचायत ऊंचाहार में पेयजल समस्या के निदान हेतु पानी की टंकी और पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो गया है ? यदि हां, तो उक्त नवनिर्मित टंकी से नगर पंचायत ऊंचाहार को जल की आपूर्ति कब तक प्रारम्भ कर दी जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी हां।

प्रश्नगत योजना की टेस्टिंग एवं इन्टर कनेक्शन का कार्य प्रगति पर है, जो मार्च, 2005 में पूर्ण हो जायेगा तत्पश्चात् जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सुश्री रेखा रैदास, गांव मकटी पहरा, थाना पहाड़ी, जनपद चित्रकूट के साथ बलात्कार की दर्ज रिपोर्ट

79-डा0 सुशील चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25-09-03 को सुश्री रेखा रैदास गांव मकटी पहरा, थाना पहाड़ी, जनपद चित्रकूट के साथ श्री रामकेस यादव द्वारा बलात्कार किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अभी तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वादी मुकदमा श्री कोदू पुत्र मलका (अनुसूचित जाति) नि0 ग्राम-मकरी पहरा, थाना-पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना-पहाड़ी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई कि उसकी पुत्री रेखा के साथ अभियुक्त रामकेश यादव पुत्र मंगल यादव नि0 मकरी पहरा, थाना-पहाड़ी जनपद-चित्रकूट द्वारा दिनांक 25-09-2003 को बलात्कार किया गया। इस पर मु0अ0सं0-52/03 पंजीकृत कर क्षेत्राधिकारी से विवेचना सम्पन्न करायी गयी।

उक्त दोषी अभियुक्त को दि0 01-10-2003 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस अभियोग की विवेचना में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त रामकेश के विरूद्ध दिनांक 16-10-2003 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद महोबा, ग्राम कुडार खरेला के श्री खेमचन्द्र की पत्नी की गोलीमार कर की गयी हत्या के दर्ज मुकदमें पर कृत कार्यवाही

80-डा0 सुशील चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री खेमचन्द्र ग्राम कुडार खरेला, जनपद-महोबा की पत्नी की घर में घुसकर श्री चरन सिंह, सुभाष, जवाहर द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गई थी ? जिसका मुकदमा अ0 सं0 87-04 धारा 302, 307, 504 भा0दं0सं0 एवं एस0टी0/एस0सी0 अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

थाना-खरेला, जनपद-महोबा में मु0अ0सं0-87/04 धारा 302, 307, 504 भा0दं0वि0 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का पंजीकृत हुआ था। फलस्वरूप वाद विवेचना आरोप पत्र सं0 20/04 दिनांक 27-5-04 को न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से आला कतल व तमंचा बरामद होने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध मु0अ0सं0-94/95/04 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। उक्त के अतिरिक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध मु0अ0सं0-193/04 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत होकर वाद विवेचना आरोप पत्र सं0 45/2004 दिनांक 03-12-2004 को न्यायालय प्रेषित किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

लखनऊ के थाना माल के ग्राम बनौरा की श्रीमती ममता देवी के साथ बलात्कार की शिकायत की जांच

81-डा0 सुशील चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 15-03-2002 को श्री राजू उपाध्याय द्वारा श्रीमती ममता देवी ग्राम बनौरा, थाना-माल लखनऊ के साथ बलात्कार करने का प्रयास किये जाने सम्बन्धी प्रकरण की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है? क्या जांच पूरी कर ली गई है? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या हैं तथा जांच परिणाम के आधार पर दोषी के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 15-3-02 को श्री राजू उपाध्याय, द्वारा श्रीमती ममता देवी ग्राम बनौरा, थाना-माल के साथ बलात्कार करने का प्रयास किये जाने सम्बन्धी प्रकरण की जांच उपनिरीक्षक द्वारा की गयी तो ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में आना नहीं पाया गया। इस नाम पते की कोई महिला उक्त गांव में नहीं रहती है। थाना-माल के अभिलेखों में भी देखा गया तो उक्त महिला के साथ बलात्कार एवं छेड़छाड़ का कोई भी प्रमाण नहीं पाया गया है।

पुलिस मुख्यालय (डी0जी0पी0) कार्यालय से प्रदेश के अनेक जिलों से सम्बद्ध पुलिस उपनिरीक्षक को उनके मूल तैनाती पर वापस करने की मांग

82-श्री रविन्द्र पुण्डीर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी बाराबंकी, हरदोई आदि जिलों के कितने ऐसे पुलिस उपनिरीक्षक हैं जो पुलिस मुख्यालय (डी0जी0पी0) कार्यालय में सम्बद्ध हैं ? पुलिस उपनिरीक्षक को सम्बद्ध करने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार इन्हें अपनी मूल तैनाती पर वापस करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पुलिस मुख्यालय (डी0जी0पी0) कार्यालय में विभिन्न जनपदों/इकाईयों के कुल 28 उपनिरीक्षक सम्बद्ध हैं।

प्रदेश की शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस मुख्यालय में सम्बद्ध उपनिरीक्षकों द्वारा महत्वपूर्ण/संवेदनशील कार्यों में प्रभावी भूमिका निभाई जा रहीं है।

इन उपनिरीक्षकों को समय-समय पर अलग-अलग जनपदों से आवश्यकतानुसार मुख्यालय में विशेष डियूटी हेतु सम्बद्ध किया जाता है। किसी उपनिरीक्षक को मुख्यालय से सम्बद्ध होने में कठिनाई होने की दशा में उन्हें उनके मूल नियुक्ति के जनपद/इकाई में वापस कर दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़, विकास खण्ड पवई, ग्राम खंडौरा में इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगवाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

83-श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम शरणदास, सदस्य, विधान परिषद् का पत्रांक 19073 दिनांक 24-12-2004 जो कि जिलाधिकारी, आजमगढ़ को संलग्नकों सहित प्रेषित है, ग्राम खंडौरा, विकास खण्ड पवई, जनपद आजमगढ़ में इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां।

जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा उक्त पत्र अधिशासी अभियंता, उ0 प्र0 जल निगम, आजमगढ़ को प्रेषित किया गया। जल निगम के अधिकारी द्वारा पत्र में इंगित दोनों स्थलों का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि दोनों स्थलों पर आबादी नहीं है। प्रश्नगत ग्राम में सभी मजरे हैण्डपम्पों से संतृप्त हैं, इसलिये प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में इंदिरा आवासों में शौचालयों का निर्माण

84-श्री मुंशीलाल गौतम–

क्या ग्राम्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद बुलन्दशहर में बनाये गये इन्दिरा आवासों में शौचालयों का निर्माण कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां। जनपद बुलन्दशहर में इंदिरा आवासों में शौचालयों का निर्माण कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के थाना सरोजनीगर में श्रीमती सावित्री के पति की हत्या का दर्ज मुकदमा

85-श्री कौशल किशोर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के थाना सरोजनीनगर में श्रीमती सावित्री के पति की हत्या जून, 2003 में हुई थी जिसका मु0अ0सं0 145/03 धारा 302/201 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत नामजद दर्ज है ? यदि हां, तो क्या नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 27-5-03 को वादिनी श्रीमती सावित्री देवी, पत्नी स्व0 रामानन्द यादव नि0 कमलापुर थाना बन्थरा, लखनऊ की लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0-145/03 धारा 302/201 भा0दं0वि0 थाना-सरोजनीनगर, लखनऊ में कायम किया गया है। विवेचना से अभियोग में हत्या न पाकर सड़क दुर्घटना होने के कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी किन्तु अपर पुलिस अधीक्षक, नगर पूर्वी के आदेशानुसार अन्तिम रिपोर्ट रोककर विवेचना को तत्काल प्रभाव से प्रभारी निरीक्षक थाना-हुसैनगंज के सुपुर्द कर दी गयी है। विवेचना वर्तमान में प्रचलित है।

जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक शिकारपुर तथा पहासू में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने की मांग

86-श्री मुंशी लाल गौतम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगजनी से बचाव हेतु क्या जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक शिकारपुर तथा पहासू में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक शिकारपुर तथा पहासू में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

87-श्री मिथलेश कुमार–

[दिनांक 3-3-2005 के अता0 प्र0 सं0 129 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ के नगर सहकारी बैंक लि0 में हुए घोटाले विषयक शिकायती पत्र

88-श्री जयराम विमल–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी नगर सहकारी बैंक लि0 लखनऊ में हुए करोड़ों रूपये के घपलों/घोटालों के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र यादव स0वि0स0 एवं श्री मो0 इरशाद खान,

सदस्य, विधान सभा का शिकायती पत्र दि0 22-9-04, दि0 23-9-04, 35 संलग्नकों सहित निबन्धक, सहकारिता, उ0 प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल–

जी हां।

जांच पूर्ण हो गयी। जिन बिन्दुओं पर अनियमितता पायी गयी, उसमें दोषी निदेशक मंडल के विरूद्ध उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-35 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के जिलाधिकारी कार्यालय में शस्त्र लाइसेन्स के लम्बित प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की मांग

89-श्री मुंशी लाल गौतम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी बुलन्दशहर कार्यालय में दिसम्बर, 2004 तक कुल कितने प्रार्थना-पत्र शस्त्र लाइसेंस हेतु लम्बित थे ? उनमें से कितनों के शस्त्र लाइसेन्स जारी किये गये ? क्या शासन द्वारा लाइसेन्स निस्तारण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद बुलन्दशहर में दिसम्बर, 2004 तक प्राप्त 1907 आवेदन-पत्रों मे से 959 आवेदन-पत्रों का निस्तारण किये जाने के बाद 948 शस्त्र लाइसेंस आवेदन-पत्र शेष थे।

उनमें से 36 आवदेन-पत्रों पर पुलिस की आख्या एवं संस्तुति प्राप्त हुई है जिनका निस्तारण यथा-समय तीन माह में किया जाना अपेक्षित है।

प्रदेश के जल संस्थाओं/जलकलों के पी0एस0एस0/पी0एच0एस0 को अवर अभियन्ता का वेतनमान दिये जाने पर विचार

90-श्री कौशल किशोर तथा

श्री ठाकुर मूलचन्द चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समान कार्य हेतु समान वेतन के अन्तर्गत, विभिन्न जल संस्थाओं/जलकलों में कार्यरत पी0एस0एस0/पी0एच0एस0 को अवर अभियन्ता का वेतनमान दिये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी हां, किन्तु प्रश्नगत प्रस्ताव पर समान कार्य हेतु समान वेतन के सिद्धान्त के आधार पर नहीं बल्कि दोनों के कार्य एवं दायित्व, शैक्षिक अर्हता, भर्ती का स्रोत/प्रक्रिया आदि के आधार पर विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव पर वित्त विभाग की संस्तुति अभी तक प्राप्त नहीं हुयी है।

वित्त विभाग की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त विभाग द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

लखनऊ की केसरबाग व चौक कोतवाली को आदर्श कोतवाली बनाये जाने का विचार

91-श्री रविन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में स्थित कोतवाली कैसरबाग एवं चौक को आदर्श कोतवाली बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार आदर्श कोतवाली में तैनात पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देकर तैनात करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में स्थित कोतवाली कैसरबाग एवं चौक को आदर्श कोतवाली बनाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद जौनपुर, थाना सुजानगंज, गांव गहरापारा की कुमारी अनीता के साथ बलात्कार की शिकायत

92-डा0 सुशील चौधरी–

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जनपद-जौनपुर की निवासी कुमारी अनीता उम्र 17 वर्ष गांव गहरा पारा सुजानगंज के साथ 25-08-2004 को रात लगभग 10 बजे दो लोगों ने मुंह बांधकर बलात्कार किया था ? क्या यह सही है कि उक्त घटना की रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि कुछ समय पश्चात् पीड़ित की मृत्यु हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी थाना प्रभारी के विरूद्ध अपराध पंजीकृत कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां। श्री राम वृक्ष सरोज पुत्र रामफेर सरोज, जो कु0 अनीता के पिता है, की लिखित सूचना से विदित हुआ कि उक्त कु0 अनीता के साथ दि0 25-8-04 की रात लगभग 10.30 बजे हीरा लाल दुबे ने दुष्कर्म किया था।

जी नहीं।

श्री रामवृक्ष सरोज पुत्र रामफेर सरोज, जो कु0 अनीता के पिता हैं, की लिखित सूचना पर तत्कालीन थानाध्यक्ष, सुजानगंज, जौनपुर द्वारा मु0अ0सं0-310/2004 धारा 376 भा0दं0वि0 व 3(1)2 अनु0 जाति/अनु0जनजाति अत्याचार निवारण अधि0 हीरा लाल दुबे पुत्र श्री तीरथ दुबे, ग्राम

गहरपारा, थाना- सुजानगंज, जौनपुर एवं एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। साक्ष्य के आधार पर धारा-306 भा0द0वि0 की वृद्धि करते हुए अभियुक्त हीरालाल दुबे को गिरफ्तार कर दिनांक 09-9-04 को जेल भेजा गया। अज्ञात अभियुक्त का पता नहीं चल सका।

पीड़िता कुमारी अनीता की मृत्यु दिनांक 27-8-04 को जिला चिकित्सालय में हो गयी।

अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) द्वारा प्रारम्भिक जांच की जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बांदा, थाना बदौसा के गांव पोहार की श्रीमती श्यामा के बलात्कारी के विरूद्ध कार्यवाही की मांग

93-डा0 सुशील चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती श्यामा दलित उम्र 35 वर्ष गांव पोहार, बदौसा, जिला-बांदा के साथ दि0 12-01-2002 को गुड्डू तिवारी नामक व्यक्ति ने रात लगभग 12 बजे घर में घुस कर तमंचे की नोक पर बलात्कार किया था ? यदि हां, तो क्या दोषी के विरूद्ध अपराध पंजीकृत करके क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 12-01-2002 को वाहिनी श्रीमती श्यामकली पत्नी ननकू चमार निवासी ग्राम देवखीर मौजा पोहार, थाना-बदौसा की तहरीरी सूचना पर थाना-बदौसा पर मु0अ0सं0-10/2002 धारा 452/354/506 भा0दं0वि0 व 3 (1)10 एस0सी0/एम0टी0 एक्ट विरूद्ध गुड्डू तिवारी पुत्र वगली तिवारी निवासी ग्राम देवखीर मौजा पोहार, थाना-बदौसा व एक अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पंजीकृत हुआ विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अतर्रा द्वारा की गई। विवेचना से ज्ञान पुत्र जागेश्वर मिश्रा निवासी ग्राम- पारा थाना-विसण्डा जनपद-बांदा भी प्रकाश में आया। अभियुक्त गुड्डू दिनांक 30-01-2002 को हाजिर अदालत हुआ तथा अभियुक्त ज्ञान दिनांक 8-02-2002 को गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध वाद विवेचना आरोप पत्र सं0 02 दिनांक 9-2-02 को न्यायालय प्रेषित किया गया।

प्रदेश के थानों में थानाध्यक्षों की तैनाती हेतु आरक्षण नीति

94-श्री जियाउद्दीन रिजवी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थानों में थानाध्यक्षों की तैनाती हेतु शासन द्वारा कोई आरक्षण नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं दलित एवं सामान्य वर्ग के लिये वह नीति क्या है ? क्या यह सही है कि जनपद बलिया के थानों पर एक भी दलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग के थानाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त जनपद के थानों में आरक्षण नीति के अनुसार थानाध्यक्षों की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

थानाध्यक्षों की तैनाती के सम्बन्ध में अल्पसंख्यक के लिये 5 प्रतिशत, पिछड़ी जाति के लिये 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये 20 प्रतिशत एवं सामान्य जाति के लिये 50 प्रतिशत की व्यवस्था है।

जी नहीं। जनपद बलिया में अल्पसंख्यक वर्ग के 03 थानाध्यक्ष नियुक्त है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के उपनिरीक्षक की जनपद में अनुपलब्धता के कारण दलित वर्ग का थानाध्यक्ष नियुक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

पी0जी0आई0 लखनऊ में ह्रदय आपरेशन कराने हेतु श्री रामनाथ यादव को सहायता हेतु धनराशि स्वीकृत कराये जाने की मांग

95-श्री राम करन आर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-4 में पत्र संख्या म-211/04 के द्वारा पी0जी0आई0, लखनऊ में इलाज करा रहे श्री रामनाथ यादव ह्रदय आपरेशन कराने के लिये सहायता हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु मामला लम्बित है ? यदि हां, तो इनको कब तक धन स्वीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

पत्र संख्या-म-211/04 श्री रामनाथ यादव के सम्बन्ध में है जिन्हें मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्रा) की धनराशि उपचार हेतु स्वीकृत कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज से होकर गुजरने वाली बौद्ध परिपथ योजना की सड़क की आंशिक दिशा परिवर्तित करने विषयक पत्र

96-श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बौद्ध परिपथ योजना द्वितीय चरण में जनपद-महाराजगंज से होकर गुजरने वाली सड़क को आंशिक दिशा परिवर्तित करने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्रांक 357 दि0 7-4-98 महानिदेशक, पर्यटन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, पर्यटन मंत्री (श्री कौकव हमीद)–

जी हां।

राज्य सेक्टर में बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत पिपरहवा-कुल्हुई-वनरसिया-घुघली-कुशीनगर मार्ग के

चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 45.09 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है। लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार किये गये आगणन के अनुसार उक्त मार्ग निम्नवत है :--

लोटन-कुल्हुई-एकसढ़वा-चानकीघाट-बागापार-झनझनपुर-सिन्दुरिया-शिकारपुर-घुघली-कप्तानगंज-हाटा।

सिन्दुरिया उक्त स्वीकृत मार्ग में सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज में अधूरी परियोजना को पूर्ण कराने के उपाय

97-[illegible]

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के बीच स्वीकृत कितनी ग्रामीण समूह पेयजल योजनायें अधूरी पड़ी हैं ? जनपद महाराजगंज में अधूरी परियोजना को पूर्ण कराने के क्या उपाय किये गये हैं ? क्या उक्त जनपद की अधूरी योजनायें पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

वित्तीय वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के बीच स्वीकृत कुल 155 ग्रामीण समूह पेयजल योजनाएं अधूरी पड़ी हैं।

जनपद-महराजगंज में अधूरी पड़ी 02 योजनाएं क्रमश: मिठौरा ग्राम समूह पेयजल योजना तथा ठूंठीबारी ग्राम समूह पेयजल योजना को पूर्ण कराने के लिए निम्न उपाय किये गये हैं :--

1- मिठौरा ग्राम समूह पेयजल योजना पर चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 में रू0 20.00 लाख की धनराशि का प्राविधान जिला योजना में किया गया है। पम्प गृह एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। पाइप आदि की व्यवस्था की जा रही है।

2- ठूंठीबारी ग्राम समूह पेयजल योजना पर चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 में कोई बजट प्राविधान नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2005-06 की जिला योजना में उक्त योजनाओं को पूर्ण करने हेतु क्रमश: 45.82 लाख एवं 76.16 लाख की धनराशि प्रस्तावित है। जिसका जिला समन्वय एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

वित्तीय वर्ष 2005-06 की जिला योजना में बजट प्राप्त हो जाता है उस स्थिति में उक्त दोनों अधूरी योजनाओं को माह दिसम्बर, 2006 तक पूर्ण करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय कालोनी सेक्टर-डी, जानकीपुरम्, लखनऊ में निवासित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के पश्चात् आवास खाली कराने की मांग

98-श्री जगदीश नारायण राय–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय कालोनी सेक्टर-डी, जानकीपुरम्, लखनऊ में टाइप-4 में निवास कर रहे कई अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण अन्य जिलों में हो जाने एवं उनके द्वारा

सम्बन्धित जिलों में कार्यभार ग्रहण कर लेने के उपरान्त क्या उक्त कालोनी के आवंटित आवास उनसे खाली करा लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ऐसे आवासों को खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राजकीय कालोनी सेक्टर-डी, टाइप-4 जानकीपुरम्, लखनऊ में निवास कर रहे केवल दो अधिकारियों जिनका अन्य जिलों में स्थानान्तरण हो गया है, से आवास रिक्त नहीं कराया जा सका है।

संगत नियमों के अन्तर्गत स्थानान्तरण के एक माह पश्चात् आवास रिक्त न करने पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूगृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम-1972 की धारा-04 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी के न्यायालय में बेदखली वाद दायर करके बेदखली के आदेश प्राप्त करने की कार्यवाही की जाती है। उक्त दोनों अधिकारियों के विरूद्ध विहित प्राधिकारी न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 15-12-2004 तथा 18-2-2005 को बेदखली आदेश पारित किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूगृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम-1972 की धारा-5(2) के अनुसार बेदखली आदेश तामीली के 30 दिन के अन्दर आवास रिक्त न करने पर माननीय विहित प्राधिकारी न्यायालय के आदेश प्राप्त कर बलपूर्वक आवास रिक्त कराने की व्यवस्था है। एक अधिकारी द्वारा बेदखली आदेश तामीली के 30 दिन के अन्दर आवास रिक्त न करने के कारण विहित प्राधिकारी न्यायालय मे बलपूर्वक आवास रिक्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया गया है। दूसरे अधिकारी के विरूद्ध बेदखली आदेश के तामीली से 30 दिन पश्चात् की समय सीमा अभी समाप्त नहीं हुई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज की नगर पंचायत सिसवा में स्थापित हाईमास्ट की संख्या एवं रख-रखाव की व्यवस्था

99-श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-महाराजगंज की नगर पंचायत सिसवा में कितने हाईमास्ट स्थापित हैं और कौन-कौन सी योजना से लगाये गये हैं ? क्या हाईमास्टों में लगे प्रकाश उपकरण नगर पंचायत की लापरवाही के कारण गायब हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उपकरणों के रख-रखाव की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

नगर पंचायत सिसवां बाजार जनपद महराजगंज में कुल 09 अदद हाईमास्ट स्थापित किये गये हैं, जिसमें से 03 अदद हाईमास्ट जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) महराजगंज, से 04 अदद हाईमास्ट श्री शिवेन्द्र सिंह, मा0 पूर्व आवास राज्यमंत्री, उ0प्र0 सरकार की विधायक निधि से तथा 02 अदद हाईमास्ट अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रिवाल्विंग फण्ड से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पंचायत सिसवा बाजार जनपद महराजगंज में स्वीकृत धन से लगाये गये हैं।

जी नहीं।

उक्त हाईमास्टों में लगे सभी प्रकाश उपकरण उपलब्ध हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

चूंकि नगर पंचायत सिसवांबाजार जनपद महराजगंज में लगाये गये हाईमास्ट का रख-रखाव नगर पंचायत सिसवांबाजार, महराजगंज द्वारा किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज के विकास खण्ड निचलौल के कतिपय मार्गों हेतु सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि के दुरूपयोग में दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की मांग

100-श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-महराजगंज के विकास खण्ड निचलौल में सोहगी बरवां शिकारपुर मार्ग के निर्माण हेतु सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1998-99 में वन विभाग को 10.50 लाख रूपये दिये गये थे ? क्या यह सही है कि वन विभाग द्वारा उक्त धनराशि के दुरूपयोग किये जाने पर जांच प्रारम्भ की गयी थी ? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण कर ली गयी है ? जांच में अब तक कौन-कौन से लोग दोषी पाये गये तथा उनके विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

जांच में अब तक तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी, तत्कालीन सहायक वन संरक्षक व तत्कालीन वन रेंजर दोषी पाये गये हैं। तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी का आरोप-पत्र निर्गत किया जा चुका है। तत्कालीन सहायक वनसंरक्षक को आरोप-पत्र जारी किया जा रहा है तथा तत्कालीन वन रेंजर को आरोप-पत्र देने हेतु प्रमुख वन संरक्षक को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

101-श्री राम इकबाल सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

लखनऊ हजरतगंज स्थित कसमण्डा हाउस का भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप न बनाये जाने पर कार्यवाही की मांग

102-श्री फतेह बहादुर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हजरतगंज, लखनऊ स्थित कसमण्डा हाउस के भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप कराया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

जी हां।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर निर्माण करने के कारण निर्माणकर्ता के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 एवं 28(क) में निहित प्रक्रियानुसार नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।

लखनऊ के हजरतगंज स्थित कसमण्डा हाउस में निर्मित आवासीय फ्लैट्स की बिक्री की उच्च स्तरीय जांच

103-श्री फतेह बहादुर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के हजरतगंज स्थित कसमण्डा हाउस में निर्मित आवासीय फ्लैट्स की बिक्री कई-कई व्यक्तियों को की गयी है जिससे विवाद उत्पन्न हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी उच्च-स्तरीय जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

चूंकि प्रकरण के सम्बन्ध में 10 मुकदमें थाना हजरतगंज लखनऊ पर पंजीकृत है जिसकी विवेचना प्रचलित है। अत: फिलहाल अन्य किसी अतिरिक्त जांच की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

मुरादाबाद मण्डल मे रजिस्टर्ड अर्बन सहकारी बैंकों की संख्या

104-कुं0 भारतेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि उप निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद में अब तक कितने अर्बन बैंकों को रजिस्टर्ड किया गया है ? उन बैंकों के नाम तथा सदस्यों की संख्या क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने रजिस्टर्ड बैंकों के लाइसेंस आवेदन संस्तुति के साथ भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई को लाइसेंस स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं ?

श्री शारदा नन्द अंचल–

मुरादाबाद मण्डल में वर्तमान में 04 (चार) अर्बन सहकारी बैंकों को रजिस्टर्ड किया गया है।

जनपद रामपुर एवं बिजनौर में निम्न प्रकार बैंकों के नाम पंजीकृत हैं एवं सदस्य संख्या है :--

पंजीकृत बैंक का नाम	सदस्यों की संख्या
(1) दि न्यू अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि0, रामपुर	5712
(2) दि बिजनौर अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि0, बिजनौर	2791
(3) नगीना अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि0, नगीना	1029
(4) यूनाइटेड इन्डिया कोआपरेटिव बैंक लि0, नगीना	914

मण्डल में रजिस्टर्ड सहकारी बैंकों के द्वारा आर0बी0आई0 से लाइसेन्स हेतु आवेदन पर निर्गत लाइसेन्स की स्थिति निम्न प्रकार हैं :--

जनपद	बैंक का नाम	पंजीकृत संख्या/ दिनांक	लाइसेंस सं0 व दिनांक
रामपुर	दि0 न्यू अर्बन कोआ0 बैंक लि0 रामपुर।	929 08-12-88	यू0बी0डी0यू0पी0 990 पी, 4-5-89
बिजनौर	दि0 बिजनौर अर्बन कोआ0 बैंक लि0, बिजनौर	2302 23-2-87	यू0बी0डी0यू0 पी0 857 पी0, 7-9-87
,,	नगीना अर्बन कोआ0	2365 16-11-99	यू0बी0डी0यू0 पी0 0088 पी0, 26-4-2000
,,	यूनाइटेड इन्डिया कोआ0 बैंक लि0 नगीना	2353 26-6-98	यू0बी0डी0यू0 पी0 1657 पी0, 13-11-91

उत्तर प्रदेश सचिवालय के समूह "ग" व "घ" के कर्मचारियों की भांति दफ्तरी का पद नाम परिवर्तित करने की मांग

105-श्री संजीव दरियाबादी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सचिवालय के समूह "ग" के एवं समूह "घ" के कर्मचारियों का पद नाम परिवर्तित किया गया है ? यदि हां, तो क्या समूह "घ" में कार्यरत दफ्तरी का पद नाम कार्यालय सहायक के पद नाम में परिवर्तित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड पवई में वर्ष 1996 से कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

106-श्री राम कृपाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड पवई, जनपद-आजमगढ़ में कौन-कौन ऐसे कर्मचारी हैं जो विगत वर्ष 1996 से कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्यत्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

विकास खण्ड-पवई, जनपद-आजमगढ़ में वर्ष 1996 से तैनात कर्मचारियों की सूची * संलग्न है।

उ0प्र0 शासन द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए निर्धारित स्थानान्तरण नीति में लखनऊ को छोड़कर अन्य जनपदों में मात्र समूह "क" एवं "ख" के अधिकारियों, जो अपनी सेवाकाल में कुल 10 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं तो ही स्थानान्तरित करने की व्यवस्था है। उक्त स्थानान्तरण नीति के अनुसार अन्य कर्मियों का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों के अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों में नहीं किये जाने के निर्देश है।

प्रश्न नहीं उठता।

107-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

[दिनांक 4-3-2005 को अता0 प्र0 सं0-31 द्वारा उत्तरित]

राजधानी नगर सहकारी बैंक लि0 लखनऊ में वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

108-श्री जयराम विमल–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी नगर सहकारी बैंक लि0 लखनऊ में वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोआपरेटिव बैंक इम्प्लाइज यूनियन उ0प्र0 के शिकायती पत्र संख्या शून्य दिनांक 11-3-2002, पत्रांक-2002/नगरीय/राजधानी बैंक/103, दिनांक 12-10-2002, पत्रांक-2002/नगरीय/राजधानी बैंक/103, दिनांक 12-10-2002 तथा पत्रांक 2004/राजधानी बैंक/6, दिनांक 1-8-2004 निबन्धक, सहकारिता को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल–

जी हां।

जांच पूर्ण हो गयी है। जिन बिन्दुओं पर अनियमितता पायी गयी, उस सम्बन्ध में दोषी निदेशक मण्डल के विरूद्ध उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-35 (1) के अन्तर्गत तथा सचिव के विरूद्ध उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम-1965 की धारा-38 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

*देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 157 पर।

प्रदेश में पैक्सफेड इकाइयों की संख्या एवं इनके लाभ/हानि का विवरण

109-श्री पूर्णमासी देहाती–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पैक्सफेड इकाइयां कितनी हैं ? विगत चार वर्षों में इन इकाइयों द्वारा विभाग को कितना लाभ दिया गया है ? क्या सरकार घाटे में चल रही इकाइयों को उबारने के लिये कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल–

जी हां, पैक्सफेड में 13 प्रखण्ड स्थापित हैं, अलग से कोई पैक्सफेड इकाई स्थापित नहीं है।

उक्त प्रखण्डों का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं है। संकलित रूप से संघ का संतुलन पत्र तैयार किया जाता है। संघ द्वारा विगत चार वर्ष में अर्जित लाभ/हानि का विवरण निम्नवत् है :--

क्र0	वर्ष	लाभ/हानि (लाख रू0 में)
1	2000-01	-19.00
2	2001-02	+25.00
3	2002-03	+22.00
4	2003-04	+157.00

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्की में समग्र ग्राम विकास हेतु चयनित गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की मांग

110-श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी, जनपद-फतेहपुर में समग्र ग्राम विकास हेतु चयनित गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो उन्हें कब तक सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया जायेगा ?

श्री बिशम्भर प्रसाद निषाद–

जी नहीं।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश के भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंकों से कृषि एवं व्यवसायिक सम्बन्धी ऋणों को देने हेतु अनिवार्यता पर विचार करने की मांग

111-श्री जगदीश नारायण राय–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश सरकार के नियंत्रण में चल रहे भूमि

विकास बैंक, सहकारी बैंकों से कृषि एवं व्यवसायिक सम्बन्धी ऋणों को देने हेतु अनिवार्यता पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल–

जी नहीं।

प्रदेश में 50 जिला सहकारी बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 एवं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा-21 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत ऋण वितरण का कार्य किया जाता है। इन बैंकों का प्रबन्धन उक्त अधिनियम/नियम में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार सदस्यों के मध्य प्रजातांत्रिक ढंग से चुने गये प्रतिनिधियों की "प्रबन्ध कमेटी", बैंक के व्यवसायिक हित को ध्यान में रखते एवं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के आधार पर समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ऋण वितरण करती है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा भी नाबार्ड द्वारा अनुमोदित कृषि एवं अकृषि क्षेत्र की योजनाओं तथा अल्प सिंचाई, कृषि पंजीकरण, पशुपालन, डेरी, ग्रामीण उद्योगों आदि हेतु दीर्घकालीन एवं अन्य व्यवसायों में लगे हुये कृषकों को ऋण वितरण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

माडल हाउस लखनऊ के अन्तर्गत खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराने विषयक प्राप्त पत्र

112-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि माडल हाउस, लखनऊ के अन्तर्गत खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराने के लिये अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान जोन-1 का पत्र संख्या-230/ई0/जी-1, दिनांक 27-05-04 जो कि अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ0प्र0 को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी हां।

उक्त पत्र में 6 हैण्डपम्पों की रिबोरिंग का अनुरोध किया गया है। इनमें से 3 हैण्डपम्पों का रिबोर कार्य पूर्ण है एवं 2 स्थलों पर रिबोर शीघ्र ही करा दिया जायगा। अवशेष एक हैण्डपम्प के चिन्हींकरण की कार्यवाही की जा रही है, तदुपरान्त उसका रिबोर कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिला योजना से प्रस्तावित इण्डिया मार्का II हैण्ड पम्पों की स्थापना की प्रक्रिया

113-श्री जगदीश नारायण राय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना से प्रस्तावित पेयजल मद से लगने

वाले इण्डिया मार्का II हैण्डपम्पों की स्थापना की क्या प्रक्रिया है ? उक्त हैण्डपम्पों की स्थापना हेतु जनपदों में कौन-कौन अधिकारी सक्षम है ?

श्री राजपाल त्यागी–

जिला योजना के अन्तर्गत पेयजल मद में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की स्थापना ग्रामसभा/जल प्रबन्धन समिति द्वारा प्रस्तावित स्थलों पर लाभार्थी समूह/ग्राम पंचायत/विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से हैण्डपम्प की कुल लागत का10 प्रतिशत अंशदान जमा कराने एवं उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी ग्रामसभा/जल प्रबन्धन समिति द्वारा किये जाने की सहमति देने के बाद किया जाता है।

उक्त प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायत से प्राप्त सूची के आधार पर हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु उ0प्र0 जल निगम/यू0पी0 एग्रो के जनपद स्तरीय अधिकारी सक्षम अधिकारी है।

जनपद आगरा में चौधरी चरण सिंह के नाम पर किसान भवन बनाये जाने की मांग

114-डा0 राम बाबू हरित–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में चौ0 चरण सिंह के नाम पर किसान भवन बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल–

सहकारिता क्षेत्र में वर्तमान में इस तरह की कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत घोटाले की जांच

115-कुं0 भारतेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बिजनौर में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत हुए 46 लाख रूपये के घोटाले की जांच के आधार पर तत्कालीन ग्राम्य विकास आयुक्त ने दिनांक 7 जनवरी, 2002 को प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को उक्त घोटाले में शामिल अधिकारियों से धनराशि वसूलने सम्बन्धी कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पत्र में किस-किस अधिकारी से कितनी-कितनी धनराशि वसूल की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां।

जनपद-बिजनौर में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 46 लाख रू0 घोटाले की टी0ए0सी0 जांच में निम्नलिखित अधिकारीगण उनके सम्मुख अंकित धनराशि का दुरूपयोग किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये--

1-श्री आर0डी0 शर्मा, परियोजना निदेशक	रू0 37,85,738. 00
2-श्री रवि कुमार, जिला विकास अधिकारी	रू0 1,72,116.00

3-श्री बसन्त कुमार, खण्ड विकास अधिकारी	रू0	49,176.00
4-श्री वी0के0 सहगल, खण्ड विकास अधिकारी	रू0	73,764.00
5-श्री वाई0के0 पाठक, खण्ड विकास अधिकारी,	रू0	73,764.00
6-श्री सेवा राम चौधरी, खण्ड विकास अधिकारी,	रू0	73,764.00
7-श्री पी0एन0 राम, खण्ड विकास अधिकारी,	रू0	73.764.00
8-श्री के0पी0 सिंह, अवर अभियन्ता,	रू0	73,764.00
9-श्री संजय सिंह अवर अभियन्ता	रू0	2,34,591.00
10-श्री नरेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता,	रू0	1,650.00

ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित अधिकारियों में से श्री आर0डी0 शर्मा, तत्कालीन परियोजना निदेशक, बिजनौर को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रचलित की गयी है तथा श्री रवि कुमार तत्कालीन जिला विकास अधिकारी, बिजनौर श्री बसन्त कुमार, श्री वी0के0 सहगल, श्री वाई0के0 पाठक, श्री सेवाराम चौधरी एवं श्री पी0एन0 राम, खण्ड विकास अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है तथा प्रकरण में अपर आयुक्त (प्रशासन) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच आख्या प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण का परीक्षण कर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण में दोषी पाये गये अवर अभियन्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही हेतु उनके विभाग को लिखा गया है।

जनपद इलाहाबाद के उत्तरी विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत हैण्डपम्प, खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराने की मांग

116-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद उत्तरी विधान सभा क्षेत्र, इलाहाबाद में गत दो वित्तीय वर्षों (2003-04, 2004-05) में कितने हैण्ड पम्प शासन द्वारा स्वीकृति के उपरान्त लगाये गये हैं ? इनमें से कितने हैण्डपम्प कार्यरत हैं तथा कितने खराब हो गये हैं ? खराब हैण्डपम्पों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

प्रश्नगत क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2003-04 में वर्ष 2002-03 में स्वीकृत 50 हैण्डपम्पों के सापेक्ष अवशेष 7 हैण्डपम्प तथा वित्तीय वर्ष 2003-04 में स्वीकृत 100 हैण्डपम्पों के सापेक्ष वर्ष 2004-05 में 94 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं। वर्ष 2004-05 में कोई हैण्डपम्प स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार अधिष्ठापित सभी 101 हैण्डपम्प वर्तमान में कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महिला पुलिस थानों में एफ0आई0आर0 दर्ज करने हेतु महिला काउन्टर की व्यवस्था की मांग

117-श्री राम इकबाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने पुलिस थाने हैं तथा कितने पुलिस थानों में पीड़ित महिलाओं की एफ0आई0आर0 दर्ज करने हेतु महिला काउन्टर हैं और कितने थानों में महिला काउन्टर नहीं है ? क्या सरकार प्रत्येक थानों में महिला काउन्टर की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश में कुल 1367 पुलिस थाने हैं इसमें 11 महिला पुलिस थाने भी सम्मिलित हैं। इन 11 महिला पुलिस थानों में ही पीड़ित महिलाओं की एफ0आई0आर0 दर्ज किए जाने हेतु महिला काउन्टर हैं। शेष 1356 थानों में अलग से महिला काउन्टर स्थापित नहीं है।

जी नहीं।

जिन थानों में महिला काउन्टर अलग से स्थापित नहीं है उन थानों पर भी पीड़ित महिलाओं द्वारा सरलता से एफ0आई0आर0 दर्ज कराई जाती है और आवश्यकतानुसार उनकी सहायता के लिए महिला पुलिस कर्मियों की मदद उपलब्ध करा दी जाती है।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के थाना क्षेत्रों में तस्करी की गुप्तचर शाखा द्वारा जांच

118-श्री जगदीश नारायण राय–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान समय में वाराणसी, जौनपुर सीमा पर स्थित थाना-जलालपुर, केराकत, चन्दवक, जनपद जौनपुर तथा जनपद-वाराणसी के फूलपुर, बड़ोगांव, चोलापुर के थाना क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नकली शराब, गांजा, नकली नोटों तथा अन्य तस्करी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन क्षेत्रों मे गुप्तचर शाखा द्वारा जांच कराकर कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

जनपद वाराणसी एवं जौनपुर सीमा पर स्थित जनपद जौनपुर के थाना जलालपुर में वर्ष 2004 मे 3 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। थाना केराकत में वर्ष 2004 मे 3 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। थाना-चन्दवक में वर्ष 2005 में 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। थाना बड़ागांव, वाराणसी में एक-एक हजार के कुल सत्रह हजार के नकली नोट तथा थाना फूलपुर में 1235 शीशी अवैध शराब बरामद की गई है। प्रश्नगत सभी प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत करके दोषियों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किये गये हैं।

स्थानीय गुप्तचर इकाई तथा सम्बन्धित थानों की पुलिस द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक धन के दुरूपयोग की जांच

119-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, देवरिया द्वारा सार्वजनिक धन के दुरूपयोग विषयक मा0 मिथिलेश नारायण, एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 20-2-2004 जो मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार द्वारा उक्त प्रकरण की सी0बी0आई0 द्वारा जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खॉं–

जी हां।

इस प्रकरण की जांच कराई गई, जिसके फलस्वरूप अनियमित प्रस्ताव को आयुक्त, गोरखपुर मण्डल के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर की कोतवाली शिकारपुर के प्रभारी निरीक्षक द्वारा नशे में नागरिकों को मारने पीटने विषयक ज्ञापन पर कृत कार्यवाही

120-श्री मुंशी लाल गौतम–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 15-12-2004 को शाम करीब 7 बजे कोतवाल श्री योगेन्द्र पाल सिंह कोतवाली शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर द्वारा शराब पीकर कमल सिंह पुत्र श्री मुकुट बिहारी लाल व श्री राजकुमार चौहान पुत्र श्री बृजभान चौहान व अन्य को निवासी कस्बा शिकारपुर, थाना शिकारपुर, जिला बुलन्दशहर के मारने पीटने तथा जाति सूचक शब्दों से गाली देने के विरोध में वहां की जनता ने दिनांक 16-12-2004 को धरना प्रदर्शन किया था तथा उप जिलाधिकारी, शिकारपुर को ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

ज्ञापन में उल्लिखित तथ्यों की जांच करायी गई और जांच से श्री योगेन्द्र पाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर दोषी नहीं पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर, थाना देवबंद, ग्राम मंझौल की निवासी श्रीमती शिमला देवी के रूपये छीनने विषयक शिकायती पत्र

121-डा0 सुशील चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद-सहारनपुर निवासी श्रीमती शिमला देवी दलित गांव मंझौल देवबंद से राकेश, शिवकुमार, प्रदुम प्रताप सिंह ने दिनांक 1-09-2004 को बाजार जाते

समय छः हजार रूपये मारपीट कर छीन लिया था जिसकी सम्बन्धित थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को उक्त मामले में अपराध पंजीकृत करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट उक्त मामले की दर्ज की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, श्रीमती शिमला देवी पत्नी रामपाल निवासी मझौल थाना देवबंद, जनपद सहारनपुर ने दिनांक 2-9-2004 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। थाने पर कोई शिकायत नहीं की गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को दिए गए शिकायती पत्र पर जांच थाना देवबन्द से कराई गयी तो जांच में लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार पाये गये। जिसके कारण उक्त मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी।

122-123-श्री अब्दुल मन्नान–

[5वें शुक्रवार को क्रमशः अता0 प्र0 सं0 43 व 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

124-श्री राम इकबाल सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

स्वर्गीय श्री मदन मोहन पंडलिया द्वारा आशा सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 लखनऊ द्वारा ग्राम खरगापुर, तहसील व परगना लखनऊ स्थित क्रय किये गये प्लाट सं0 33 पर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण किये जाने की दर्ज रिपार्ट

125-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्व0 श्री मदन मोहन पड़लिया द्वारा आशा सहकारी गृह निर्माण समिति लि0, लखनऊ द्वारा ग्राम खरगापुर, तह0 व परगना लखनऊ स्थित प्लाट सं0 33 जिसका रकबा 1375 वर्ग फीट है, क्रय किया गया था? क्या उक्त प्लाट श्री मंगल सिंह तथा श्री लक्ष्मण साहू ने अनाधिकृत कब्जा कर भवन निर्माण करा लिया है ? क्या इस सम्बन्ध में थाना गोमतीनगर, लखनऊ में अपराध संख्या 117/2004 दि0 27-5-04 दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत प्लाट श्री दिलीप कुमार अध्यक्ष, आशा सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 द्वारा धोखाधड़ी व जालसाजी कर दूसरे को बेच दिया गया। अतः इस प्रकरण में मु0अ0सं0-209/04 चिक सं0 117/04 धारा 406/420/506 भा0दं0वि0 थाना-गोमतीनगर, लखनऊ में दर्ज है।

प्रकरण में जांच से श्री दिलीप कुमार अध्यक्ष, आशा सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 दोषी पाये गये जिनके विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 23-8-04 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। उपरोक्त से स्पष्ट है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण को गोमतीनगर योजना के भू-स्वामियों द्वारा नाली रोड पर पक्का निर्माण कर अवैध कब्जे को हटवाने की मांग

126-श्री अब्दुल मन्नान–

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमतीनगर योजना के विशाल खण्ड स्थित भवन संख्या I/10 से 1/400 तक के भवन स्वामियों द्वारा नाली रोड, पर पक्का निर्माण कराकर अवैध कब्जा किया गया है एवं रोड पर नीम, शीशम, आम के पौधों को लगाकर मार्ग अवरूद्ध किया गया है ? क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खॉं–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में डी0पी0ए0पी0 परियोजना के अन्तर्गत सम्पन्न कार्य की जांच में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

127-श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002-03 और 2003-04 में डी0पी0ए0पी0 परियोजना के अन्तर्गत बहराइच खण्ड चार में दर्शाये गये सम्पन्न कार्य जांच में और भौतिक सत्यापन में फर्जी पाये गये ? यदि हां, तो क्या और दोषियों से वसूली हेतु क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी हां।

प्रारम्भिक जांच में वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त पाये गये प्रभारी भूमि संरक्षण अधिकारी, 2 अवर अभियन्ता, 6 सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक तथा 3 लेखाकारों के विरूद्ध प्रकाश में आयी अनियमितताओं के आरोपों की पुष्टि होने पर आयुक्त एवं प्रशासक शारदा सहायक समादेश के कार्यालय आदेश दिनांक 10-01-2005 द्वारा निलम्बित कर विहित प्रक्रिया के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

उपरोक्त अतिरिक्त कृषि सेवा के सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षकों, जो उपरोक्त अनियमितता में अर्न्तग्रस्त हैं, को कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अपने आदेश दिनांक 13-01-2005 द्वारा निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई है।

प्रदेश में दहेज उत्पीड़न के मुकदमें व इसमें कमी करने के उपाय

128-श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 2002, 2003, 2004 में राज्य में दहेज उत्पीड़न के कितने

मुकदमें दर्ज हुए और कितनी मौतें हुई ? क्या दहेज उत्पीड़न में कमी लाने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

प्रदेश मे दहेज उत्पीड़न के पंजीकृत मुकदमें और उनमें कितनी मौतें हुई की सूचना वर्षवार निम्नवत् है :--

वर्ष	पंजीकृत मुकदमें संख्या	हुई मौत की संख्या
2002	7239	1797
2003	4058	1311
2004	6259	1624

जी हां,

दहेज उत्पीड़न के अपराधों में कमी लाये जाने हेतु पुलिस के संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही एवं अनुश्रवण किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग, मुख्यालय के अन्तर्गत वर्ष 1988 में महिला सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी। प्रकोष्ठ द्वारा समाज सेवी संगठनों/व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया जाता है। जनपदों में स्थापित महिला सहायता प्रकोष्ठ एवं महिला थाने भी इस ओर सतत् जागरूक हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी को हैण्डपम्प स्वीकृत करने के आदेश

129-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मंत्री कृषि के पत्र पर उनके आदेश सं0-469/वी0आई0पी0/रा0म0 (स्व0 प्र0) ग्रा0 वि0/03, दिनांक 30-5-03 द्वारा विधान सभा क्षेत्र पट्टी प्रतापगढ़ को 10% सहभागिता के आधार पर 100 हैण्डपम्प स्वीकृत करने का आदेश प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को दिया गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज पाल त्यागी–

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, तत्कालीन मा0 राज्य मंत्री कृषि विभाग के अनुरोध पर निम्नलिखित शासनादेशों द्वारा हैण्डपम्पों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी :--

शासनादेश संख्या वी0आई0पी0-223/ 38-5-03/200(3)/03 दिनांक 22-4-03	50 नग
शासनादेश संख्या सी0एम0-144/ 38-5-03/200(3) दिनांक 20-5-03	25 नग
शासनादेश संख्या वी0आई0पी0-458/ 38-5-03/200(3)/03 दिनांक 25-6-03	100 नग
योग	**175 नग**

उक्त प्रकरण पर पुनर्विचार करने के पश्चात् शासनादेश संख्या-4083/38-5-03 दिनांक 17-11-2003 द्वारा उक्त 175 हैण्डपम्पों के स्थान पर मात्र 75 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं।

उक्त स्वीकृत 75 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु 10 प्रतिशत सहभागिता की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। सहभागिता की धनराशि प्राप्त होने के उपरोक्त हैण्डपम्प अधिष्ठापित करा दिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के नगर पंचायत पट्टी में सड़क, नाली मरम्मत किये जाने सम्बन्धी शिकायती पत्र

130-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मंत्री, कृषि का पत्र संख्या-110/वी0आई0पी0/रा0मं0 क0/03, दिनांक 14-1-03 पर उनका आदेश दिनांक 14-1-03 निदेशक, सूडा को जनपद प्रतापगढ़ के नगर पंचायत, पट्टी की सड़क, नाली, नाला, सड़क मरम्मत के लिए कार्यवाही हेतु नगरोदय योजना में शामिल करने हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद हरदोई के थाना कासिमपुर के ग्राम संरवें के श्री सुन्दर लाल के प्रकरण में अपराध पंजीकृत न करने में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

131-श्री अब्दुल मन्नान–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-हरदोई, थाना-कासिमपुर के अर्न्तगत विगत 3 माह में अनेक अपराधिक घटनायें घटित होने के उपरान्त भी आपराधिक मुकदमा पंजीकृत न किये जाने पर पुलिस अधीक्षक, हरदोई द्वारा सुन्दर लाल निवासी ग्राम संरवें का फौजदारी अपराध एस0सी0एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत रामपाल निवासी-ग्राम-तिलकखेड़ा थाना-कासिमपुर का अपराध धारा-302, 307 के अन्तर्गत एवं थाना कासिमपुर के अन्तर्गत ग्राम सरेहरी के एक निवासी का मुकदमा अपराध धारा-326 के अन्तर्गत दर्ज कराये गये हैं ? यदि हां, तो दोषी थानाध्यक्षों एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, हरदोई द्वारा उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पुलिस अधीक्षक हरदोई से प्राप्त आख्या अनुसार श्री सुन्दरलाल निवासी ग्राम सर्वे के प्रकरण मे दिनांक 19-7-04 को थाना कासिमपुर पर अ0सं0 296/04 धारा 147/148/149/323/504/506 भा0दं0वि0 व 3 (1) 10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनाम असलम आदि पंजीकृत हुआ था, जिसमें

विवेचानोपरान्त आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रेषित किया जा चुका है। श्री रामपाल के प्रकरण में दिनांक 17-9-04 को अ0सं0-370/04 धारा 302/201/364/323 भा0दं0वि0 का अभियोग पंजीकृत हुआ है। इसके अतिरिक्त वादी श्री कमलेश के शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना-कासिमपुर में मु0अ0सं0-369/04 धारा 326/323 भा0दं0वि0 पंजीकृत हुआ, जिसमें आरोप पत्र दि0 31-10-04 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

थानाध्यक्ष कासिमपुर द्वारा त्वरित कार्यवाही न किये जाने के संबंध में तत्कालीन थानाध्यक्ष कासिमपुर के प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वस्प इनके विरुद्ध दण्ड एवं अपील नियमावली 1991 के नियम 14(2) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रचलित है। रामपाल के प्रकरण मे विलम्ब से अभियोग पंजीकृत कराने के मामले में पृथक से जांच प्रचलित है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

उन्नाव की टाउन एरिया कुरसठ के सेवानिवृत्त श्री नत्था सफाई कर्मचारी के अवशेष देयों का भुगतान कराने की मांग

132-श्री अब्दुल मन्नान–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव की टाउन एरिया, कुरसठ से सेवानिवृत्त कर्मचारी नत्था, सफाई जमादार के अवशेष देय राशि, प्रावीडेन्ट फण्ड, पेंशन ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अवशेष देयों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

श्री नत्था सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं। बल्कि इनकी मृत्यु सेवाकाल में दिनांक-16-10-1995 को हो गयी थी। स्व0 नत्था, सफाई कर्मचारी के आश्रित को अवशेष प्राविडेंट फण्ड का भुगतान दिनांक-25-8-99 एवं अवशेष देय बीमा राशि का भुगतान दिनांक-5-1-2001 को कर दिया गया है। पारिवारिक पेंशन ग्रेच्युटी के प्रपत्र तैयार कराने हेतु कई बार सूचना देने पर श्रीमती जगराना पत्नी स्व0 नत्था, सफाई कर्मचारी दिनांक-3-1-2005 को पारिवारिक पेंशन/उपादान भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

पारिवारिक पेंशन/भुगतान हेतु आवश्यक प्रपत्र तैयार कराकर नगर पंचायत कार्यालय कुरसठ के पत्र संख्या-6/पे0न0पं0कुरसठ/04-05, दिनांक- 16-2-2005 द्वारा सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को भेजा गया है। जिसकी प्रति श्रीमती जगराना पत्नी स्व0 नत्था को प्राप्त करा दी गयी है।

पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी भुगतान की स्वीकृति हेतु नगर पंचायत कार्यालय के पत्र दिनांक-16-2-2005 द्वारा सहायक, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 को भेजा गया है।

पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी भुगतान हेतु स्वीकृति प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया गया जायगा।

लखनऊ जिला कारागार के जेलर स्व0 श्री अशोक कुमार गौतम की पत्नी श्रीमती विजय लक्ष्मी द्वारा आवास की मरम्मत कराने की मांग

133-श्री अब्दुल मन्नान–

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि श्री अशोक कुमार गौतम, जेलर, जिला कारागार,

लखनऊ की दिनांक 4 अक्टूबर, 1997 को हत्या कर दी गयी थी ? क्या यह सही है कि उसके परिवार हेतु पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा जेल परिसर में आजीवन सरकारी आवास आवंटित किये जाने की घोषणा की गयी थी ? क्या यह भी सही है कि उसकी पत्नी श्रीमती विजय लक्ष्मी को आवंटित आवास काफी जर्जर एवं मरम्मत करने योग्य होने के कारण उसमें रहने में असुविधा हो रही है? क्या सरकार उसको आवंटित आवास की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री राकेश कुमार वर्मा)–

जी हां।

जी नहीं।

श्रीमती विजय लक्ष्मी को कोई आवास आवंटित नहीं है। उनके पति स्व0 अशोक कुमार गौतम के कार्यरत रहने पर उनको आवास आवंटित किया गया था। श्रीमती विजय लक्ष्मी को आवास खाली कर देना चाहिए था परन्तु वह अपनी इच्छा एवं रिस्क पर उक्त आवास में रह रही है।

जी नहीं।

प्रश्नगत आवास जर्जर होने के कारण मरम्मत योग्य नहीं रह गया है।

लखनऊ कारागार के जेलर स्व0 श्री अशोक कुमार गौतम की पत्नी द्वारा नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में पत्र

134-श्री अब्दुल मन्नान–

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि श्री अशोक कुमार गौतम, जेलर जिला कारागार, लखनऊ को दिनांक 4 अक्टूबर, 1997 को अपराधियों द्वारा परिसर में हत्या कर दी गयी थी ? क्या उसकी मृतक आश्रित पत्नी की नियुक्ति उसकी शैक्षिक योग्यतानुसार दे दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उसकी पत्नी श्रीमती विजय लक्ष्मी द्वारा अनेक प्रार्थना-पत्र महानिरीक्षक, कारागार उ0प्र0 तथा मा0 मुख्य मंत्री जी को नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में दिये जा चुके हैं, परन्तु अभी तक शैक्षिक योग्यतानुसार उसका समायोजन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार उसको कब तक नियुक्ति प्रदान कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश कुमार वर्मा–

जी हां।

श्री अशोक कुमार गौतम की मृत्यु के समय श्रीमती विजय लक्ष्मी की शैक्षिक योग्यता कक्षा-8 पास थी, जो समूह "घ" के पद की योग्यता है। तत्समय मानवीय आधार पर शैक्षिक अर्हता में छूट प्रदान करते हुए श्रीमती विजय लक्ष्मी को समूह "ग" के महिला बंदीरक्षक पद पर नियुक्ति के आदेश निर्गत कर दिए गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां। श्रीमती विजय लक्ष्मी द्वारा उप कारापाल, कारापाल, शोध अधिकारी, अधीक्षक, कारागार पद पर सेवायोजन का अनुरोध किया गया है परन्तु मृतक आश्रित को लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के सीधी भर्ती के पद पर ही सेवायोजित किया जा सकता है जबकि शोध अधिकारी एवं कारापाल के पद प्रोन्नति के पद हैं तथा उप कारापाल एवं अधीक्षक कारागार के पद लोक सेवा आयोग की परिधि के पद है, जिन पर मृतक आश्रितों का सेवायोजन अनुमन्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्डों में आवंटित वाहनों की संख्या एवं उनके मरम्मत की व्यवस्था कराने की मांग

135-श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के कितने ब्लाकों में वाहन उपलब्ध हैं तथा कितनों की आवश्यकता है ? क्या मंत्री जी सभी ब्लाकों को वाहन उपलब्ध कराने तथा खराब वाहनों को ठीक कराने की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जनपद शाहजहांपुर के 15 विकास खण्डों में से 12 विकास खण्डों में वाहन उपलब्ध हैं तथा 03 वाहनों की आवश्यकता है।

जिन विकास खण्डों में वाहन उपलब्ध नहीं है, उन्हें नियमानुसार वाहन उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी। खराब वाहनों की समय-समय पर मरम्मत करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर नगर में हड्डी कारखाने को अन्यत्र स्थापित करने की मांग

136-श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में मोहम्मदी मार्ग से बसिलिया को जाने वाले मार्ग पर स्थित हड्डी के कारखाने की दुर्गन्ध के कारण वहां के लोगों को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कारखाने को वहां से अन्यत्र स्थापित करने अथवा उस पर प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी नहीं।

जी नहीं।

दोनों कारखानों को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली से अनापत्ति निर्गत की गयी है, जो वर्तमान में नवीनीकृत है। उक्त दोनों कारखानों के पास आबादी भी नहीं है तथा गांव लगभग 02 किमी0 की दूरी पर है।

जनपद शाहजहांपुर नगर की मलिन बस्तियों में नाली खड़न्जा लगवाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

137-श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो शाहजहांपुर नगर की मलिन बस्तियों में नाली खड़न्जा सहित 15 कार्य कराने के सम्बन्ध में था, जुलाई 2004 के अन्तिम

सप्ताह में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी हां।

जिलाधिकारी को संबोधित पत्र में खड़न्जा, नाली के निर्माण सहित 15 कार्य इंगित है। इसमें से क्रमांक-1, 3, 8, 12, 13, 14 वर्ष 2004-05 की कार्य-योजना में चयनित हैं। अन्य कार्य सी0डी0एस0 (सामुदायिक विकास समिति) से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है। ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य डूडा के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा बारह खम्भा मुख्य मार्ग पर बने अम्बेडकर भवन के मानचित्र की स्वीकृत सम्बन्धी जानकारी

138-श्री कल्यान सिंह दोहरे–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिता की स्मृति में श्री विजेन्द्र चौधरी द्वारा जनपद आगरा बारह खम्भा मुख्य मार्ग पर बनाया गया अम्बेडकर भवन का मानचित्र क्या आगरा विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

पक्ष द्वारा प्राधिकरण में मानचित्र जमा कराने पर ही सम्यक परीक्षणोपरान्त स्वीकृति/अस्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया जाता है। स्थल पर हाल निर्मित है। श्री विजेन्द्र चौधरी द्वारा पिता की स्मृति में जनपद आगरा में बारहखम्भा मार्ग पर बनाये गये अम्बेडकर भवन के प्रकरण में, आगरा विकास प्राधिकरण में भवन मानचित्र प्रस्तुत ही नहीं किया गया है।

कथित निर्माण के संदर्भ में प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी गयी है।

उपरोक्तनुसार।

जनपद आगरा स्थित के0के0 बार का बिना नक्शा पास कराये निर्माण की जांच की मांग

139-श्री शब्बीर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के0के0 बार जो राष्ट्रीय मार्ग-2 सिकन्दरा आगरा पर स्थित है, बिना नक्शा पास कराये निर्मित कराया गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त की जांच कराकर बार मालिक के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

मानचित्र स्वीकृति के बिना किए गये निर्माण के विरूद्ध, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा, उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 एवं 27 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के गोमती नगर के विनीत खण्ड में भवन स्वामियों द्वारा सड़क व नाली के अवैध निर्माण को हटवाये जाने की मांग

140-श्री राम कृपाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विनीत खण्ड गोमती नगर, लखनऊ में स्थित भवन संख्या-एल-3/565 के भवन मालिक द्वारा सड़क व नाली पर निर्माण कराकर कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

विनीत खण्ड गोमती नगर, लखनऊ में स्थित भवन संख्या एल-3/565 के भवन मालिक द्वारा सड़क व नाली पर किये गये अवैध निर्माण को हटवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के थाना मलिहाबाद के गांव रमनगरा के श्री लछिमन पासी के पेड़ों को दबंगों द्वारा काट लिये जाने पर कार्यवाही की मांग

141-श्री कौशल किशोर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्याम पुत्र श्री लछिमन पासी, गांव रमनगरा, थाना-मलिहाबाद, लखनऊ के कटहल व दशहरी के हरे पेड़ गांव कबे कुछ दबंगों द्वारा काट लिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा थानाध्यक्ष, मलिहाबाद को दि0 12-12-04 को शिकायती-पत्र लिखा गया था ? यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट दर्ज कर कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं। मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 12-12-04 थाना-मलिहाबाद में प्राप्त नहीं हुआ था।

उपरोक्त के प्रकाश में रिपोर्ट दर्ज नहीं होनी थी। इस सम्बन्ध में दिनांक 15-12-04 को श्री श्याम द्वारा प्रार्थना-पत्र दिया गया है। श्री श्याम व उसी गांव के संजीवन पुत्र श्री दुलारे के खेत पास-पास में है, दोनों खेतों के बीच एक पतली गेंड है। श्याम के खेत में आम व कटहल के पेड़ मेड़ ही के पास लगे है। श्याम के बाग के पेड़ काफी बड़े है जिनकी टहनियां पड़ोस के संजीवन के खेत में फैली हुयी है, जिनकी छाया से संजीवन की फसल व वृक्षों को नुकसान होता था, एक कटहल व एक आम की झुकी हुई टहनी को संजीवन व उसके लड़के दुर्गेश द्वारा काट दिया गया था। इस बात को लेकर दोनों पक्षों

में मनमुटाव था, उनके विरूद्ध 107/116 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही दिनांक 25-12-04 को की गयी तथा दोनों पक्षों की दिनांक 31-1-05 को 116(3) के तहत प्रबन्ध करा दिया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

प्रदेश के राज्य भूमि उपयोग परिषद् में सेवा नियमावली प्रख्यापित करने की मांग

142-डा0 राम बाबू हरित–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के राज्य भूमि उपयोग परिषद् गठित है ? यदि हां, तो क्या राज्य भूमि उपयोग परिषद् में सेवा नियमावली प्रख्यापित है ? यदि नहीं, तो उक्त सेवा नियमावली कब तक प्रख्यापित कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

भूमि उपयोग परिषद् की अराजपत्रित सेवा नियमावलियां प्रख्यापित है। राज पत्रित शोध सेवा नियमावली प्रख्यापन की प्रक्रिया में है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर के विकास खण्ड तरवा में बाबा जीवनदास की जीर्ण-शीर्ण कुटी का सुन्दरीकरण कराने की मांग

143-श्रीमती विद्या चौधरी

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर, जनपद-आजमगढ़ में ग्राम सभा जमीरपुर, विकास खण्ड तरवा स्थित बाबा जीवनदास की ऐतिहासिक कुटी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ऐतिहासिक स्थल का सुन्दरीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कौकब हमीद–

जी हां।

प्रश्नगत कार्य जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष वर्ष 2005-06 की जिला योजना में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

जिला योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिये संबंधित विभागों द्वारा अवमुक्त धनराशि

144-श्री जगदीश नारायण राय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद से प्रस्तावित जिला योजनाओं में अवमुक्त किये गये धन को पेयजल सड़क, चिकित्सा अन्य जनहित की योजनाओं पर खर्च करने हेतु प्रस्ताव देने के लिये कौन-कौन व्यक्ति अधिकृत हैं ? क्या इस संबंध में कोई नियमावली बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जिला योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिये संबंधित विभागों द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाती है। संबंधित विभागों द्वारा कार्यों के प्रस्ताव आदि के संबंध में आवश्यक व्यवस्था की जाती है।

जिला योजनाओं के प्ररिप्रेक्ष्य में एकीकृत कोई नियमावली नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के ग्राम काकराबाद में अनुसूचित जाति के किसानों की भूमि ग्राम समाज में दर्ज किये जाने का कथित प्रकरण

145-श्री कोबिद कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के ग्राम-काकराबाद के अनुसूचित जाति के किसानों की भूमि को ग्राम समाज में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, सदर, लखनऊ के आदेश दिनांक 6 अगस्त, 2002 की जांच कराने विषयक सेठ किशन लाल बघेल, तत्कालीन राज्य मंत्री, निर्यात प्रोत्साहन विभाग के पत्र संख्या-248 (1)म0/नि0-प्रोत्साहन/2002, दिनांक 4 मार्च, 2003 पर जांच कराये जाने के निर्देश प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये थे ? क्या जांच पूर्ण कर ली गई ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

जांच में शिकायत निराधार पायी गयी। अत: कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय (ग्रामीण आवास) योजना में आवंटित भवन के निर्माण की जांच

146-श्री संजीव दरियाबादी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2004 के दूसरे गुरूवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-11 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नगत भवन इन्दिरा आवास योजना पोषित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत दी गई धनराशि का दुरूपयोग कर अवैध निर्माण कराने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति से धनराशि वापस लेने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

अतारांकित प्रश्न संख्या-11 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि प्रश्नगत भवन, श्रीमती यशोदा देवी, पत्नी श्री रामसंवारे को प्रधानमंत्री ग्रामोदय (ग्रामीण आवास) योजना में वर्ष 2001-02 में आवंटित किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में श्रीमती यशोदा देवी पत्नी श्री रामसंवारे द्वारा बनाया गया आवास वैध भूमि में बताया गया है। उनके द्वारा छप्पर लोक निर्माण विभाग की भूमि में रख कर सड़क सीमा की भूमि पर

अवैध कब्जा करने के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा वाद दायर किया गया था। निर्मित आवास का निर्माण अवैध निर्माण नहीं बताया गया है। अत: सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर औद्योगिक विकास संस्थान में पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति की मांग

147-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने वर्षों से गीडा (गोरखपुर आद्योगिक विकास संस्थान) में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पूर्णकालिक) की नियुक्ति नहीं की गई ? क्या सरकार उक्त संस्थान में पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा (गोरखपुर औद्योगिक विकास संस्थान) के पद पर माह अक्टूबर, 1998 के बाद से पूर्णकालिक रूप से तैनाती नहीं की गयी है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा के पद पर जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा कार्य देखा जा रहा है। उक्त पद पर पूर्णकालिक अधिकारी की तैनाती शीघ्र की जायेगी।

लखनऊ की तहसील बक्शी का तालाब के कानूनगो श्री रामरतन पर आरोपित पत्र की सतर्कता जांच कराने की मांग

148-श्री कोबिद कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ की तहसील बक्शी का तालाब में कानूनगो के पद पर कार्यरत श्री राम रतन द्वारा सेवा में फर्जी प्रमाण-पत्र लगाने एवं राजस्व अभिलेखों में हेरीफेरी करके जलाशय बंजर भूमि अपने तथा अपने सम्बन्धियों के नाम दर्ज कराने तथा आय से अधिक सम्पत्ति की जांच सतर्कता विभाग से कराने श्री धर्मराज निषाद, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 28-9-2004 विशेष सचिव, मुख्य मंत्री द्वारा प्रमुख सचिव, सतर्कता विभाग को जांच कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को किसी दूसरे जनपद के उप जिलाधिकारी से जांच कराने के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरनगर में सरकुलर रोड पर आवासीय कालोनी हेतु अधिग्रहण भूमि से सम्बन्धित पक्ष

149-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं0-001/दि0 5-01-05 जो मुजफ्फरनगर में सरकुलर रोड पर आवासीय कालोनी हेतु अधिग्रहण की जाने वाली भूमि से सम्बन्धित था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

ग्राम-अलमासपुर, परगना व तहसील मुजफ्फरनगर की कुल 17.291 हेक्टेअर भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30-4-2004 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी सहारनपुर को भेजा गया है तथा वर्तमान समय में उक्त प्रस्ताव निदेशक, भूमि अध्याप्ति राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ के स्तर पर विचाराधीन है। अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि के खसरा नम्बर परस्पर मिले हुए है तथा कम्पेक्ट एरिया के रूप में है। भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का चयन जातिगत आधार पर नहीं किया गया है तथा मुस्लिम, जाट अथवा किसी जाति समुदाय के कृषकों की भूमि बीच में अर्जन से मुक्त नहीं रखी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के थाना सिकन्दरा स्थित के0के0 बार में जिस्मफरोसी के धन्धे की रिपोर्ट

150-श्री छेदीराम–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा थाना सिकन्दरा स्थित के0 के0 बार में रात्रि 11 बजे के बाद अनधिकृत रूप से जिस्मफरोसी का धन्धा चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

के0के0 बार के संबंध में स्थानीय पुलिस को इस प्रकार की कोई शिकायत/जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक, नगर, पुलिस उपाधीक्षक, हरी पर्वत तथा थाना प्रभारी, सिकन्दरा को प्रश्नगत बार पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड कौड़िहार की ग्राम सभा माधौपुर चांधन उर्फ घाटमपुर में क्षेत्र पंचायत द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत सड़क को तोड़ कर अपने चक में मिलाने की जांच

151-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विकास खण्ड कौड़िहार के अन्तर्गत ग्राम सभा माधौपुर चांधन उर्फ घाटमपुर में क्षेत्र पंचायत द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 1600 मी0 बनी सड़क तीन ग्रामों के सम्पर्क मार्ग को जोड़ती है जिसको रूद्र प्रताप सिंह पुत्र

श्री भगौती बक्स सिंह तथा दूधनाथ पुत्र श्री मोहन लाल ने सड़क को तोड़कर अपने चक में मिला लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी से क्षतिपूर्ति की वसूली करते हुये सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड कौड़िहार के अन्तर्गत ग्राम सभा माधौपुर चांधन उर्फ घाटमपुर में क्षेत्र पंचायत द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 1600 मी0 सड़क का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिस पर कार्य निर्माणाधीन है। 1100 मी0 सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था, शेष निर्माणाधीन कार्य पर सड़क के किनारे जिनके खेत थे उन्होंने खोदकर अपने खेत में मिला लिया। वर्तमान में प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है, मा0 न्यायालय के निर्णयोंपरान्त प्रकरण में कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर की रामगढ़ ताल परियोजना के कार्यान्वयन की योजना

152-श्री फतेह बहादुर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोरखपुर की रामगढ़ ताल परियोजना के कार्यान्वयन के लिये शासन में कोई कार्य योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 14 मार्च, 2005 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी :-

पहली सूचना श्री विनोद कुमार सिंह की- गोण्डा के सिविल लाइन्स चौकी कोतवाली के स्व0 कान्स्टेबिल के परिवार को मृत्यु के उपरान्त मिलने वाले देयों का भुगतान कराने के सम्बन्ध में है। उपस्थित है (सूचना पढ़ी हुई मानी गई)। दूसरी सूचना श्री मदन गोपाल वर्मा एवं श्री मोहम्मद शफीर की- फतेहपुर के जहानाबाद खागा हसवा तथा किशुनपुर क्षेत्रान्तर्गत अधिकांश गांवों में ओलावृष्टि के प्रभावितों को अहेतुक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है, उपस्थित हैं (सूचना पढ़ी हुई मानी गई)। तीसरी सूचना श्री जयराम विमल की- अनुपस्थित है, चौथी सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की- अनुपस्थित है। पांचवी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की, अनुपस्थित है। छठी सूचना डा0 विनोद तिवारी की, अनुपस्थित है। सातवीं सूचना श्रीमती राजरानी रावत की-अनुपस्थित, आठवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की, अनुपस्थित हैं। नवीं सूचना श्री अकीलुर्रहमान की, अनुपस्थित हैं। दसवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्या की, अनुपस्थित है। ग्यारहवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की, अनुपस्थित है। बारहवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की जनपद हरदोई के ब्लाक हरपालपुर में सेढा नाला पर ककरा जोतपुरवा के मध्य तथा

इकनौरा रानी खेड़ा के मध्य पुलिया बनवाने के संबंध में है, उपस्थित है, तेरहवीं सूचना, श्री मोहन देव शंखवार की जनपद फिरोजाबाद की ग्राम सभा दारापुर से नगला बडैया के बीच बासू झरेन पर डैम बनवाने के सम्बन्ध में हैं, उपस्थित हैं, चौदहवीं सूचना श्री राम मगन की राजकीय पालीटेक्निक बाराबंकी के प्रधानाचार्य द्वारा सरकारी धन के दुरूपयोग एवं छात्रों का शोषण किये जाने की जांच के सम्बन्ध में है, उपस्थित हैं, पन्द्रहवीं सूचना श्रीमती माया प्रसाद की- अनुपस्थित है।

प्रतीक्षा सूची में से पहली सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा के पानी को शुगर मिल सिम्भावली व स्याना गोपाल डेरी के गंदे रसायनिक पानी के प्रदूषण से मुक्त करने के सम्बन्ध में है, उपस्थित हैं, को स्वीकृत किया जाता है। दूसरी सूचना श्री मुंशीलाल गौतम की है, अनुपस्थित, तीसरी सूचना श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, "हरीश" जी की है, अनुपस्थित, चौथी सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की है, अनुपस्थित, पांचवीं सूचना श्री आर0के0 सिंह पटेल की है, अनुपस्थित।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुयीं-डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री कौशल किशोर, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री रामकरन आर्य, श्री कल्याण सिंह दोहरे तथा श्री मिथिलेश कुमार।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

गोण्डा के सिविल लाइन्स चौकी कोतवाली के स्व0 कान्सटेबिल के परिवार को मृत्यु के उपरान्त मिलने वाले देयों का भुगतान कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद कुमार सिंह–

[मान्यवर, आपका ध्यान मृतक कांस्टेबिल स्व0 योगेन्द प्रसाद मिश्र जो जनपद गोण्डा के सिविल लाइन चौकी कोतवाली में तैनात थे, उनका आसमयिक निधन 10/11 दिसम्बर, 2004 को हो गया है, की तरफ ले जाना चाहता हूँ। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक न तो इनके पुत्र को मृतक आश्रित में नौकरी मिली है न ही पेंशन बीमा ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया है। मृतक कांस्टेबिल का परिवार बेसहारा एवं भुखमरी के कगार पर है।

मान्यवर, लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं व्यवस्था की मांग करता हूं कि तत्काल इनके पुत्र को मृतक आश्रित में नौकरी एवं इनकी पत्नी को पेंशन, बीमा, ग्रेच्युटी, जी0पी0एफ0 का भुगतान कराने की कृपा करें, ताकि इनका परिवार इस आसिम देवी प्रकोप का सामना कर सके।]

फतेहपुर के जहानाबाद खागा हसवा तथा किशुनपुर अधिकांश गांवों में ओलावृष्टि के प्रभावितों को अहैतुक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन गोपाल वर्मा–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में निम्न तथ्य लाते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।

जनपद फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चांदपुर, रेंगना ककोरा, बारा, धौराहरा, गजईपुर,

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माहौरी, गंगौली, डाढ़ा अमौली, रामपुर, गोदहा, भारतपुर, दरियाबाद, अजमतपुर, हिमतापुर तथा हसवा विधान सभा किशुनपुर विधान सभा तथा खागा विधान सभा के ग्राम सुजानीपुर, ग्राम लौकिया, हरदो, पूरा, इलेई एटगांव, टिकरी गांव के विधान सभा क्षेत्रों के अधिकांश गांव में दिनांक 10-3-05 को हुई भयंकर ओलावृष्टि जिसमें छोटे आकार से लेकर बीस कि0ग्रा0 के वजन के पत्थर पड़े जिससे फसलों को भारी क्षति हुई है तथा मवेशी पक्षी व जंगली जानवर सैकड़ों के तादाद में हताहत हुए हैं।

अत: लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के निवासियों को अहेतुक सहायता दिये जाने की मांग करता हूं।]

हरदोई के ब्लाक हरपालपुर में सेढ़ा नाला पर ककरा जोतपुरवा के मध्य तथा इकनौरा रानी खेड़ा के मध्य पुलिया बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव–

[मान्यवर, हरदोई जनपद में ब्लाक हरपालपुर में सेढा नाला पर ककरा जोतपुरवा के मध्य तथा इकनौरा रानी खेड़ा के मध्य कोई पुलिया न होने से दोनों ओर के क्षेत्र की जनता को अवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बरसात में तो आवागमन ही बन्द हो जाता है जिससे जनता में घोर आक्रोश पैदा हो गया है।

अत: अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर उक्त दोनों जगहों पर पुलिया निर्माण कराने की मांग करता हूं।]

फिरोजाबाद की ग्राम सभा दारापुर से नगला बडैया के बीच बासु झरेन पर डैम बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहनदेव शंखवार–

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टूण्डला जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत ब्लाक टूण्डला ग्राम सभा दारापुर से नगला बडैया के बीच बासु झरेन पर डैम बनाने हेतु वर्ष 2002 में विधान सभा में याचिका प्रस्तुत की गयी थी जिसकी कार्यवाही बसपा के शासन काल में ठण्डे बस्ते में डाल दी गयी और कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके न बनने से किसानों की हजारों एकड़ जमीन अर्सिंचित रहती है जिससे क्षेत्र की जनता में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। क्योंकि किसान का एक मात्र साधन कृषि ही है जिससे वह अपना जीवनयापन करते हैं। इस क्षेत्र में जल स्तर 80 से 120 फिट नीचे तक चला जाता है इससे इनकी हानि होती है। इस डैम के बनने से किसानों के हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई हो जायेगी और बहुत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बन्धा है। इस क्षेत्र की जनता को लगभग 15-20 गांव को इस बन्धे के बन जाने से लाभ मिल सकता है और यहां के किसानों की समस्या का समाधान हो जायेगा। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, फिरोजाबाद ने अपनी संस्तुति/रिपोर्ट में भी स्पष्ट लिखा है कि बन्धे को बनने से किसान की भूमि अधिक मात्रा में सिंचाई की जा सकती है, जिससे क्षेत्र का विकास कार्य होगा।

अत: अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सदन के संज्ञान में लाकर आदरणीय सदन से डैम बनाने के लिए मांग करते हुए सरकार से वक्तव्य कराये जाने की मांग करता हूं जिससे क्षेत्र की जनता को इस बन्धे से लाभ मिल सकता है।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजकीय पालीटेक्निक बाराबंकी प्रधानाचार्य द्वारा सरकारी धन के दुरूपयोग एवं छात्रों के शोषण किये जाने की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम मगन–

[महोदय, राजकीय पालीटेक्निक, बाराबंकी के प्रधानाचार्य द्वारा संस्था के कतिपय अध्यापकों एवं कर्मचारियों का गुट बनाकर सरकारी धन के दुरूपयोग एवं गबन करने, छात्रों का शोषण करने एवं उन्हें प्रताड़ित कर धन वसूलने की निम्नलिखित घटनाओं को सदन के माध्यम से शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

संस्था के वर्तमान प्रधानाचार्य स्वयं तो अत्यन्त अस्वस्थ होने के कारण स्थानीय रूप से बैशाली इंक्लेव, इन्दिरानगर, लखनऊ स्थित अपने घर में ही रहते हैं और माह में दो-चार दिन ही संस्था में जाते हैं परन्तु आवास भत्ता हेतु अपनी उपस्थिति प्रतिदिन अंकित करना नहीं भूलते। विडम्बना ही है कि एस0जी0पी0जी0आई0 में पूरे दिन उपचार कराने के साथ-साथ संस्था में भी उनकी उपस्थिति अभिलेखों में है। संस्था से सम्बद्ध कम्युनिटी केन्द्रों के लिए आवंटित जीप [पंजीकरण सं0 यू0पी0 41/ 5642] का उपयोग नि:संकोच अपने निजी कार्यों के लिए इनके द्वारा किया जा रहा है। जिसका प्रमाण उसकी "लाग बुक" की प्रविष्टियों के परीक्षण से किया जा सकता है। दिनांक 02 फरवरी, 2005 को, उक्त जीप इन्दिरा नगर सेक्टर-2 में प्रधानाचार्य को घर ले जाते समय सेक्टर-9 "सेन्ट्रल एकाडमी" के निकट दुर्घटनाग्रस्त भी हो गयी थी और उसकी मरम्मत का व्यय भी सरकारी धन द्वारा दिया गया है। संस्था के छात्रावास में निर्धारित संख्या से अधिक छात्रों को रहने की अनुमति इनके द्वारा दी गयी है और उनके द्वारा कक्ष आवंटन हेतु जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि सरकारी कोष में भी नहीं जमा की गयी है। दिनांक 26-2-2005 को संस्था के वार्षिकोत्सव के आयोजन हेतु भवनों आदि के अनुरक्षण हेतु लगभग सौ रूपये दैनिक मजदूरी पर 20 मजदूरों को रखकर भुगतान किये जाने की प्रविष्ट अभिलेखों में अंकित की गयी है और भुगतान भी करना दिखाया गया है, वास्तविकता यह है कि केवल दो मजदूर रखे गये थे और सारा कार्य संस्था के छात्रों के श्रमदान द्वारा ही किया गया है और फर्जी मजदूरी का भुगतान दिखाकर धन इनके द्वारा ले लिया गया है। इसी प्रकार संस्था के छात्रों में भारी असंतोष है।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त संस्था के प्रधानाचार्य के क्रियाकलापों एवं उक्त आरोपों की जांच कराने, उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने तथा इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा के पानी को शुगर मिल सिम्भावली व स्याना गोपाल डेरी के गन्दे रासायनिक पानी प्रदूषण से मुक्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान–

[मान्यवर, मेरे क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के सिम्भावली शुगर मिल के रासायनिक प्रदूषित पानी व गोपाल डेयरी (दूध) स्याना कस्बे से सिंचाई विभाग के बड़े नाले स्क्रेप के द्वारा गन्दा पानी भारी मात्रा में गिराया जा रहा है जिससे आस-पास के ग्रामों के नागरिकों व जीव जन्तुओं के मरने से बीमारी फैल रही है जैसे

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सिम्भावली, बक्सर सहसपुरा, खागोई ग्राम सेहल, बहादुरगढ़ के आम नागरिक बेहद परेशान हैं। इन दोनों सिम्भावली मिल व गोपाल डेयरी के प्रदूषित पानी को तुरन्त रोक लगानी चाहिये तथा साथ-साथ पवित्र गंगा की भी इस भयानक प्रदूषण से रक्षा करनी अति आवश्यक है। यह प्रश्न जनता के स्वास्थ्य व जीवन मरण से जुड़ा है। लोक महत्व व अविलम्बनीय है। अत: इनके विरूद्ध कार्यवाही करके आदेश देने हेतु ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ।]

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-160/ग्यारह-9 (203)/92-उ0प्र0 अधि0-2000-आदेश(2)-2004, दिनांक 15 जनवरी, 2004 को उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की धारा-4 की उपधारा (6) के अन्तर्गत विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2059/ग्यारह-9 (203)/92-उ0प्र0 अधि0 15-48-आदेश-(24)-2004, दिनांक 03 अगस्त, 2004 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा-3क की उपधारा (2) के अंतर्गत विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2798/ग्यारह-9 (24)/96-उ0प्र0 अधि0-15-48-आदेश (31)-2004, दिनांक 30 सितम्बर, 2004 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा-3-क की उपधारा (2) के अन्तर्गत विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-3120/ग्यारह-9 (132)-98-उ0प्र0 अधि0-15-48-आदेश-(39)-2004, दिनांक 01 नवम्बर, 2004 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा-3-क की उपधारा (2) के अंतर्गत विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-3431/ग्यारह-10 (1)/80-उ0प्र0 अधि0-15-48-आदेश-(43)-2004, दिनांक 22 नवम्बर, 2004 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा-3-क की उपधारा (2) के अंतर्गत विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-3433/ ग्यारह-9 (203)/92-उ0प्र0 अधि0-15-48-आदेश-(44)-2004, दिनांक 25 नवम्बर, 2004 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा-3-क की उपधारा (2) के अंतर्गत विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0-नि0-2-3472/ग्यारह-9(87)-2001-उ0प्र0 अधि0-15-48-आदेश-(45)-2004, दिनांक 01 दिसम्बर, 2004 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा-3-क की उपधारा-(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूँ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-3481/ ग्यारह-9(74)-2004-उ0प्र0 अधि0-15-48-आदेश-(47)2004, दिनांक 06 दिसम्बर, 2004 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा-3-क की उपधारा (2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूँ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-3560/ ग्यारह-9(181)-97-उ0प्र0 अधि0-15-48-आदेश-(49)2004, दिनांक 16 दिसम्बर, 2004 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा-3-क की उपधारा(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूँ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-352/ ग्यारह-9(37)/97-उ0प्र0 अधि0-12-2000-आदेश-(6)-2005, दिनांक 10 फरवरी, 2005 को उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की धारा-4 की उपधारा(6) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ के स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि खाता 2002-2003

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम लखनऊ के स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि खाता 2002-2003 को भण्डारण निगम अधिनियम, 1972 की धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 92वां, 93वां, 94वां तथा 95 वां प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या– 16, 17, 18, 19 स्थगित की जाती है।

मद संख्या– 20, 21, 22 में कुछ नहीं है। अब मैं मद संख्या-23 ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश-38-क्रीडा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता-और विनियमन) विधेयक-2005

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्रीडा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्रीडा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्रीडा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूं।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 26,11,23,63,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 41,56,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई कटौती का प्रस्ताव रख रहा है।

(किसी के द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

कोई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहेगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी सामान्य प्रशासन एवं गृह पर अपने विचार रखेंगे या रिप्लाई देंगे। बहुत सी योजनाएं हैं जिस पर माननीय मुख्य मंत्री जी अपने विचार रखना चाहेंगे तो वह पहले रख दें। तब हम बोल लेंगे।

नोट :– दिनांक 30 मार्च, 2005 के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक विनियोग विधेयक का सवाल है, हम समझते हैं कि इस सदन में विस्तार से चर्चा हो गई है और राज्यपाल जी के अभिभाषण पर भी। यह सच है कि जो अभिभाषण होता है वह सरकार की उपलब्धियों और लक्ष्य का भाषण होता है, उस पर भी लगभग चार दिन बहस हुई और हमने उत्तर भी दिया। बजट जब पेश किया और उसके बाद चर्चा हुई, उसके बाद भी हमने उत्तर दिया और उसके बाद अनुदान-वाइज चर्चा विस्तार से पूरी हो चुकी है। कटौती के प्रस्ताव भी आए, बीच-बीच में सदन में आकर के हमने उत्तर भी दिया है। मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा बिन्दु नहीं है, जिस पर ध्यान न दिया गया हो, क्योंकि यह बजट एक आदर्श बजट है और इसके साथ-साथ जो संकल्प है, हमारी सरकार का, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, उस ओर पूरी सरकार चल पड़ी है और उसके परिणाम आने भी शुरू हो गए हैं, हर क्षेत्र में। आप स्वयं जानते हैं कि कितनी जर्जर स्थिति प्रदेश की थी। उन विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में कहीं भी सरकार को विशेष सहयोग नहीं मिला। विश्व बैंक से जो किश्त मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल सकी। केन्द्रीय सरकार से लगातार हमने मांग कर ली है, पुन: मांग करेंगे कि विशेष पैकेज दिया जाए। हमें आशा है कि कुछ न कुछ मिलने की संभावना लगती है। सरकार ने आम जनता को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को बचाते हुए संसाधन जुटाए इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री जी को, जिनकी अध्यक्षता में संसाधन जुटाए गए और प्रमुख सचिव वित्त को भी हम धन्यवाद देते हैं। इन्होंने भी इस स्थिति में प्रदेश के विकास के लिए, जो लक्ष्य थे, संकल्प थे, उसके लिए इन्होंने संसाधन जुटाये और हम उनको भी धन्यवाद देते हैं जो व्यापार जगत से जुड़े हैं। व्यापारी नेता है, चाहे माननीय बनवारी लाल कंछल जी हों, चाहे सुरेन्द्र अग्रवाल जी हों, उनका इसमें बहुत विशेष योगदान रहा। इन्होंने व्यापारियों को बचाते हुए, आम जनता को बचाते हुए, किसानों को बचाते हुए, संसाधन जुटाए हैं और इतने संसाधन जुटाए कि प्रदेश में जो एक निराशा का वातावरण था, उदासीनता थी, वह दूर हुई। उत्तर प्रदेश कहां पर खड़ा था ? हम कहां खड़े थे ? और कहां खड़े हुए आकर के ? बड़ी गम्भीर स्थिति थी हर क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, बिजली का संकट, पानी का संकट, दवाई का संकट, अस्पतालों में गन्दगी, नालियों में गन्दगी और प्रदूषण। कहीं कोई पुरसाहाल नहीं था। मान्यवर, कोई जल नीति अभी तक नहीं बनी, राष्ट्रीय जल नीति नहीं बनी। जिसके लिए हम लोगों ने कितना संघर्ष डा0 राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में किया था, कि एक राष्ट्रीय जल नीति बने जिससे जनता को स्वच्छ पानी, पीने के लिए मिले, किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिले। महात्मा गांधी जी का भी सपना था कि लोगों को स्वच्छ पीने का पानी मिले, किसानों को हरी-भरी लहलहाती हुई खेती मिले। जिस दिन यह सब हो जाएगा, वह दिन हमारे देश का सबसे सुखद दिन होगा। आप सब भूल गये। उन परिस्थितियों में हमारे साथियों ने, हमारे सहयोगी जितने भी हैं, उनके सहयोग से मिल करके हमने, हमारी सरकार ने पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सबसे महत्वपूर्ण काम किया है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जो सामान्य प्रशासन पर या गृह विभाग की जो अनुदान मांगें पेश की गई हैं, उस पर हम सब चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं कुछ बातें इसमें शामिल कर लूंगा। मान्यवर, मैं आपके सामने यह कहूंगा कि इन परिस्थितयों में भी हमने लगभग 1300 करोड़ रूपये के संसाधन जुटाये हैं और हम अभी निराश नहीं हैं और संसाधन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। और, यह पहला बजट है कई वर्षों के बाद इस सदन में कि जिसमें हमने सच्चाई को सामने रखा है। हमने हमेशा सच्चाई को सामने रखा है। हम उधर भी बैठे हैं और हमें बहुत समय लगा, मान्यवर, आप भी हमारे साथ रहे हैं। आज विपक्ष के नेता नहीं हैं, क्या यह अच्छा है कि मैं नेता सदन हूँ और अपनी बात कह रहा हूं और विपक्ष के नेता नहीं है। मान्यवर,

अनावश्यक रूप से संसदीय कार्य मंत्री जी ने मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया, हमने तो अपने बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने मेरी जिम्मेवारियों को बताया और कहा कि यह नेता सदन नहीं है यह देश के नेता है। और यह इसलिए नहीं याद किये जायेंगे कि तीन बार के मुख्य मंत्री हैं। मान्यवर, 1990-92 का जो समय था, उस समय एक सम्प्रदाय बिल्कुल असहाय सा पड़ रहा था। सभा करने का कहीं भी समय नहीं था। वह दिन मुझे याद हैं, जब 1992 में पूरा देश जल रहा था। लखनऊ से लेकर कानपुर और कानपुर से दूर तक चले जायें मुम्बई तक और उसके आगे भी क्या स्थिति थी ? अगर यह बैठे हुए साथी उस समय न खड़े हुए होते तो देश के लिए एक गंभीर संकट पैदा हो जाता।

मान्यवर, आपने मुझे सुबह-सुबह बुला लिया। हम तत्काल आपके चैम्बर में उपस्थित हुए और जो नेता विरोधी दल ने राय दी, हुकुम सिंह जी ने जो राय दी, माननीय राम स्वरूप जी थे, कांग्रेस के प्रमोद तिवारी जी थे, सभी नेताओं ने राय दी, मैंने जो वहां कहा, वह यहां कहा। मैं माफी नहीं मांग सकता हूं। अगर मैंने गलती की होती तो माफी मांगता। आप हमारा भाषण देख लीजिए। मान्यवर, सबसे शर्मनाक है और एक कलंकित दिन माना जायेगा विपक्ष की तरफ से, आपने देखा होगा वह जो जाने का रास्ता पड़ रहा था, वहां आंखें लगी थीं और नेता विरोधी दल से कहा जा रहा था कि आप क्यों बैठ रहे हैं।

मान्यवर, क्या हम लोग केवल देख ले और सुन लें ? सवाल है कि जो आपके चैम्बर में बात हो जाए, वहां मैंने कह दिया था कि हम खेद भी व्यक्त नहीं करेंगे, आप पूरी कार्यवाही देखें, मैंने किसी नेता के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी महापुरूष के बारे में असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया। यह हमारे आचरण में नहीं है। मैं आज मान्यवर, कहना चाहता हूं कि पूरे के पूरे दिल्ली के लोग बैठ कर, केवल छोड़ कर बी0जे0पी0 को, जगदम्बिका पाल की पार्टी के लोग बैठे थे, कितना विरोध किया था सबने मुझसे कि आपने माननीय नेता विरोधी दल को जेल क्यों नहीं भेज दिया, साड़ी कारनामें वाले मामले में। मैं यह बात जानबूझ कर कह रहा हूं। उसमें माननीय नेता विरोधी दल की गलती नहीं थी। अगर यह होते तो क्या करते ? यह हमको उस दिन जेल में भेज दिये होते, मेरे ऊपर रासुका नहीं पोटा लग जाता। और, उसके बाद भी यह परम्पराओं का यहां यह उल्लंघन है। इससे क्या साबित है ? जो हम विचारधारा अपनी लेकर चले थे, वह राय ज्यों की त्यों है। हमारे देश के लोकतंत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं हो सकती है। बीएसपी की उम्मीद ही नहीं करता हूं। सारे लोकतंत्र की मर्यादा मान्यता को तहस-नहस किया इसी सदन के अन्दर और अविश्वास प्रस्ताव का मुकाबला नहीं कर सकते थे। मैं भी सदन में रहा हूं। नेता विरोधी दल की क्या परम्परा थी ? 10 साल से विधान सभा चली ही नहीं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की विधान सभा चली। हमने कहा था आपसे अध्यक्ष महोदय, जितना नेता विरोधी दल चाहें उतने दिनों तक विधान सभा चलती रहेगी। सिर्फ 90 दिन की बात है कि 90 दिन चलना चाहिए, हम तैयार हैं। लेकिन यह 90 दिन बैठने के लिए तैयार नही हैं और किस तरह से इस बात को जानबूझकर दोहरा रहें हैं। माननीय प्रमोद तिवारी जी, संसदीय कार्य मंत्री, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि आंखों के सामने यह हो रहा था कि नेता विरोधी दल के पीछे चलकर खड़े थे कि कहीं लौट न जायें। किस तरह से उनके सिर पर हाथ लगाते हुए फिर ले गये और ले जाने के बाद जब वहां से निकले तो उस वक्त भी, यह सोचते हुए और धमकाते हुए, उनके हाथ कांप रहे थे गुस्से में। और नेता विरोधी दल के पीछे-पीछे हो लिये। बेहतर होता कि नेता विरोधी दल को वहां से हटा देना चाहिए। अगर आपको नहीं पसन्द हैं नेता विरोधी दल, तो हटा देना चाहिए। पद क्या है ? गरिमा महत्वपूर्ण है। यहां शालीनता, मर्यादा, जो भी एक परम्परा है,महान परम्परा है जो हमारे पुरूषोत्तम दास टंडन जी ने स्थापित की थी, अन्य लोगों ने स्थापित की और आप भी स्थापित कर रहे हैं। आपको कभी क्रोध नहीं आया इस आसन पर बैठकर। हम परसों क्रोध में आ गये थे। लेकिन यहां सुनने की क्षमता नहीं है।

न कोई विचारधारा है। एक बात के अलावा कोई विचारधारा नहीं है कि हिन्दू कौन है, मुसलमान कौन है, अगड़ा कौन है, पिछड़ा कौन है ? दलित कौन है ? इसाई कौन है ? सिख कौन है ? इसके अलावा इनकी कोई विचारधारा है ही नहीं। और यह सोचते हैं कि आज स्थापित हो गये। इनकी भूमका एक आलमारी में बन्द है, ताला पड़ा है। ऐसा हमने प्रदेश में देखा है। यहां तमाम परम्पराएं रही हैं कुछ हमारे पत्रकार अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। कुछ लोग है, सब नहीं है, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं ? कुछ लोग हैं कि किस स्तर तक चले जाते हैं ? क्या क्या करते हैं, आपको बता दिया है। कुछ लोग हैं। हम तो चाहते हैं कि जो लोकतंत्र है, उसकी परम्परा कायम रहे। कितनी संवादहदीनता थी, उसको हमने दूर किया। इसलिए हम आपसे कहना चाहते है कि हम सहयोग चाहते हैं। अपने पूरे सदन का सहयोग चाहते हैं। लेकिन बीएसपी से किसी को क्या सहयोग मिलेगा ? अम्बेडकर के नाम पर कितना घिनौना काम किया है ? उनकी विचारधारा के विपरीत काम किया है। क्या क्या नहीं किया गया ? यह लोकतत्र था कि घोषणा हो गयी ? हम विदेश में थे, हमारे साथियों ने, हमारी गैर हाजिरी में अखबारों में इश्तहार छपवा दिया थू-थू के नाम पर। थू-थू आन्दोलन चला दिया। उस समय हम जर्मनी में थे तो वहां मुझे पता चला। मुझे तो पता ही नहीं था। यह सच्चाई है। एक पोल खोलो अभियान चलाया, उसके बाद धिक्कार दिवस कराया।

मान्यवर, आज समाजवादी पार्टी सबसे अनुशासित पार्टी है। हमें फख्र है कि लोकसभा के अन्दर शिवसेना के अध्यक्ष माननीय मनोहर जोशी ने पर्ची भेजकर हमें बुलाया और अपने चेम्बर में कहा कि हम आपको बधाई देते हैं, इतनी अनुशासित पार्टी और कोई नहीं है। हम तो समझते थे कि शिवसेना है, लेकिन सबसे ज्यादा अनुशासित समाजवादी पार्टी है। अगर हम वहां भी उत्तेजित सदस्यों को पीछे हाथ उठा देते थे तो सब शान्त हो जाते थे। लेकिन यहां कोई नेता अपने सदस्यों को नियंत्रण में नहीं कर पाता। हम किसी का नाम नहीं लेंगे। बड़े से बड़े उच्च पदों पर लोग बैठे हैं। हम आज भी कहना चाहते हैं कि आज भी हम अगर हाथ पीछे कर देंगे तो हमारा एक भी सदस्य उत्तेजित नहीं होगा। इतने अच्छे आचरण के बाद, सब कुछ तय होने के बाद भी इन लोगों ने जो किया, वह ठीक नहीं है। नेता सदन हम नहीं कोई और हो, लेकिन यह परम्परा रही है कि कभी भी उसके बोलने के बाद कोई टिप्पणी नहीं करता है। न कोई सफाई मांगता है, और न सफाई देता है। हमने अपील भी कर दी। आज जब विनियोग विधेयक पेश हुआ है, हम सदन की स्वीकृति के बिना एक भी रूपया खर्च नहीं कर सकते। आज हम उसकी स्वीकृति मांग रहे हैं सदन से और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और बी0एस0पी0 सदन से गायब हैं। क्या यह जनता के लिये चुने गये हैं ? यह तो सिर्फ अपने भत्तों के लिये चुने गये हैं, अपनी सुविधाओं के लिये चुने गये हैं। यह सच्चाई है। आपको बोलना चाहिये था, अगर कमियां रह गयी हैं तो उन्हें बताना चाहिये था। यह विपक्ष होता है। विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।

मान्यवर, यह सरकार जो काम कर रही है, उसके परिणाम आने शुरू हो गये हैं। बिजली का संकट दूर करने का बहुत गंभीर प्रयास किया जा रहा है। इस सरकार द्वारा पूरे देश के सामने आदर्श पेश किया जा रहा है। आज इस बात की चर्चा है। जो बजट पेश किया गया, स्वास्थ्य का, पानी का, बिजली का, शिक्षा का, वह हमारा एक आदर्श प्रयास है। यह हमारी सरकार का आदर्श बजट है और हम कोशिश कर रहे हैं। जहां तक इन्होंने सवाल उठाया था और शिक्षा के क्षेत्र में एक गम्भीर बात कही कि यह कोचिंग बंद हो, ट्यूशन बंद हो, तो हमने इस पर यही कहा था कि यह सच्चाई है और पूरे सदन से कहा कि [illegible] भी बता दें जिनके परिवार में ट्यूशन न होता हो। हमारे माननीय सदस्यों ने इसे स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया। हमने यह भी कहा कि हमने तो ट्यूशन कभी पढ़ा नहीं। कोई ट्यूशन पढ़ाने आता भी तो उसके लिये जो फीस लगती है, वह भी नहीं थी और इतना व्यस्त थे कि पढ़

भी नहीं सकते थे। पढ़ने के अलावा और भी काम थे। मैंने उनसे भी कहा कि हो सकता है, आप भी ट्यूशन न पढ़े हों।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल) (बैठे हुये)–

यूनिवर्सिटी से भी पैसा ले रहे हैं, दो-दो जगह से पैसा ले रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

वह हम नहीं कहना चाहते। सारा इलाहाबाद सब जानता है कि कैसी-कैसी तनख्वाह ले रहे हैं। यह सही है कि सब कुछ करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, हमने परसों भी प्रार्थना की थी और आज भी सभी कुछ कहा, लेकिन इसके बाद भी ऐसा हो, यह गम्भीर बात है। अगर इधर से कोई उस तरह का शब्द प्रयोग होता तो आप बहिष्कार कर देते। हम कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, कि इस विनियोग विधेयक में हमने कोशिश की है कि संसाधन और भी जुटाये जायेंगे और जो भी सुझाव आयेंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उन पर भी विचार किया जाएगा। मान्यवर, इन परिस्थितियों में भी हमने 75 हजार शिक्षामित्रों की नियुक्तियां की हैं, क्योंकि मान्यवर, ट्यूशन/कोचिंग तभी बन्द हो सकती है, जब प्राथमिक शिक्षा ठीक हो जाए। और प्राथमिक शिक्षा ठीक हो नहीं सकती है, चाहे हम कितना भी पैसा खर्च कर लें और लोगों के बच्चे उनमें तब तक नहीं पढ़ सकेंगे जब तक कि कम से कम कक्षा आठ तक समान शिक्षा नहीं होगी। तब तक ट्यूशन/कोचिंग बन्द नहीं हो सकती। अगर कक्षा आठ तक समान शिक्षा का पाठ्यक्रम हो जाए, तब यह कोचिंग और ट्यूशन बन्द हो सकते हैं। हमने इस पर बार-बार बहस छेड़ी है। हम जानते हैं कि काम कठिन है लेकिन असम्भव नहीं है। यह जो गैर-बराबरी बढ़ती जा रही है, मंहगी शिक्षा है, इन सब पर कभी न कभी विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसे आन्दोलन के रूप में लाना होगा। मान्यवर, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, जगदम्बिका पाल जी के बोलने के बाद हम अपनी बात को विस्तार से रखेंगे। मैं माननीय सदन से यही कहूंगा कि सर्वसम्मति से विनियोग विधेयक को पास कर दें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नेता सदन के द्वारा सामान्य प्रशासन की अनुदान की मांगों पर चर्चा में बोलने का अवसर दिया। कदाचित् यह गम्भीर अवसर होगा कि गृह और सामान्य प्रशासन जो कि राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय हैं और उन पर कोई कटौती नहीं रखी जा रही है। नेता सदन को पूरे सदन की संस्तुति मिली है कि वह अपनी इच्छाशक्ति से इसे लागू करें। निश्चित रूप से सुझाव देना ही कटौती रखने का परपज होता है। बीस-पच्चीस वर्षों में कई बार इस सदन में घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं के साक्षी रहे हैं इस सदन के लोग, लेकिन जो 12 तारीख की घटना हुई, मैं नहीं जानता कि क्या हुआ था ? क्योंकि मैं यहां पर उपस्थित नहीं था, लेकिन कुछ तनाव और उत्तेजना के क्षण आये और आपके चैम्बर में नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष ने उस विषय पर विस्तार से घटना का उल्लेख किया, अच्छा हो कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, जिनके कारण तनाव और उत्तेजना उत्पन्न हुई थी। उसके बाद भी नेता सदन ने कहा कि हम उच्च शिक्षा के बजट को बढ़ायेंगे। यहां तक कहा कि माननीय नरेन्द्र कुमार सिंह गौर अगर कहीं महाविद्यालय खोलते हैं या किसी चीज की स्थापना करते हैं या जहां भी सुझाव देंगे, इसका उल्लेख इसलिए उल्लेख करना चाहूंगा कि नेता सदन ने उदारतापूर्वक इस सदन में खड़े होकर के कहा कि जितना पैसा चाहते हैं वह देने के लिए तैयार है। तात्पर्य साफ है कि जिस प्रसंग को ले करके, जिस संदर्भ को ले करके तनाव और

उत्तेजना के क्षण बने, उसका पटाक्षेप करने का प्रयास ही नहीं किया और कहा जहां कहीं भी आवश्यकता होगी, उस आवश्यकता के अनुरूप राज्य की आकस्मिकता निधि है या अन्य मद से राज्य सरकार बजट में बढ़ोत्तरी करेगी। उसके बाद इस तरह से जब आज सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का बजट था और विनियोग विधेयक पारित होना है, जिस पर सम्पूर्ण बजट के लिए स्वीकृति देते हैं तो मैं समझता हूं कि नेता प्रतिपक्ष को निश्चित रूप से उपस्थित रहना चाहिए। मैंने पहले देखा है कि नेता प्रतिपक्ष बोलते थे तो नेता सदन नहीं आते थे या नहीं आती थीं और संसदीय कार्यमंत्री ही बैठे रहते थे। वर्तमान नेता सदन ने एक ऐसी परम्परा कायम की है कि जब-जब नेता प्रतिपक्ष बोले हैं, नेता सदन ने बैठ करके उन्हें ध्यान से सुना है और उसका उत्तर दिया है। इस सदन में विचारों का आदान-प्रदान होता है, विचारों में मतभेद हो सकते हैं। किसी शब्द से तनाव की स्थिति भी पैदा होती है, उस तनाव को हम सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करते हैं। यह भी सदन में आता कि बहुजन समाज पार्टी ने क्यों बहिष्कार किया ? भारतीय जनता पार्टी के दल को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा प्राप्त है, उसने क्यों बहिष्कार किया ? जबकि कोई हो-हल्ला नहीं हो रहा था कि सरकार बिना अनुदान के विषय में अपने विचार रखे हुये इस बजट को पारित कराना चाहती है। माननीय नेता सदन ने शुरू में उल्लेख किया कि विनियोग विधेयक पारित हो जायेगा फिर भी सदन चलेगा और जितनी चर्चायें स्वीकृत हुई है उन पर चर्चा होगी। औचित्य के प्रश्न के रूप मे नियम 300 में यह बात आती है कि सदन को 90 दिन चलायें। सबसे बड़ा उत्तरदायित्व विपक्ष का होता है, वह 90 दिन के लिए तैयार नहीं है, प्रदेश की जनता के प्रति उनकी भी जवाबदेही है, सिर्फ सरकार की ही जवाबदेही नहीं है। संसदीय परम्पराओं में चाहे कटौती हो, स्वस्थ आलोचनायें हो, सुझाव हों या संकल्पों के माध्यम से राज्य सरकार को सुझाव देते हैं, जिसको अंगीकार करना लोकतांत्रिक प्रणाली की प्रक्रिया है। आज दुःख होना स्वभाविक है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, आप इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। कोई सार्वजनिक जीवन का कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, विधायक हो एक दिन के लिए भी उसको अवसर मिलता है तो वह अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तत्काल अपने क्षेत्र में पहुंच जाता है अगर कहीं रात का कार्यक्रम है तो वह उस कार्यक्रम में भाग लेता है और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही का निर्वाह करता है। मुख्यमंत्री जी की नीयत हो सकती है और वह उत्तर प्रदेश को उतम प्रदेश बनाना चाहते हों, राज्य सरकार के मुखिया होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है। हम इस राज्य को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं तो आज निश्चित रूप से अपने उत्तर भाषण में कहना होगा कि वह गृह विभाग के अनुदान को और बढ़ा रहे हैं, सामान्य प्रशासन के अनुदान को बढ़ा रहे हैं तथा किस तरह से सामान्य प्रशासन और गृह विभाग को जनता के प्रति जवाबदेह बनायेंगे। मुख्यमंत्री जी यह समझते हैं कि जनता के प्रति हमारे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक की क्या जवाबदेही है और इस उत्तरदायित्व की भावना को निभा रहे हैं, संवेदनशील हैं तो ऐसी बात नहीं है अगर ऐसा होता तो जनता दर्शन में इतनी बड़ी भीड़ आपके यहां न आती। जिस दिन जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन के लोग जिले स्तर पर लोगों की समस्याओं का निस्तारण करने लगेंगे, जिलों के लोग यहां नहीं आयेंगे। जब जनता के कार्य जिले स्तर पर नहीं होते हैं और जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन में जा-जाकर वह थक जाते हैं तो वह यहां मुख्यमंत्री के पास और मंत्री गण के पास आते हैं। सरकार को पुलिस प्रशासन, सामान्य प्रशासन को संवेदनशील बनाना चाहिए और उसे राज्य सरकार के प्रति प्रतिबद्ध बनाना चाहिए। प्रशासन को संवेदनशील बना कर किस तरह से उसे उत्तरदायी बनाया जाय इस संबंध में आप विचार करें।

मान्यवर, कल ही मैं बस्ती गया था सिद्धार्थनगर-बस्ती व्यापार मण्डल के प्रवक्ता दवा व्यवसायी की हत्या कर दी गई लेकिन दो घण्टे तक वहां पुलिस नहीं पहुंची। पूरे शहर के व्यापारी इक्ट्ठा हुए

जनता इक्ट्ठा हुई। बस्ती में किसी दवा व्यवसायी की आज तक हत्या नहीं हुई है। घटना 10 बजे हुई और पुलिस 2 बजे पहुंचती है तो कहीं न कहीं संवेदनशीलता में कमी है। पत्रकार अरूण मिश्रा की हत्या हुई थी आप भी गये थे। मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक मदद की लेकिन केवल आर्थिक मदद कर दी जाए और पुलिस प्रशासन संवेदनशील न हो तो स्थिति नहीं सुधरेगी और ऐसी घटनाएं होंगी अगर प्रशासन संवेदनशील नहीं होगा तो आप चाहे कितना बजट बढ़ा दें उससे फायदा होने वाला नहीं है। आप प्रदेश को उतम प्रदेश बनाना चाहते हैं लेकिन अधिकारियों में संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व नहीं होगा तो अपराध नहीं रूकेंगे। मान्यवर, बस्ती में 100 दिनों में 15 हत्यायें हुई हैं। पहले 6 महीने में कहीं एक हत्या होती थी। अगर इसी तरह अपराध बढ़ते रहे और अपराधियों के हौसले बुलन्द होंगे तो जनता में भय और आतंक व्याप्त रहेगा। आज जनता में कहीं न कहीं असुरक्षा की भावना है। मैं कल फैजाबाद गया था वहां सामाजिक कार्यकर्ता श्री छेदी सिंह एक परिवार, जिसके बच्चे का अपहरण हो गया था, उसको लेकर डी0एम0 और डी0आई0जी0 के यहां गये। वह उस परिवार के लिए पैरवी कर रहे थे लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उनको ही मुल्जिम बना दिया। शीतला सिंह जो सम्पादक हैं और आपकी पार्टी के हैं उनको पुलिस ने बेगुनाह होते हुए बन्द कर दिया। आपने सी0बी0सी0आई0डी0 की जांच के आदेश किये हैं लेकिन वह जेल में हैं। सी0बी0सी0आई0डी0 जब उनको दोष मुक्त करेगी तो वह छूटेंगे। तो यह जो मैन हैंडिलिंग हो रही है और हत्यायें हो रही हैं। इससे जनता में भय है। छेदी सिंह को इतना मारा गया कि उनके दो दांत टूट गये अगर सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के साथ पुलिस निरंकुशता का व्यवहार करेगी, थाने में बुलाकर सीधे मैन हैंडिलिंग की जायेगी और जेल भेजा जायेगा तो कहीं न कहीं जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ताओं को आज उन्हें डर नहीं है। मैं कहता हूं कि आप एक टेस्ट केस करवा लीजिए चाहे आप अपनी पार्टी के किसी नेता को ही भेज दें और जांच करवा लें अगर मेरी बात सही हो तो कार्यवाही करें। प्रशासनिक अधिकारियों का टेस्ट हो जाय अगर बेगुनाह के साथ इस तरह की कार्यवाही होगी, इस तरह की घटनाएं होंगी तो लोगों में असुरक्षा की भावना व्याप्त होगी। आपके डी0जी0पी0 ने कहा कि हम टाप टेन को चिन्हित करेंगे और उसके बाद नए टाप टेन को भी चिन्हित करेंगे और ऐसे लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही होगी। आप पूरे प्रदेश में इस तरह की कार्यवाही करिए।

अध्यक्ष महोदय जब से मोबाइल हुआ है उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी जेल नहीं होगी जहां मोबाइल न हो जेलों से मोबाइल से अपराधों का संचालन किया जा रहा है। और कैदी के विरूद्ध तो कोई कार्यवाही हो नहीं पाती क्योंकि वह जेल मे निरूद्ध है लेकिन अपराधी जेल से ही मोबाइल से अपराध का संचालन कर रहा है। अरूण मिश्रा जो पत्रकार था उसकी भी जेल से हत्या कराई गई। पुलिस कानून व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए चौराहे-चौराहे पर खड़ी है लेकिन जेल में जो अपराधी गिरोह बन्द हैं और वह जेलों से ही मोबाइल से व्यापारियों को धमका रहे हैं और रंगदारी ले रहे हैं लखनऊ के जेल अधीक्षक की हत्या के बाद यहां जैमर लगाया गया लेकिन जेलों में जितने अपराधी बन्द हैं वह अपने मोबाइल से अपराधों का संचालन कर रहे हैं। डी0एम0 और एस0पी0 जब जेलों में छापे के लिए जाते हैं तो जैसे ही वह गेट में प्रवेश करते हैं उनको खबर हो जाती है और वह अपने मोबाइल छिपा देते हैं और प्रशासन के अधिकारी उनका कुछ नहीं कर पाते। प्रदेश में जितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनमें जेलों मे बन्द अपराधियों का कहीं न कहीं हाथ रहा है और इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। सामान्य प्रशासन के बारे में कहना चाहता हूं पिछले दिनों स्थानान्तरण हुए एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम समय से बजट ला रहे हैं उसके लिए मैं बधाई देता हूं आपने यह भी दोहराया कि 14 तारीख को विनियोग पास करेंगे और राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर के बाद अप्रैल महीने के अन्दर न केवल वित्तीय

स्वीकृतियां बल्कि विभागीय स्वीकृतियां भी जारी हो जाएंगी अगर आप विभागीय स्वीकृतियां जारी करवा देंगे तो पूरे साल काम करने में आसानी रहेगी। क्योंकि सितम्बर, अक्टूबर तक पैसा जब मिलता था तो उसमें अनियमितता का कारण बनता था। अभी मार्च का महीना चल रहा है यह विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण महीना है पिछले दिनों कुछ सी0डी0ओ0 के स्थानान्तरण हुए इस पर आप जरूर विचार कर लें कम से कम मार्च के महीने में आप स्थानान्तरण न करें क्योंकि आप बजट प्रस्तुत कर रहे हैं तो मार्च तक की जवाबदेही उन्हीं डी0एम0, सी0डी0ओ0 की रहे। वह आपके लक्ष्य की प्रतिपूर्ति करना चाहता है। एक तरफ आप मॉनीटरिंग करके उनसे कहते हैं कि 31 मार्च तक इन सारी योजनाओं पर शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हो जाय और दूसरी तरफ इस तरह से मार्च में स्थानान्तरण कर रहे हैं। जब मार्च मे सी0डी0ओ0 जिलाधिकारी के स्थानान्तरण हो जायेंगे और उनकी जगह पर कोई नया आयेगा तो आपका काम तो प्रभावित होगा ही। हमारे यहां इस समय कोई नहीं है। स्वाभाविक है कि यह सबसे महत्वपूर्ण विकास का महीना है।

मान्यवर, आज हम सुझाव दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इस पर उत्तर भी देना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने अपने संसाधन जुटाने की बात कही और संसाधन जुटाने की दिशा में वह प्रयासरत हैं। इसीलिये उन्होंने इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट काउन्सिल बनाया है। जहां प्रदेश में 10-15 सालों से बिजली का कोई उद्योग नहीं लग रहा था आपने बिजली का उद्योग लगाने की बात की है और यह वचनबद्धता दी है कि दो वर्षो मे इसका कार्य पूरा हो जायेगा। 1989 से जब से कॉंग्रेस की सरकार गई है तब से एक मेगावाट बिजली का कहीं भी उद्योग इस्टेबलिश नहीं हुआ जिस कारण बिजली की मांग के अनुपात मे बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, संसाधन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। केन्द्र योजना आयोग ने भी बजट में बढ़ोत्तरी की है 13,500 करोड़ रूपये जो कि 40 प्रतिशत अधिक है। आप सब जानते हैं कि पिछले 10-15 वर्षों में यह सर्वाधिक बढ़ा है तो 20 प्रतिशत तक लेकिन इस बार इसमें 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आर्थिक पैकेज भी मांग रहे हैं और इसके लिये उनको आश्वासन भी मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पिछले दिनों हमने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की है और उम्मीद है कि हमको आर्थिक पैकेज मिलेगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से बजट के परिव्यय में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है हमको आर्थिक पैकेजे भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश कुछ वर्षो से पिछड़ गया है और विकास की दृष्टि से केन्द्रीय धन की और आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। इस बारे में हम सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे और फिर हम सबका दृष्टिकोण क्या है ? हम सब लोग जो यहां पर चुनकर आते हैं, हम सबका दृष्टिकोण विकास का है। हमारी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है कि हम जनता के प्रति विकास करें। अपने क्षेत्र में विकास करें। हमारे जो गांव हैं उनका शतप्रतिशत विकास हो, हमारे गांव की सड़कें गड्ढामुक्त हों। हमारे लोक निर्माण मंत्री जी ने विश्वास के साथ कहा है कि हम मार्च अप्रैल तक सड़कों को गड्ढामुक्त बनायेंगे। 2004-2005 में जो हमारी विलेज रोड थीं या हमारे जो सम्पर्क मार्ग थे उनके लिये कोई परिव्यय नहीं रखा था। लेकिन इस वर्ष इसके लिये बजट की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज आवागमन बहुत आवश्यक है। जिस तरह से कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, सामान्य प्रशासन अच्छा हो उसी तरह से सामान्य प्रशासन के लिये सबसे महत्वपूर्ण सड़कों का रोल है। आज जो गरीब खेत खलिहान, चौपाल में रहने वाला व्यक्ति है उसको चाहे समग्र गांव की योजना के अन्तर्गत या अन्य किसी योजना में आवागमन की सुविधा मिलनी चाहिए। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आवास उपलब्ध करायें। आज समग्र गांव योजना में डबटेलिंग की बात कही है, उनको संतृप्त करने की बात कही है। इसके लिये आपको राज्य सरकार से भी परिव्यय निर्धारित करना होगा। डबटेलिंग

करने की बात चल रही है। हम लोगों ने जिला योजना की बैठक में, हम ग्यारह घंटे वहां पर रहे और सी0डी0ओ0 और जिलाधिकारी को लाचार देखा कि हमारे पास जितना पैसा था खड़ंजा, नाली और सम्पर्क मार्ग में लग गया। दो वर्षों के सम्पर्क मार्ग जो बाकी हैं 2003-2004 के और 2004-2005 के उनको भी लिया जाना चाहिए और 31 मार्च तक उनको 18 सूत्र में संतृप्त किया जाना चाहिए। दो वर्षों में यह गांव संतृप्त नहीं हुए हैं। मान्यवर, 10 गांव का समग्र रूप से विकास करने के लिए और 18 सूत्र में संतृप्त हो जाएं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, जैसे जब अम्बेडकर गांव में लक्ष्य था तो योजना के लिए पैसा यहां से जाता था। आज जब समग्र ग्राम की योजना है। उसके लिए सरकार को जो गांव हैं उनको संतृप्त करने के लिए पैसा तय करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

सामान्य प्रशासन पर सुझाव दें। समय का ध्यान रखें।

श्री जगदम्बिका पाल–

प्रसंगवश उल्लेख कर दिया। मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इन बातों के ऊपर ध्यान देंगे उनको चिन्ता है और उनका कहना है कि विकास हमारी प्राथमिकता है विकास जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है उसका उल्लेख किया है। मैं गृह सामान्य प्रशासन की बात कर रहा हूं जब नये थानों की घोषणा की गई, यह स्वाभाविक है कि पुराने थाने पर पुलिस बल है जो बैरेक हैं बहुत से थाने हैं जहां पुलिस बल को रहने के लिए जगह नहीं है वह स्थानीय कुंए के जगत पर सोते हैं या फिर बाहर सोते हैं। जो 24 घंटे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उठाते हैं।

***राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–**

पाल साहब के मूल्यवान सुझाव हैं वह महत्वपूर्ण हैं। तमाम लोगों की तरफ से बात रख रहे हैं। लेकिन माननीय नेता सदन को विधान परिषद में जाना है 3.00 बजे का समय पूर्व निश्चित है मेरी प्रार्थना है इसको सीमित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

पाल साहब अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री जगदम्बिका पाल–

स्थिति यह है कि कल फैजाबाद में पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ के ए0एस0डी0 अधिकारी हैं उनके बेटे की हत्या दो माह पहले हुई। अभी तक कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ। वह अभियुक्त धमकी दे रहा है वह कहता है इस मुकदमे को वापस ले लो। पैरवी न करो, इसको मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेज रहा हूं। अपराधियों का इतना मनोबल नहीं होता है कि वह हत्या करे और हत्या के बाद यह धमकी दे कि पैरवी न करो ? दो महीने हो जाएंगे। हत्या के अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। निश्चित रूप से मुख्य मंत्री जी...

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल–

इस तरह होगा तो मुख्य मंत्री जी को निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के प्रति जवाबदेह बनना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी बातों को ध्यान में रखकर सारी बातों का जवाब देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जगदम्बिका पाल जी को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने विपक्ष की भूमिका निभा दी और सत्तापक्ष की भी भूमिका निभा दी सुझाव भी दे दिए। सामान्य प्रशासन पर भी इन्होंने सुझाव दिए। जहां सरकार की इन्होंने कमजोरियां देखीं, वहीं आलोचना भी की है। मैं धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, सामान्य प्रशासन पर एवं गृह मंत्रालय पर अपना भाषण शुरू करने से पहले हम अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर करते हुए हमारी, आपकी और पूरे प्रदेश की तथा देश की सुरक्षा की है। हम चन्दौली जनपद में जो 15 जवान शहीद हुए, उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं और जो विदेशी आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए, उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन जवानों के परिवारों को सरकार की तरफ से संवेदना के साथ-साथ उनको कुछ मदद करने की कोशिश करें। और करेंगे। जहां तक उत्तम प्रदेश बनाने का सवाल है, यह सच्चाई है कि जब तक कि निरपराध प्रदेश नहीं होगा, तब तक उत्तम प्रदेश बनाना सम्भव नहीं है। बन ही नहीं सकता। कानून-व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है और इस सम्बन्ध में हम आपसे तीन हिस्सों में अपनी बात कहेंगे। हम सबसे पहले पश्चिम के जनपदों को लेंगे, जहां पर कानून-व्यवस्था बिगड़ी हुई थी और उसके कारण उद्योगपति और पूंजी निवेश करने वाले दहशत में पड़ गये थे। दहशत ही नहीं, उत्तर प्रदेश मे उद्योग लगाने वाले भी दूसरे प्रदेशों में चले गये थे। गुड़गांव, हरियाणा और गुजरात चले गये थे। लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद, हम अपने पुलिस और जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं कि आज निवेश कितनी तेजी से ग्रेटर नोयडा और नोयडा में बढ़ा है और उद्योगपति लगातार आ रहे हैं। और जो गम्भीर स्थिति थी कि दिल्ली से हरिद्वार और देहरादून कैसे जायें, आज चाहे दिन हो या रात हो, यहां सभी पश्चिम के आए हुए विधायक बैठे हैं, आज चाहे रात हो या दिन हो, देहरादून और हरिद्वार जाने में कोई डर नहीं है और ऐसी कार्यवाई की गई कि अपराधी या तो स्वर्ग सिधार गये या कुछ भाग खड़े हुए या अपनी जमानतें कटवा कर जेल चले गए। हमारे पास आंकड़े भी हैं कि जो सक्रिय माफिया थे, आप देखेंगे जब हम महानगरों की बात करेंगे, कि कितने अपराधी भाग खड़े हुए, कितने स्वर्ग सिधार गये या दूसरे प्रदेशों में चले गये या जमानतें कटवाकर जेलों में हैं। और अब निवेश की शुरूआत बहुत तेजी के साथ हुई है। जहां तक कि मध्य उत्तर प्रदेश की बात है, हमने जानकारी की थी कि 120 साल से लगातार चम्बल-जमुना के बीहड़ों में अपराधी ठहरते रहे हैं। यहां पर पांच नदियां पड़ती हैं। एक परम्परा पड़ गयी थी कि इटावा और जालौन के जो बीहड़ हैं, इनमें हर 6 महीने में एक डकैत पैदा हो जाता है। अभी तक यह परम्परा है। मान्यवर, नाम बदनाम सबसे ज्यादा इटावा का है। अब तो इटावा को लोग जानने लगे हैं, नहीं तो इटावा तो पहले डकैतों के लिए जाना जाता था। लेकिन वर्ष 1993 के बाद, 1994 के बाद और विशेषकर 1995 के बाद ही इटावा में डकैत पैदा हुए ? इससे पहले डकैत नहीं थे ? चाहे तहसीलदार सिंह हों, चाहे हमारी पार्टी से जुड़ी सांसद श्रीमती फूलनदेवी हों, यह इटावा के नहीं थे। फूलन देवी जनपद जालौन की थीं। तहसीलदार सिंह, मान सिंह, लाखन सिंह आदि यह लोग भिंड, मुरैना आदि के थे। यह सही है कि इनके लिए सबसे सुरक्षित जगह इटावा ही पड़ती थी,

छुपने के लिए। हम भी गांवों में जाते थे, टेण्ट लगवाकर रूकते थे। यह भी सही बात है कि आज तक इतिहास में आमने-सामने पुलिस और डकैतों की मुठभेड़ नहीं हुयी। कभी कोई डकैत नहीं मारा गया। मान सिंह को दूध में जहर दिया गया। बाबू गूर्जर को एक मल्लाह ने मार दिया और फूलन देवी को भी मारकर चले गये।

कभी आमने-सामने पुलिस से मुठभेड़ में कोई डकैत नहीं मारा गया। यह पहली बार है हम इटावा के एस0एस0पी0 और पुलिस को बधाई देते हैं कि आमने-सामने चाहे पहलवान सिंह हों, गुर्जर और उसके 5 साथी, रज्जन गुर्जर, लवली पाण्डेय हो, आमने-सामने मुठभेड़ में मारे गये। कई हथियार मिले, कारतूस मिले, 6 लाख रूपये मिले, जेवर भी मिले और 5 साथी और मारे गये और इस तरह से अभी कन्नौज के बच्चे को भी सुरक्षित बचा लिया गया। इसी तरह से 8 बच्चे जो हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, आगरा, मथुरा, कन्नौज और भदोही से लाये गये थे, उन्हें सुरक्षित बचा लिया। ऐसे नारे हमारे सामने भी लगे हैं। पुलिस के पक्ष में नारे लगे हैं और पहले ऐसा वातावरण था कि गांव के लोग इटावा से गांव की ओर जाने से डरते थे, सूचना नहीं देते थे। जब बीहड़ों में फूलनदेवी औ मलखान सिंह का जमाना था तो लोग कहते थे कि नेताजी, हम तो दोनों-दोनों तरफ से परेशान है, पुलिस से भी और डकैतों से भी। और डकैतों से ज्यादा तो हम पुलिस से परेशान हैं। हम दोनों के बीच में पिस रहे हैं। अगर सूचना देते हैं तो हत्या और अगर नहीं देते हैं तो जेल भेज दिया जायेगा और न जाने क्या-क्या धाराएं लगा दी जायेंगी। आज इटावा की पुलिस युद्ध कर रही है। और भी लोग निशाने पर हैं। इसी तरह से पूर्वांचल की बात है। वहां पर समस्या है और उसको सुधारना है। आप स्वयं जानते हैं कि बनारस, आजमगढ़ जौनपुर से गाजियाबाद तक का इलाका यहां पर अपराधियों और माफियाओं का किस तरह से आतंक था। उस आतंक को पुलिस ने खत्म कर दिया है। पुलिस में कमियां हैं, खामियां हैं। मैं भी इससे सहमत हूं। हम और आप भुक्तभोगी हैं। पुलिस के जुर्म जितने हम लोगों ने सहे हैं, यह हम लोग जानते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पूर्वांचल में भी कितनी तेजी से वातावरण बदला है और मुझे विश्वास है कि बहुत तेजी से वातावरण बदल जायेगा। वहां के माफिया निशाने पर हैं। यह सही है कि जेल में मोबाइल चल रहा है और उसी के माध्यम से अपहरण आज हो रहे हैं। आपने जैमर के लिए कहा है। एक जैमर से काम नहीं चलेगा। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। वह भी लगायेंगे। यहां पर अधिकारी बैठे हैं, हम आदेश दे देंगे। चाहे रात हो या दिन हो, चाहे कानून बदलना पड़े, नियम बदलना पड़े हम यह आदेश देंगे कि जिसके पास मोबाइल मिलेगा तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। अगर कानून बदलना पड़े तो बदलेंगे। इनकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। बहुत से माफिया मोबाइल और मिलाई के माध्यम से योजना बना रहे हैं। वह जेल में हैं और वह जानते हैं कि इनका नाम नहीं आने वाला है। यह लाभ उनको है और अपने साथियों से यह काम करा रहे हैं। हमने डी0एम0 और पुलिस के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है कि आप पता लगाये कि कौन-कौन जवान यह काम करता है, कौन वकील है जो इनकी जमानत और पैरवी करवा रहा है और कौन मिलाई का काम करता है। यह सही है कि सबसे ज्यादा अपराध जेलों से हो रहे हैं। वह तो बचे रहेंगे और साथियों को अपराध करने के लिए भेज देंगे। मान्यवर, महानगरों का जहां तक सवाल है-गाजियाबाद में आपको पता है आज कितनी तेजी से वहां पर सुधार हुआ है। कितना तेजी से वहां का वातावरण बदला है, यह आप स्वयं जानते हैं। मान्यवर, हजरतगंज में लोग नमस्ते करना पाप समझते थे, आज वह हजरतगंज नहीं है। सुनामी में लोगों की मदद के लिए चेक लेकर मेरे पास आये। जिनको मेरे चेहरे से नफरत थी, वह नमस्ते तक नहीं करते थे, कोई हमें देखना पसन्द नहीं करते थे, आज वह नमस्ते करते हैं। हमें देखते ही यह कहते थे कि आ गया हिन्दू का दुश्मन, मुसलमान की संतान, मुल्ला मुलायम सिंह और न जाने क्या-क्या। ये राम भक्त

थे ? यह सब राम के आदर्शों पर चले हैं, मर्यादा का पालन किया है ? पता नहीं आपने देखा है या नहीं देखा है ? हमने देखा है। इधर से लेकर उधर तक दौड़े जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं। यह राम का नाम लेते है ? मर्यादा पुरूषोत्तम राम ? उनके आदर्शों पर चल रहे हैं ? राम के आदर्शों पर चलने वाले हम लोग बैठे हैं और कहा हम समाजवादियों ने, "ऐ भारत मां, शिव का मस्तिष्क, राम की मर्यादा, कृष्ण का कर्म"। उनके आदर्शों का मर्यादाओं का पालन हम लोगों ने किया। गौतम बुद्ध और कबीर जैसे महापुरूषों के आदर्श मान कर हम लोग बैठे हैं। यह हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति को समझते हैं। भारतीय संस्कृति को पुर्नजीवित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। संवेदनहीनता तो तब हो गई जब लोग नमस्कार करना छोड़ दें। मान्यवर, पिछली सरकारों के द्वारा कुछ भी काम नहीं किए गए एक किमी0 सड़क अगर उनके द्वारा बनवाई गई हो, तो वह बता दें। पिछली सरकार में हमारे साथी अमर सिंह जी पर, हमारे ऊपर पोटा लगाने की तैयारी थी। जब कुछ नहीं कर सके तो अमर सिंह के पिता की फैक्ट्री में धारा-139 के तहत रातों-रात छापा पड़ा, बिजली के उपभोग को लेकर के। मान्यवर, पिछली सरकार में क्या-क्या आपने किया ? गोलियां नहीं चलाई ? और घर जाकर बन्दूक से धमकाया है। सब पता है, हम सब जानते हैं, सब कुछ देखा है। लेकिन हम लोग सहनशीलता का अनावश्यक लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। हम स्वीकार करते हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी, यह सही है हमने इसके लिए समझाया भी है कि ऐसा मत कीजिए, बदले की भावना से हमने कोई कार्यवाही नहीं की। तब भी हमने सोचा कि मानवता के नाते शायद सुधार हो जाए।

श्री रामस्वरूप सिंह (बिजनौर)–

हो सकता है आप पर हमला किए हो, उसी से आप डर रहे हों और उसी वजह से आपने कुछ न किया हो।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय रामस्वरूप सिंह जी, जानते हैं कि अम्बेडकर के अनुयायी क्या कर सकते है ? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमने सुधारा है माहौल को, गाजियाबाद का भी, बनारस का भी और सब जगह का। आप दखेंगे कि जमानत कटा कर जेल में गए हैं लखनऊ के सारे माफिया। इसी तरह से गाजियाबाद में छः, गौतमबुद्ध नगर में चार, कुख्यात अपराधी अपनी जमानते तुड़वा कर जेल में चले गए हैं। और इटावा का। अब मुश्किल यह हो गई कि हमारे जितने समर्थक हैं, इटावा के गूजर, अरविन्द गूजर भी, उसे खदेड़ा तो भिण्ड में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। हम कहना चाहते हैं कि गाजियाबाद का भू माफिया गोयल, जिसको कोई छू नहीं सकता है, पता नहीं कितनी बड़ी ताकत है, वह भी फरार है। वहां हम जरूर पुलिस की लापरवाही स्वीकार करते हैं। अभी नोयडा और गाजियाबाद की पुलिस ने इतने बड़े भू माफिया, जिसके पीछे पता नहीं क्या-क्या राज निकलने वाले हैं, कल मैं वहां गया भी था, यह कह कर आया हूं, डी0आई0जी0 भी वहां आये थे, आई0जी0 भी थे, कि जिसके पीछे इतनी बड़ी पोल निकलने वाली है, वह माफिया आप देखें। हजरतगंज का वह माफिया कहां है ? यह निष्पक्षता है। अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या नेता भूमि पर कब्जा करता है, अपहरण करवाता है, चोरी करता हे तो सबसे ज्यादा कठोर कार्यवाई उसके खिलाफ की जायेगी। आदर्श में रह कर हमारी सरकार ने काम किया है, पुलिस ने काम किया है, और कर रही है। इससे पहले उसको इतनी छूट कभी नहीं मिली थी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने दी है वह छूट, पहले नहीं थी। सत्तापक्ष की कभी छूट नहीं

थी। मैं हैदराबाद में था या बंगलौर में था, हमारे राम करन आर्या जी बैठे हुए हैं, जगदम्बिका पाल जी मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि बन्दूक किसके हाथ में थी। राम करन आर्या जी को लखनऊ में आते ही गिरफ्तार कर लिया गया और 302 का मुलजिम बनाया गया। जब कि राम करन आर्या कभी गोली नहीं चला सकता और इतने जिम्मेदार व्यक्ति को जेल में बिठाया गया। मैं वहां से तुरन्त आते ही उसी शाम को सीधे यहां आकर अयोध्या में पहुंचा। मैं तो यह कहता हूं कि हमारे साथी बैठे हुए हैं, कि यह सबकी सरकार है और कोई भी अपराधी हो, माफिया हो, हम उसे खिलाफ कार्यवाही करेंगे, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, अकेले मुजफ्फनगर में 56 अपराधी गिरफ्त में आये। मान्यवर, कहीं भी एक भी अपराधी के मारे जाने पर जनता में असंतोष नहीं है। आपकी ही पार्टी के हैं, उप राष्ट्रपति माननीय शेखावत जी हैं। एक बड़े उद्योगपति की शादी में मिल गये और दूसरे भी बड़े-बड़े नेता थे। उसमें मार्क्सवादी पार्टी के हरकिशन सिंह सुरजीत जी पहुंचे थे। आप लोग कम जाते हैं उद्योगपतियों की शादी में मैं बहुत कम देखा है। मैं तो जाता हूं सबके यहां। मैं एक चपरासी के यहां शादी में इलाहाबाद पहुंच गया था मुख्यमंत्री होकर भी और प्रतापगढ़ में भारी भीड़ इक्ट्ठा हो गई थी। जबकि वह चपरासी कोई सरकारी नहीं था, लेकिन वह मेरी भी सेवा कर देता था। उसकी बहन की शादी में पहुंच गया। उसकी मां और उसकी बेटी भी थी। हम आर्शीवाद देना चाहते थे। वहां पर बैठने की जगह भी नहीं थी, इतना छोटा सा घर था। लेकिन इज्जत ज्यादा मिलती है गरीब की शादी में। तो मैं कहना चाहता हूं कि उस उद्योगपति के यहां शादी में उपराष्ट्रपति जी भी गये थे। वह कहने लगे कि मुलायम सिंह यादव जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने पुलिस का मनोबल बढ़ा दिया है क्योंकि वह भी अपनी शुरूआत की जिन्दगी में पुलिस में रहे थे। उन्होंने कहा कि आप कान्सटेबिल को दरोगा बना देंगे उसके जीवन में। यह है कि हम सब इन्सपेक्टर को इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर को डी0एस0पी0 तक पहुंचाना चाहते हैं और जिन्होंने बहादुरी का काम किया है उनको आउट आफ टर्न प्रमोशन भी देंगे। (मेजों की थपथपाहट)

एक तरफ जहां हम पुलिस के खिलाफ कार्यवाई भी कर रहे हैं, मान्यवर, नेता विरोधी दल ने कहा कि हमारा अपमान हुआ है और आपने चैम्बर में बुलाया और उन्होंने लिखित माफी भी ली और माननीय नेता विरोधी दल और माननीय हुकुम सिंह के घर में जाकर डी0एम0 और एस0एस0पी0 ने माफी मांगी। उसके बाद भी आप कहना चाहते हैं, उन्होंने चैम्बर में कहा कि नेता विरोधी दल के पद से वह इस्तीफा देना चाहते हैं क्योंकि मेरा अपमान हुआ है। यह कुछ बातें मैंने बताई हैं। इस सम्बन्ध में जो लग रहा है उसमें ज्यादा खुश मत हो जाइये। चापलूसी में ज्यादा खुश मत होना। अब वहां न जाना पड़े, झांसी में मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया था कि हमें सम्पूर्ण बहुमत चाहिए। इन परिस्थितियों को देखकर कह रहा हूं। इनसे क्या उम्मीद हैं ? लोकतंत्र की इनसे क्या उम्मीद हैं ? भगवान राम से क्या मतलब है ? भीमराव अम्बेडकर, जिनके नाम पर उत्तर प्रदेश को बरबाद करके रख दिया है। इसलिए आपको सावधान होना चाहिए। कभी वह दिन न आने पाये कि आप वहां पहुंचे। मैं जगदम्बिका पाल से कहूंगा कि जरा सुधरे और पार्टी को भी सुधारें क्योंकि राजनीतिक संकट अनावश्यक उत्पन्न हो गया है। यह राजनीतिक संकट नहीं तो और क्या है ? झारखंड में राजनीतिक संकट है। इस तरह से हम देख रहे हैं।

हम अध्यक्ष महोदय, आपसे बताना चाहते हैं कि 9 भू-माफियाओं के विरूद्ध हमने एन0एस0 ए0 लगाया है, 75 के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट और 51 के विरूद्ध गुण्डा एक्ट में कार्यवाई की गयी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोती भू-माफिया ने क्या किया ? आपको आश्चर्य होगा कि 10 अरब 58 करोड़ मूल्य की भूमि की फर्जी प्रविष्टि निरस्त की गयी है। 11 अरब की जमीन है लगभग गाजियाबाद के भू-माफिया के

पास। गाजियाबाद, नोएडा में यह जमीन निकली है और एफ0आई0आर0 करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब यह तो हम कह रहे हैं कि कितने शक्तिशाली हैं यह लोग। क्या कभी चिन्ता होती है ? गम्भीर चिन्ता होती है क्या ? हम लोग क्या सोचकर राजनीति में आये थे ? क्या यह सोचकर आये थे कि यह होगा ? उस समय सैद्धान्तिक विचारों पर बहस होती थी। एक-एक बातों पर कितनी बहस होती थी जाति नीति पर कितनी बहस हुई, भाषा नीति पर कितनी बहस हुई। कितने सम्मेलनों में, शिविरों मे महिला नीति की कितनी बहस हुई। उसको लेकर के अल्पसंख्यकों के बारे में, मुसलमानों के बारे में कितनी बहस हुई। डा0 लोहिया ने करवाई। क्या कहते थे ? मुझे अफसोस है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुसलमान नेता नहीं मिला, दलित नेता नहीं मिल रहा है। तो मौर्या को पकड़ा था, और अपनी पार्टी का एशोसियेट मेम्बर बनाया था बी0पी0 मौर्या को। यह दल अल्पसंख्यक, महिला, गरीब, पिछड़ों के बारे में सोचता है। कितने नेताओं ने बम्बई में भाषण दिये, मुझे याद है। क्या रेल की कभी भी इतनी बड़ी हड़ताल हो सकती है ? एक अवाह्न पर इतनी बड़ी हड़ताल हुयी थी। टैक्सी की इतनी बड़ी हड़ताल भी नहीं हो सकती। यह नेता पैदा हुये थे। और यह समाजबाद का आदर्श है। उस समय के क्या-क्या नारे थे। उस समय के नेताओं ने देश को एक दिशा दी। वह क्या चाहते थे ? उनकी मानवता केवल हिन्दुस्तान तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह सारी दुनिया की मानवता के बारे में सोचते थे। मैंने भी अभी उस दिन कहा था कि शोषण महिलाओं का केवल हिन्दुस्तान में नहीं, बल्कि सारी दुनिया में हो रहा है। अमेरिका में तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार तक नहीं था और जहां से लोकतंत्र आया है, लंदन से, वहां तो अभी कुछ दिन पहले अधिकार मिला है महिलाओं को। अमेरिका में तो काले-गोरे के नाम पर गिरफ्तार हो गये थे, डा0 लोहिया। उस समय वहां प्रवेश कर गये थे। तब जनता के सामने माफी मांगने की बात आई और अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिन्दुस्तान की जनता से माफी मांगी। उन डा0 लोहिया के बारे में यह लोग टिप्पणी कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि डा0 लोहिया क्या है ?

डा0 अम्बेडकर क्या हैं ? इसलिये हम आपसे कहना चाहते हैं। कि हम लोगों के सामने यह आदर्श था, एक तस्वीर थी, एक मंजिल थी कि हमको यहां पहुंचना है। लोग दुखी रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, निराशा रहेगी, तो हमारा प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिये हम कहना चाहते हैं कि इस दिशा मे हमको सबका सहयोग चाहिये और मिला भी है। हमें उत्तर प्रदेश को अपराधमुक्त प्रदेश बनाना है। यह हमने शुरू में भी कहा है। जहां तक पुलिस की बात है, बिहार की सरकार हिम्मत हार गयी थी और जो दो एन0एच0पी0सी0 के इंजीनियर पकड़े गये थे, उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जाकर जीवित बचा लिया। उनके लिये करोड़ों रूपये मांगे जा रहे थे। उसका परिणाम यह हुआ कि बिहार की सरकार ने हमारी पुलिस को सम्मानित किया। हम पुलिस की कोई ऐसे ही तारीफ नहीं कर रहे हैं, पुलिस का एक पक्ष यह भी है। अभी पुलिस वीक हुआ था, हमने उसमें भी कहा था कि सभी महसूस करते हैं कि इंस्पेक्टर लोग दुखी हैं, निराश हैं और परिवार की, घर की, जमीन की ज्यादा चिन्ता है। हमने विचार किया है कि अब यह जूनियर-सीनियर नहीं रहेगा। हमारे दिमाग में जूनियर सीनियर नहीं है। कौन थाने मे सीनियर जायेगा, कौन थाने में जूनियर जायेगा, कौन जिला कौन सीनियर संभालेगा और कौन जिला जूनियर संभालेगा, अब यह नहीं होगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

...थानों की पोस्टिंग में रिजर्वेशन भी बन्द कर दीजिए। मान्यवर, कहीं-कहीं वह लोग कहते हैं कि हम मजबूर हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा अच्छे हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा थाने दे दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव–

उनमें से जो अच्छे लोग होंगे, वह आ जायेंगे। हम किसी वर्ग की उपेक्षा नहीं करेंगे। पहले माफिया सार्वजनिक रूप से मीटिंग करते थे और बंटवारा करते थे कि आप यह लेंगे और हम यह लेंगे। किसी भले आदमी की हिम्मत नहीं होती थी उसमें भाग लेने की। पहले माफियाओं की बैठकें होती थी कि रेल का ठेका कौन लेगा, सड़क का ठेका कौन लेगा। लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं है कि इस तरह के काम करे। अब बी0जे0पी0 के दफ्तरों में मारपीट हो रही है, 13-13 लोग घायल होते हैं। अब माफियाराज बन्द हो गया। दफ्तरों में जो पैसा लिया जाता था, वह बन्द हो गया है। परिवर्तन देखिये कि कैसे हुआ, माफियाराज बन्द हो गया और यह अब बी0जे0पी0 के दफ्तरों में होने लगा। शाकिर अली जी, अभी आपके देवरिया में भी हुआ। उसमें कितने घायल हुए थे ?

लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)–

मान्यवर, आठ-दस लोग घायल हुए होंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव–

पहले रंगदारी की वसूली होती थी, जो कि पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। हमारी सरकार ने उसका मुकाबला किया है। हमारी पुलिस सक्रिय है। अब ऐसी स्थिति नहीं है। पुलिस सक्रिय है। आप देखिये कि केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के डायरेक्टर को उत्तर प्रदेश की पुलिस भिण्ड-मुरैना ग्वालियर के बीच से बिना पैसे दिये बचा लायी। इन्हीं चीजों से आप देखिये कि कितनी सक्रिय है हमारी पुलिय। लोग कहते थे कि कार्रवाई नहीं होती है। पहले कार्रवाई होती थी, आज़म खां पर, शिवपाल यादव पर। बलराम यादव जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं और वह लड़का सुल्तानपुर का सोनू यह सब लोग मुल्ज़िम है, अमर सिंह, मुलायम सिंह, सभी लोग मुल्ज़िम हैं, और मान्यवर, हम लोग चार्जशीटेड हैं। दिन में काऊण्टर करते थे। अब दिक्कत यह हो गयी है और सच है अध्यक्ष महोदय कि इनको जलन है। साम्प्रदायिक शक्तियां आपस में लड़ाते थे, अब वह बंद है, कहीं दंगा हो नहीं रहा है। सच्चाई है कि लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के शिया और सुन्नी में दंगा कराने की कोशिश की गयी थी लेकिन आपने ऐसा कहीं देखा कि हमने 10 मिनट के अन्दर नियंत्रण कर लिया ? 11वां मिनट नहीं लगा। 15 मिनट बाद सब कुछ शांत था। हमें 20 तारीख के लिए सावधान किया गया है, 20 तारीख को चेहल्लमुम के समय पर भी कुंछ कराया जा सकता है। इसलिए हमें सावधान रहना है। हमारे साथी बैठे हैं। आप लोग पता लगा लेना और दोनों वर्गों को बुला लेना, बात कर लेना। उन्हें हमारे पास भी ले आना हम बात कर लेंगे। कुछ लोगों को परेशानी है कि आखिर दंगे हो क्यों नहीं रहे हैं ? पहले जातीय संघर्ष और हिंसा हो रही थी लेकिन हमारी सरकार ने उन शक्तियों का शमन किया। इससे उनको परेशानी है। आज क्या था ? क्या आज कोई तनाव सदन में था ? कहीं कोई गुस्सा नहीं, सब हंस रहे थे। उनका हाथ कांप रहा था, चेहरे पर गुस्सा था1 मैं समझ गया कि कुछ होने वाला है। आज दिल्ली में कानून-व्यवस्था में जो सुधार हुआ है, वह सुधार उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस के कारण से हुआ है, दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय जगह है और सारे अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी वहां आते थे और जब उधर से दबाव और इधर से दबाव हुआ तो दिल्ली में कानून-व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है। यह सुधार यह उत्तर प्रदेश की पुलिस की भूमिका की वजह से हुआ है। मैं यहां सदन के माननीय सदस्यों को सावधान करना चाहता हूं कि नक्सलवाद का मामला बहुत गम्भीर है, इसको बहुत गम्भीरता से आपको लेना होगा।

क्योंकि नक्सलवाद महज कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं रह गया है। बड़े अर्थों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की बात हो रही है। आज मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि हमारी भौगोलिक एकता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि पहले यह कितने संगठनों में बंटा हुआ था। राम स्वरूप जी जानते होंगे, एम0सी0सी0 या और कौन-कौन से संगठन थे। वे सब अब एक हो करके माओवादी हो गये हैं। माओवादी कहकर सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश और देश के सामने रख दी है। उन्होंने एक वृहद नेपाल का नक्शा दिया है और कहा है कि हम एक वृहद नेपाल बनायेंगे। उस वृहद नेपाल में पूरे का पूरा हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत तथा पूर्वांचल के कुछ जिले शामिल हैं। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, खतरा है। इस पर हमें सोचना पड़ेगा। हमारे सहयोगी दल व हमारे मित्र छोटे-छोटे सूबों की बात करते हैं। आप लोगों ने पता लगा लिया होगा। वृहद नेपाल बनाने का फैसला किया गया है। यह कितना खतरा है और यह चिंता आपको और उत्तर प्रदेश को झेलनी है। बहुत से हथियार उत्तरांचल से होकर उत्तर प्रदेश के इलाके में आ रहे हैं। डी0जी0पी0 सुन रहे होंगे, वह तैयारी करें। यह लोग और नक्सलाइट 14 राज्यों के, मिलकर एक संगठन बना रहे हैं। यह पोजीशन आज देश और प्रदेश की है। लेकिन यह जो समस्या है, इस ओर हम सभी को ध्यान देना है। हमारी सबसे बड़ी सफलता यह है कि हमने बिना खतरनाक कानून इस्तेमाल किये, बिना पोटा लगाये, कानून व्यवस्था में सुधार किया है।

(मेजों की थपथपाहट।)

यह जो सी0आर0पी0सी0 और आई0पी0सी0 के कानून हैं। उन्हीं का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने फांसी और दूसरी सजा लोगों को दिलायी है। हमारी यह मामूली उपलब्धि नहीं है कि हमने राजनीतिक बदले की भावना से कार्य नहीं किया है। हमारे पास प्रमाण हैं, हमारे मंत्रियों के पास प्रमाण हैं, कुछ मंत्रियों ने अपने पास छिपाये रखा है, हमने उनसे नहीं पूछा है, लेकिन हमारे दिल और दिमाग में किसी के प्रति बदले की भावना से कार्य करने की इच्छा नहीं है। हमारी समझ में नहीं आता। हमारे प्रतिपक्ष में क्या राजनीतिक संस्कार नहीं हैं ? राजनीतिक परम्पराओं के संस्कार नहीं है ? अफसोस होता है जब वह ऐसी बातें करते हैं। लेकिन हम बदले की भावना से कार्य नहीं करेंगे। जहां तक स्थानान्तरण की बात है, अभी जो लोग डी0एम0 हुये हैं, 5-6 को हमने प्रोन्नत किया है कुछ को हटाया है। बस्ती की बात कही गयी, उसकी हम जांच करायेंगे। अगर लापरवाही होगी तो ट्रांसफर करेंगे अन्यथा शाबाशी देंगे। कन्नौज में हत्या हुयी, हम दिखवायेंगे। अधिकारी बैठे हुये हैं, सुन रहे होंगे। लॉबी में अधिकारी बैठते हैं। जब मुख्य मंत्री या अन्य लोग बोलते थे तो वह लोग पहले नोट करते थे और अपने दफ्तर में जाकर तैयारी करते थे और कार्यवाही करते थे। पहले यह परम्परा थी कि पूरी कार्यवाही वह पढ़ते थे और अपने-अपने विभाग की समीक्षा करते थे। लेकिन उस सरकार के लोगों ने इन परम्पराओं को तहस-नहस किया है। अम्बिका चौधरी जी ने स्वीकार किया है कि भावना के अन्तर्गत उन्होंने कहा। अगर किसी के नेता का अंगुली उठाकर, हाथ उठाकर कोई अपमान करता है तो क्या नेता सदन अपमान करने के लिये है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

बिल्कुल नहीं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आज भा0ज0पा0 के लोग यहां नहीं हैं, परसों क्या हुआ ? प्रमोद जी को बोलने नहीं दिया गया, हमें बोलने नहीं दिया गया है। मान्यवर, आप खड़े हुये तब भी वह लोग बोलने रहे। जबकि यह परम्परा है कि जब स्पीकर खड़ें हो तो बोलना नहीं चाहिये। सारी परम्पराओं को तोड़ दिया गया। क्या यही परम्परा है ? कि नेता सदन के स्पष्टीकरण देने के बाद, वह सही हो या गलत हो, उस पर अलग से बात कर ली जाती है, लेकिन उस पर बहस नहीं की जाती है। यह पढ़े लिखे हैं और विश्वविद्यालय में काम करते हैं हमारी प्रार्थना पर लौटेंगे नहीं और चले जाते हैं। देखेंगे भी नहीं। इनको जलन है कि यह सदन क्यों चला ? बहस क्यों हुई ? परेशानी है कि यह आदर्श काम किया है। आदर्श उत्तर प्रदेश के मायने हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आदर्श हो, हर जगह उत्तम हो, हमारी विधान सभा में आदर्श स्थापित हों। एक घोषणा इस सदन में करनी है। यहां विधान सभा सचिवालय और विधान परिषद् सचिवालय में जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको पुलिस कर्मियों की भांति पौष्टिक आहार भत्ता 350 रूपये से बढ़ाकर 550 रूपये किया जायेगा, क्योंकि आप लोग वंचित रह जाते हैं। हमारी सरकार अपराधियों के लिए वज्र से भी कठोर है और अच्छे आदमियों के लिए फूल से भी कोमल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। चूंकि हम दूसरे सदन में जा रहे हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको हमारे सामने ही अगर पास कर देंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने सन्त कबीर नगर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पद पर पोस्टिंग कर दी है इसी तरह से बस्ती मण्डल की मण्डलायुक्त और डी0आई0जी0 के पदों पर भी बहाली कर दें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है वहां से निर्णय हो जाने दीजिए। यह पैसा जो बच रहा है, वह विकास कार्य में खर्च हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि किसी कटौती का प्रस्ताव तो रखा नहीं है इसलिए हम सीधे प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 26,11,23,63,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 41,56,000 रूपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

विनियोग विधेयक, 2005 को निर्धारित समय से पूर्व लिये जाने का प्रस्ताव

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि विनियोग विधेयक को 3.00 बजे से पहले ले लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि विनियोग विधेयक 3.00 बजे से पहले 2.15 बजे ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि विनियोग विधेयक 3.00 बजे से पहले 2.15 बजे ले लिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2005

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां बांट दी जायं।

(प्रतियां बांटी गयीं)

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2005

31 मार्च, 2006 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2005-2006 के लिए 75731,84,91,000 रूपये का निकाला जाना

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रूपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 75731,84,91,000 रूपये (रूपये पचहत्तर हजार सात सौ इकत्तीस करोड़ चौरासी लाख इक्यानवे हजार रूपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रूपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	331712	300	332012
		पूंजी :	.....	.....	0
02	आवास विभाग	राजस्व :	1256639	157594	1414233
		पूंजी :	1	253174	253175
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	480623	400	481023
		पूंजी :	.....	.....	0
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	185628	.....	185628
		पूंजी :	4585	.....	4585
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	322573	.....	322573
		पूंजी :	.....	.....	0
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	334042	.....	334042
		पूंजी :	4000	.....	4000
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	105500	.....	105500
		पूंजी :	883253	.....	883253
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	राजस्व :	596077	.....	596077
		पूंजी :	65795	.....	65795

अनुसूची

(क्रमश :)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रूपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	16825794	2500	16828294
		पूंजी :	7355524	.....	7355524
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	633999	4013	638012
		पूंजी :	43657	.....	43657
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	8166628	510	8167138
		पूंजी :	1028325	.....	1028325
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	699934	.....	699934
		पूंजी :	.....	.....	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	9485404	1000	9486404
		पूंजी :	9091890	.....	9091890
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	6566039	.....	6566039
		पूंजी :	57054	.....	57054
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	1701548	250	1701798
		पूंजी :	303100	.....	303100
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	140055	20	140075
		पूंजी :	.....	.....	0

अनुसूची

(क्रमश :)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रूपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	278989	.....	278989
		पूंजी :	.....	.....	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	3231506	64906	386412
		पूंजी :	43106	131100	174206
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	109134	.....	109134
		पूंजी :	.....	.....	0
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	7582	120070	127652
		पूंजी :	.....	500	500
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	1279849	1250085	2529934
		पूंजी :	50806311	9000050	59806361
22	खेल विभाग	राजस्व :	192302	100	192402
		पूंजी :	120000	.....	120000
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	581515	150	581665
		पूंजी :	63200	.....	63200
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	193454	5978	199432
		पूंजी :	.....	48930	48930
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	1200650	800	1201450
		पूंजी :	473520	.....	473520

अनुसूची

(क्रमश :)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रूपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	24651469	5171	24656640
		पूंजी :	1460894	334	1461228
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	1186338	.....	1186338
		पूंजी :	60000	.....	60000
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	596537	.....	596537
		पूंजी :	.....	.....	0
29	*गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	.....	31153	31153
		पूंजी :	.....	.....	0
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	12751	.....	12751
		पूंजी :	.....	.....	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	6149899	.....	6149899
		पूंजी :	620000	.....	620000
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	9625214	1000	9626214
		पूंजी :	2868002	.....	2868002

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या 29

अनुसूची

(क्रमश :)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रूपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	1296138	.....	1296138
		पूंजी :	12170	.....	12170
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	621204	25	621229
		पूंजी :	30000	.....	30000
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	4349382	500	4349882
		पूंजी :	229082	.....	229082
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक विभाग)	राजस्व :	1925421	700	1926121
		पूंजी :	.....	.....	0
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	2752311	.....	2752311
		पूंजी :	1130000	.....	1130000
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	67889	.....	67889
		पूंजी :	385000	.....	385000
39	भाषा विभाग	राजस्व :	39744	.....	39744
		पूंजी :	.....	.....	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	532290	.....	532290
		पूंजी :	5100011	.....	5100011

अनुसूची

(क्रमश :)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रूपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	239364	.....	239364
		पूंजी :	.....	.....	0
42	न्याय विभाग	राजस्व :	3004089	594470	3598559
		पूंजी :	301001	.....	301001
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	325921	.....	325921
		पूंजी :	29500	.....	29500
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	63957	.....	63957
		पूंजी :	72884	.....	72884
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	822857	.....	822857
		पूंजी :	800000	.....	800000
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	12309	.....	12309
		पूंजी :	.....	.....	0
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	1199294	102	1199396
		पूंजी :	31106	.....	31106
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व :	1993164	205	1993369
		पूंजी :	5002	.....	5002
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	8501797	.....	8501797
		पूंजी :	21716	.....	21716

अनुसूची

(क्रमश :)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रूपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
50	राजस्व विभाग	राजस्व :	1886745	350	1887095
	(जिला प्रशासन)	पूंजी :	250000	.....	250000
51	राजस्व विभाग (दैवी	राजस्व :	1795058	1778100	3573158
	विपत्तियों के सम्बन्ध में	पूंजी :	.....	.....	0
	राहत)				
52	राजस्व विभाग (राजस्व	राजस्व :	6115602	1335	6116937
	परिषद् तथा अन्य व्यय)	पूंजी :	5853	1051	6904
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	1563	.....	1563
		पूंजी :	100	.....	100
54	लोक निर्माण विभाग	राजस्व :	5357208	400	5357608
	(अधिष्ठान)	पूंजी :	.....	.....	0
55	लोक निर्माण विभाग	राजस्व :	146853	16615	163468
	(भवन)	पूंजी :	109589	4066	113655
56	लोक निर्माण विभाग	राजस्व :	.....	.....	0
	(विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	पूंजी :	2925000	.....	2925000
57	लोक निर्माण विभाग	राजस्व :	40000	.....	40000
	(संचार साधन-सेतु)	पूंजी :	1738610	.....	1738610

अनुसूची

(क्रमश :)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रूपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
58	लोक निर्माण विभाग	राजस्व :	3294097	500	3294597
	(संचार साधन सड़कें)	पूंजी :	15669877	55000	15724877
59	लोक निर्माण विभाग	राजस्व :	474020	.....	474020
	(राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	पूंजी :	115431	.....	115431
60	वन विभाग	राजस्व :	1309145	1370	1310515
		पूंजी :	588379	.....	588379
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा	राजस्व :	32714456	137727977	170442433
	तथा अन्य व्यय)	पूंजी :	1312001	128240767	129552768
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते	राजस्व :	31175429	9963	31185392
	तथा पेंशनें)	पूंजी :	1000000	.....	1000000
63	वित्त विभाग (कोषागार	राजस्व :	598074	650	598724
	तथा लेखा प्रशासन)	पूंजी :	28969	.....	28969
64	वित्त विभाग	राजस्व :	7538	.....	7538
	(राज्य लाटरी)	पूंजी :	.....,	.....	0
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा,	राजस्व :	646552	.....	646552
	अल्प-बचत आदि)	पूंजी :	.....	.....	0
66	वित्त विभाग (सामूहिक	राजस्व ;	9211	1086942	1096153
	बीमा)	पूंजी :	.....	.....	0

अनुसूची

(क्रमश :)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रूपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	114305	3420	117725
		पूंजी :	3600	.....	3600
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	306911	4181	311092
		पूंजी :	4250	.....	4250
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व:	206055	.....	206055
		पूंजी :	.....	.....	0
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	55482126	.....	55482126
		पूंजी :	32745	.....	32745
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	23807693	270	23807963
		पूंजी :	182928	.....	182928
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	5725921	25	5725946
		पूंजी :	390000	.....	390000
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	499016	.....	499016
		पूंजी :	.....	.....	0
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	804436	.....	804436
		पूंजी :	442	.....	442

अनुसूची

(क्रमश :)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रूपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	752004	.....	752004
		पूंजी :	10315	.....	10315
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	1632760	.....	1632760
		पूंजी :	2742	.....	2742
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	6260134	.....	6260134
		पूंजी :	60758	.....	60758
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	8258587	.....	8258587
		पूंजी :	.....	.....	0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	162817	10	162827
		पूंजी :	39550	.....	39550
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	118604	8872	127476
		पूंजी :	.....	.....	0
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	16778767	.....	16778767
		पूंजी :	4871632	.....	4871632

अनुसूची

(क्रमश :)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रूपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	4156	.....	4156
		पूंजी :	.....	.....	0
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	18281	.....	18281
		पूंजी :	.....	.....	0
86	सूचना विभाग	राजस्व :	288738	.....	288738
		पूंजी :	67025	.....	67025
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	241250	10	241260
		पूंजी :	10168	.....	10168
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व :	20239	.....	20239
		पूंजी :	.....	.....	0
89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	राजस्व :	1917000	1003	1918003
		पूंजी :	31711	.....	31711
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व :	280621	.....	280621
		पूंजी :	.....	.....	0
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व :	610142	4	610146
		पूंजी :	.....	.....	0

अनुसूची

(क्रमश :)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रूपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	130082	5	130087
		पूंजी :	11100	.....	11100
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	5182121	1001	5183122
		पूंजी :	1200007	.....	1200007
96	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	8651769	.....	8651769
		पूंजी :	16703442	40000	16743442
	योग	राजस्व :	345792601	142885005	488677606
		पूंजी :	130865913	137774972	268640885
	महायोग :		476658514	280659977	757318491

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आज़म खाँ–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक , 2005 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 14 मार्च, 2005 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 38 सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जो परिवहन विभाग में हाई टैक्नोलॉजी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के मामले में करोड़ों रूपये का घोटाला किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

सदन का बहिष्कार करने वाले अनुपस्थित सदस्यों की सूचनाएं लिये जाने विषयक जानकारी

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, जब वे बहिष्कार करके चले गये हैं तो उनकी नोटिस कैसे ली जायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

ऐसा नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जब सदन की कार्यवाही से बहिष्कार कर गये तो उनकी स्वीकृत कैसे होगी ?

श्री अध्यक्ष–

नहीं ऐसा नहीं है। वे आये थे और सूचना दी थी। जब तक वे निलम्बित नहीं होंगे तब तक उनकी सूचना ली जायेगी। वे आये थे और किन्हीं परिस्थितियों में चले गये। मौर्या जी ने अपनी 301 की सूचना दी थी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना, श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू जो ऊर्जा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बिजली चोरी पर रोक लगाये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। तीसरी सूचना, श्री मुंशी लाल गौतम की, जो जनपद बुलन्दशहर की नगरपालिका परिषद्, शिकारपुर स्थित वक्फ बोर्ड की जमीन पर सैकड़ों वर्षों से काबिज भवन अध्यासियों को कानूनी हक प्रदान किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना, श्रीमती राजरानी रावत की, जो जनपद बाराबंकी के ग्राम सफीपुर के पास कल्याणी नदी पर पुल बनाये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवीं सूचना श्री राम करन आर्य की, जो जनपद बस्ती स्थित गोविन्दपुर गांव को मनोरमा नदी के कटान से बचाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की, जो मेरठ महानगर में पेयजल आपूर्ति के संबंध में भोले की झाल से सरफेस वाटर की आपूर्ति की योजना को पूर्ण रूप दिये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह की, जो जनपद आगरा स्थित जिला सहकारी बैंक के अनन्तिम निर्वाचन क्षेत्रों के नाम, निर्वाचित होने वाले संचालकों की संख्या में आरक्षण व्यवस्था न अपनाये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर की जो लखनऊ स्थित डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्री विद्यासागर गुप्ता की, जो जनपद लखनऊ के बड़ा चांदगंज मोहल्ले में मकान नं0-521/59 के सामने दबंग लोगों द्वारा नजूल की भूमि पर कब्जा किये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की, जो जनपद झांसी के मऊरानीपुर में गांव की विद्युत मेन लाइन चोरों द्वारा काटने से विद्युत आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। शेष माननीय सदस्यों श्री कल्याण सिंह दोहरे, डा0 विनोद तिवारी, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री फागू चौहान, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी', डा0 राम बाबू हरित, श्री कोबिद कुमार सिंह, श्री श्याम प्रकाश, श्री राम बिशुन आजाद, श्रीमती सुखदेवी वर्मा, श्री मिथिलेश कुमार, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्रीमती कृष्णा पासवान, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री अशोक सिंह चौहान, श्री अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सत्य प्रकाश अहिरवार, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री राम इकबाल सिंह, श्री सोमारू राम सरोज, श्री कौशल किशोर, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री प्रदीप जैन आदित्य, डा0 पूर्णमासी देहाती, श्री रणवीर राणा, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री मदन चौहान तथा श्री विश्राम सिंह यादव की सूचनाएं अस्वीकृत हुई।

प्रदेश में व्यापार कर के स्थान पर वैट लागू किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)–

[डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा की गयी मांग के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वैट के सम्बन्ध में राज्य के वित्त मंत्रियों की गठित प्राधिकृत समिति के द्वारा देश में

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 1अप्रैल, 2005 से वैट लागू करने का निर्णय लिया गया है, परन्तु प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में वैट लागू करने का कोई आश्वासन न तो प्राधिकृत समिति को और न ही भारत सरकार को दिया गया है।

राज्य सरकार वैट प्रणाली के सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् ही वैट लागू करने के सम्बन्ध में निर्णय लेगी।]

जनपद सीतापुर के प्राथमिक विद्यालयों और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु स्वीकृत प्रस्तावों के बाद भी निर्माण न होने के संबंध में श्री रामहेत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

[श्री रामहेत भारती, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्नगत सूचना में मुख्यत: यह उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र 64, हरगांव में प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर को प्रेषित किया गया, किन्तु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके प्रस्ताव के संबंध में बार-बार कहने के बावजूद तथा शासी निकाय की बैठक में जिलाधिकारी के निर्देश पर भी न तो सूची उपलब्ध कराई गई और न ही विद्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। दूसरी ओर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय भवनों का शिलान्यास व उद्घाटन किया जा रहा है, जो संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन एवं दूषित मानसिकता का परिचायक है। विद्यालय के भवनों के निर्माण में काफी कमीशन भी लिया गया है।

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र हरगांव में प्राथमिक विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालय का निर्माण कराये जाने का कोई प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय सीतापुर में प्राप्त नहीं हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में भी मा0 सदस्य का तद्विषयक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। दिनांक 3-7-2004 एवं दिनांक 29-1-2005 को सम्पन्न हुई जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सीतापुर की शासी निकाय की बैठक के कार्यवृत्त के अवलोकन से भी यह स्पष्ट हुआ कि विधान सभा क्षेत्र 64 हरगांव के अन्तर्गत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण के संबंध में मा0 सदस्य द्वारा प्रस्तावित विद्यालयों की सूची प्रस्तुत करने के संबंध में जिलाधिकारी, सीतापुर के स्तर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर को कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं। तत्क्रम में यह भी अवगत कराना है कि विद्यालय भवनों का शिलान्यास व उद्घाटन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर द्वारा नहीं किया गया है, अपितु शिलान्यास व उद्घाटन का कार्य जन प्रतिनिधियों से ही कराया गया है तथा विद्यालय भवनों के निर्माण में कमीशन लिये जाने संबंधी आरोप की जांच कराकर आख्या उपलब्ध कराने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक नि0का0/एस0एस0ए0/नियम/2858/2004-05 दिनांक 11-3-2005 द्वारा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) लखनऊ मण्डल लखनऊ को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं। जांच आख्या प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फतेहपुर थाना जाफरगंज में 8 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किये जाने एवं अपराधियों को गिरफ्तार न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)–

[पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मोहन लाल प्रजापति पुत्र स्व0 बदलू, निवासी जाफरगंज ने दिनांक 11-1-2005 को थाना-जाफरगंज में तहरीरी सूचना अंकित करायी कि दिनांक 10-1-05 को समय करीब 3.00 बजे उसकी पुत्री कु0 प्रियंका उम्र करीब 8 वर्ष, गांव के रोशन, बलराम, कु0 सुनीता, रेनू, पूजा एवं रूबी के साथ सेवसी जंगल में लकड़ी बीनने गयी थी, जहां पर पहले से मौजूद दंगल निवासी ग्राम-सेवसी ने उसी लड़की प्रियंका से हंसिया मांगा, प्रियंका ने हसिया नहीं दिया तो दंगल ने उसको बाल पकड़कर गाली-गलौज करते हुए जबरदस्ती हंसिया छीन लिया तथा गर्दन दबाकर मारा पीटा, साथ के बच्चों ने शोर मचाया, मौके पर राहगीर पहुंच गये तो दंगल जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। उक्त सूचना के आधार पर मु0अ0सं0-4/05 धारा-323/504/506 भा0द0वि0 का अभियोग दंगल सिंह के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा वादी एवं कु0 प्रियंका व अन्य साथ के बच्चों के जो लकड़ी बीनने गये थे एवं चश्मदीद साक्षियों के कथन अंकित किये गये। साक्षियों ने अपने कथन में प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया। अभियुक्त दंगल सिंह को दिनांक 20-1-05 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा आरोप प्रमाणित होने पर आरोप पत्र संख्या-9 प्रेषित किया गया।

आवेदक श्री मोहन लाल प्रजापति द्वारा उक्त घटना के 17 दिन बाद दिनांक 27-1-05 को जिलाधिकारी, फतेहपुर को दिये गये शिकायती प्रार्थना-पत्र में भी कु0 प्रियंका के साथ दुष्कर्म किये जाने की बात की उल्लेख नहीं किया गया है।

उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच के क्रम में वादी मुकदमा, मजरूबा कु0 प्रियंका एवं उसके साथ लकड़ी बीनने गये अन्य बच्चों तथा ग्रामवासियों से पूछताछ एवं जानकारी की गयी तो सभी के द्वारा केवल मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी की बात बताई गई है, किसी के द्वारा कु0 प्रियंका के साथ दुष्कर्म किये जाने की बात नहीं बतायी गयी।]

जिला कारागार, मेरठ में बंदी देवेन्द्र की मृत्यु के संबंध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना कारागार मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)–

[विचाराधीन बंदी देवेन्द्र पुत्र श्री देशराज आयु लगभग 30 वर्ष निवासी ग्राम भड़ौली, थाना किठौर, जनपद मेरठ को मुकदमा अपराध संख्या 220/2004 अन्तर्गत धारा 363/366/376/506 भारतीय दण्ड विधान में दिनांक 20-01-2005 को जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध हुआ था। इस बंदी की जिला कारागार, मेरठ में दिनांक 27-2-2005 को मृत्यु हो गयी, जिसकी सूचना मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मा0 उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग तथा अन्य सभी संबंधित को प्रेषित कर दी गयी। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा घटना की मैजिस्टीरियल जांच हेतु नगर मजिस्ट्रेट, मेरठ को

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिकृत किया गया है तथा प्रारम्भिक जांच के अनुसार यह प्रतीत होता है कि उक्त बंदी की हत्या की गयी है। इस संबंध में थाना मेडिकल, मेरठ में अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या-29/2005 धारा 302 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा पुलिस द्वारा विवेचना जारी है। शासनादेश दिनांक 02-3-2005 द्वारा अपर महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ की जांच के आदेश निर्गत किये गये थे। अपर महानिदेशक (प्रशासन), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा जांच आख्या दिनांक 07-3-2005 को शासन को उपलब्ध करायी गयी है, जिस पर सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा निम्न प्रकार निर्णय लिये गये हैं। :--

(1) सर्वश्री बलजीत सिंह, सत्य प्रकाश दुबे एवं आर0 के0 सिंह, उप कारापालों को निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही।

(2) श्री एस0सी0 लूथरा, कारापाल का जिला कारागार, लखनऊ सम्बद्धीकरण

(3) श्री महेश गुप्ता, कारापाल का केन्द्रीय कारागार, बरेली को स्थानांतरण।

(4) प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत मामले की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने हेतु गृह विभाग से अनुरोध।

(5) इसके साथ ही दो बंदी रक्षकों सर्वश्री सन्तोष कुमार फैज अहमद एवं एक प्रधान बंदी रक्षक श्री गाजी राम को निलम्बित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

2- जहां तक जिला कारागार, मेरठ में विभिन्न तिथियों में हुई बंदियों की मृत्यु का संबंध है, के संबंध में अभिलेखों के अनुसार विवरण निम्नवत् है :--

(1) दिनांक 12-2-2003 को मृतक बंदी मदन उर्फ मटरा-बंदी की मृत्यु की मजिस्टीरियल जांच, जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के पत्र दिनांक 27-6-2003 द्वारा प्राप्त हो गयी है। बंदी की विसरा में कोई विष नहीं पाया गया।

(2) दिनांक 23-12-2003 मृतक बंदी देवीशरन पुत्र श्री सुनामल-बंदी की मजिस्टीरियल जांच प्रचलित है।

(3) दिनांक 24/25-12-2003 मृतक बंदी तेजा पुत्र श्री भगन्ता-बंदी की मजिस्टीरियल जांच प्रचलित है। बंदी की विसरा रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, जिसमें कोई विष नहीं पाया गया है।

(4) दिनांक 26-1-2004 मृतक बंदी राजकुमार पुत्र श्री रमेश कुमार-घटना की मजिस्टीरियल जांच रिपोर्ट दिनांक 26-4-2004 को प्राप्त हो गयी है, जिसमें किसी भी जेल कर्मी को दोषी नहीं पाया गया है।

(5) दिनांक 12-3-2004 बंदी केशर उर्फ सागीरा पुत्र सद्दीक-बंदी की मजिस्टीरियल जांच रिपोर्ट दिनांक 27-7-2004 को प्राप्त हो गयी है। जांच रिपोर्ट में किसी भी जेल कर्मी को दोषी नहीं पाया गया है।]

जनपद सुल्तानपुर के शास्त्री नगर में निर्मित जलाशय को चालू किये जाने हेतु नलकूप न लगाये जाने के संबंध में श्री ओम प्रकाश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)–

[श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 4-3-2005 को सुल्तानपुर के शास्त्रीनगर में वर्ष 1983-84 में प्रस्तावित एक करोड़ अस्सी लाख की योजनान्तर्गत बनायी गयी अवर जलाशय को भरने हेतु अभी तक चार नलकूप न लगाये जाने के संबंध में निम्नानुसार सूचना दी है :--

> " नगर पालिका परिषद, सुल्तानपुर के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1983-1984 में पेयजल समस्या को दूर करने हेतु शास्त्रीनगर मुहल्ले में अवर जलाशय (पानी की टंकी) बनाये जाने हेतु एक करोड़ अस्सी लाख की योजना 2250 कि0मी0 क्षमता की पानी टंकी तथा इसे भरने हेतु 6 नलकूप की योजना बनी थी, धन भी खर्च हो गया परन्तु आज लगभग 20 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं आज तक पानी की टंकी चालू नहीं हो सकी जिसके कारण पानी की सप्लाई का कई मुहल्लों में अत्यधिक संकट है। "

2- उपरोक्त के संदर्भ में यह अवगत कराना है कि वर्ष 1984-85 में रू0 183.45 लाख की सुल्तानपुर पुनर्गठन पेयजल योजना वितरित की गयी थी किन्तु योजना हेतु कोई धनराशि अवमुक्त नहीं हो सकी। वर्ष 1988-89 में तुरन्त राहत पेयजल योजना के अन्तर्गत रू0 68.10 लाख की योजना वितरित की गयी जिसके अन्तर्गत 2250 किलो लीटर क्षमता एवं 23 मी0 स्टर्जिग का एक अवर जलाशय शास्त्री नगर मोहल्ले में तथा तीन नलकूपों का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जिसे पूर्ण कराया जा चुका है। योजनान्तर्गत तीन नलकूपों में से 2 नलकूप शास्त्रीनगर में तथा एक नलकूप राहुल टाकीज के पास अधिष्ठापित किये गये हैं। शास्त्री नगर स्थित दोनों नलकूपों से अवर जलाशय एवं सीधे पम्पिंग के माध्यम से तथा राहुल टाकीज स्थित नलकूप से सीधे पम्पिंग द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त हैण्ड पम्प भी अधिष्ठापित है। वर्तमान में कोई पेयजल संकट नहीं है।]

जनपद-लखीमपुर-खीरी के परसिया घाट तथा पटना घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती माया प्रसाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना जाये।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)–

[प्रश्नगत सूचना के माध्यम से मा0 सदस्य ने जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड नकहा अन्तर्गत मकसौहा के पास परसिया घाट एवं मझरा के पास पटना घाट पर सेतुओं के निर्माण हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। सूचना में इंगित कार्यों की स्थिति निम्नवत् है :--

(1) बिलरायां-पनवारी राज्य मार्ग संख्या-21 के कि0मी0-51 से निकलने वाले त्रिकोलिया

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सम्पर्क मार्ग पर ग्राम परसिया के पास चौका नदी पर परसिया घाट स्थित है। इस घाट की दूरी त्रिकोलिया सम्पर्क मार्ग से लगभग 01 कि0मी0 एवं मकसौहा सम्पर्क मार्ग से लगभग 1.5 कि0मी0 है। इस घाट से 10 कि0मी0 अपस्ट्रीम में बिलरायां-पनवारी मार्ग के कि0मी0-48 में 69.00 मीटर स्पान का पक्का सेतु एवं डाउन स्ट्रीम में 08 कि0मी0 की दूरी पर शारदा फीडर कैनाल पर चौक साइफन स्थित है, जिस पर आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। प्रस्तावित स्थल पर 79.40 मीटर स्पान के सेतु के अतिरिक्त 200-200 मीटर लम्बाई के पहुंच मार्ग एवं 2.10 कि0मी0 लम्बाई में अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण की आवश्यकता होगी जिसकी लागत रू0 180.64 लाख अनुमानित है। प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों तथा अपस्ट्रीम में 69.00 मीटर स्पान के पक्के सेतु एवं डाउन स्ट्रीम में 08 कि0मी0 की दूरी पर शारदा फीडर कैनाल पर स्थित चौका साइफन के दृष्टिगत परसिया घाट पर सेतु के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

(2) पीलीभीत-बस्ती राज्य मार्ग संख्या-26 के कि0मी0-151 से 6.10 कि0मी0 की दूरी पर स्थित चौका नदी पर ग्राम पटना बैजनाथ पुरवा के पास पटना घाट स्थित है। इस घाट के अपस्ट्रीम में 03 कि0मी0 की दूरी पर चौका साइफन स्थित है जिस पर आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। डाउन स्ट्रीम में लगभग 04 कि0मी0 की दूरी में रौलिया घाट पर 70.40 मीटर लम्बाई का पक्का सेतु निर्माणाधीन है। इस प्रकार अपस्ट्रीम में निर्मित एवं डाउन स्ट्रीम में निर्माणाधीन सेतु के दृष्टिगत पटना घाट पर सेतु के निर्माण का औचित्य नहीं है।]

जनपद आजमगढ़ स्थित मगई नदी पर बने अधूरे पुल के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)–

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 04 मार्च 2005 को दी गयी सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाये गये हैं, कि विधान सभा क्षेत्र-मेहनगर, जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत डीहा मार्ग पर मगई नदी पर पुल निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है। निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा था लेकन बीच में ही धन अभाव होने के कारण पुल का निर्माण कार्य रूक गया है, जिससे ग्रामीण जनता को अत्यधिक कठिनाई हो रही है। पुल का निर्माण कार्य होना जनहित में अति आवश्यक है।

उपर्युक्त नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा, क्षेत्र-मेहनगर के अन्तर्गत डीहा बाजार मार्ग पर मगई नदी पर सेतु का निर्माण कार्य नाबार्ड से आर0आई0डी0एफ0-7 योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित है। 58.4 मीटर लम्बे सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-4782 ई/23-11-2001-189ई/2001 लोक निर्माण अनुभाग-11, दिनांक 30 मार्च 2002 द्वारा रू0-113.27 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निर्गत की जा चुकी है, तथा उक्त स्वीकृति के सापेक्ष वर्तमान में शत-प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। सेतु का निर्माण कार्य जून 2005 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।]

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा इण्टरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा के मूल्यांकन पद्धति में हाईस्कूल की तर्ज पर ग्रेडिंग व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या-38 स्थगित किया जाता है।

जनपद मुरादाबाद स्थित फतेहगढ़ से धूमनगर भगतपुर से हुलासपुर आदि कतिपय मार्गों का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब देवी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)–

[श्रीमती गुलाब देवी, मान0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 04-3-05 को नियम-51 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चन्दौसी जनपद मुरादाबाद के चार मार्गों-कुढ-फतेहगढ़ से धूमनगर होती हुई मिलक तक लम्बाई-1 कि0मी0, भगतपुर पहली से हुलासपुर होती हुई खबरिया तक का शेष भाग लम्बाई-1 कि0मी0, स्योडारा मंगूपुरा मार्ग से गुरगांव का लिंक रोड लम्बाई लगभग 1 कि0मी0 व छाबड़ा से ढड़ौला तक लम्बाई-1 कि0मी0 मार्गों जिन पर केवल पत्थर डालकर छोड़ दिया गया है, का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना में उल्लिखित चारों मार्गों के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत है :--

1- कुढ़ फतेहगढ़ से धूमनगर होती हुई मिलक तक मार्ग :--

मार्ग की कुल लम्बाई 1.52 कि0मी0 है। प्रथम 0,300 कि0मी0 लम्बाई को गन्ना विभाग द्वारा लेपित किया जा चुका है। मार्ग का शेष भाग, जिसकी लम्बाई 1.22 कि0मी0 पत्थर खड़ंजा स्तर का है। मार्ग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है। वर्तमान में यह मार्ग किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

2- भगतपुर पेली से हुलासनगर होती हुई खबरिया मार्ग :--

बिलारी-डारनी ग्रामीण मार्ग के कि0मी0 20.00 से बाई ओर निकले छाबड़ा धन्नूपुर मार्ग के कि0मी0 2.00 में भगतपुर पहली एवं कि0मी0-5 में ग्राम छाबड़ा स्थित है। भगतपुर पहली से छाबड़ा तक 3.00 कि0मी0 का भाग लेपित स्तर का है, परन्तु क्षतिग्रस्त है।

छाबड़ा से हुलास नगर की लम्बाई 2.00 कि0मी0 है जिसमें प्रथम कि0मी0 लेपित है तथा

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शेष 1.00 कि0मी0 पत्थर खड़न्जा स्तर का है। हुलास नगर से खबरिया की ल0 2.00 कि0मी0 है इस पर शून्य से लेपन स्तर का कार्य होना है। अत: छाबड़ा से खबरिया कुल 3.00 कि0मी0 मार्ग का लेपन किया जाना है। यह लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का मार्ग है। वर्तमान में यह मार्ग किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

3- स्योडारा-मंगूपुरा मार्ग से गुरूगांव तक का मार्ग :--

मार्ग की कुल लम्बाई 4.40 कि0मी0 है, जिसमें से प्रथम 1.50 कि0मी0 लेपित मार्ग है। अवशेष 2.90 कि0मी0 में से 2.20 कि0मी0 का भाग ईट खड़ंजा तथा शेष भाग 0.70 कि0मी0 पत्थर के खड़न्जा स्तर का है। मार्ग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का है। वर्तमान में यह मार्ग किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

4- छाबड़ा से ढडौला मार्ग :--

मार्ग की कुल लम्बाई 1.50 कि0मी0 है। प्रथम 0.400 कि0मी0 लेपित मार्ग है। शेष 1.10 कि0मी0 पत्थर से खड़ंजा स्तर का है। मार्ग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है। वर्तमान में यह मार्ग किसी योजना में स्वीकृति नहीं है।]

मैनपुरी के ग्राम सभा अंगोधा के प्रधान एवं लेखपाल द्वारा फर्जी पट्टे किए जाने के संबंध में श्री अशोक सिंह चौहान, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)–

[ग्राम सभा अंगोधा विकास खण्ड मैनपुरी जनपद मैनपुरी के प्रधान एवं लेखपाल द्वारा दिनांक 21-7-04 को फर्जी बैठक दिखाकर 211 अपात्र व्यक्तियों को पट्टा किए जाने के सम्बन्ध में उक्त सूचना मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 4-3-2005 को दी गयी।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण में जिलाधिकारी, मैनपुरी ने उपलब्ध करायी गयी आख्या में अवगत कराया है कि ग्राम अंगोधा तहसील व जिला मैनपुरी में 211 आवंटियों को कृषि आवंटन की स्वीकृति अभिलेखों के अनुसार आवंटन प्रस्ताव दिनांक 21-7-2004 को अनुमोदित किया गया जिस पर तहसीलदार श्री आर0डी0 मिश्रा द्वारा 57 क व ख पर हस्ताक्षर किये गये हैं। आवंटन के संबंध में ग्रामवासियों द्वारा उप जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गयी जिस पर तहसीलदार मैनपुरी ने दिनांक 7-8-2004 को यह आख्या दी कि ग्राम अंगोधा में कोई पट्टे नहीं हुए हैं। इस प्रकार तहसीलदार की उक्त आख्या दिनांक 7-8-2004 तथा आवंटन पत्रावली में किये गये अनुमोदन में विरोधाभास पाए जाने पर तत्कालीन तहसीलदार श्री आर0डी0 मिश्रा को दोषी मानते हुए उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरूद्ध समुचित कार्यवाही हेतु तथा आवंटन के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, मैनपुरी की आख्या प्राप्त कर पट्टों के निरस्तीकरण की विधि अनुकूल कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी, मैनपुरी को निर्देश दे दिए गए हैं।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ में हो रही अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में श्री बीजू पटनायक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खाँ)–

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ में सामानों/विभिन्न प्रकार के उपकरणों की खरीद में अनियमितता करके सरकारी धन का दुरूपयोग करने, अनुपयोगी सामानों को ऊंचे रेट पर खरीद कर करोड़ों रूपये का दुरूपयोग करने तथा इस कार्य में निवर्तमान चिकित्सा अधीक्षक तथा वर्तमान प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा पद का दुरूपयोग करने के अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक स्टोर, श्री तिवारी व वरिष्ठ लिपिक, श्री वर्मा की भूमिका संदिग्ध बतायी गयी है तथा इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में अंकित समस्त तथ्यों/अनियमितताओं की जांच हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को शासनादेश दिनांक 04-03-2005 द्वारा निर्देश दिये जा चुके हैं। जिसके क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा के पत्र दिनांक 10-03-2005 द्वारा जांच अधिकारी नामित/नियुक्त कर दिया गया, जो प्रकरण की जांच करके जांच रिपोर्ट 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायेगें। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथास्थिति दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।]

जनपद बांदा नगर स्थित सीवर लाइन के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के संबंध में श्री बाबूलाल कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)–

[श्री बाबूलाल कुशवाहा, मा0 विधायक द्वारा दिनांक 4-3-2005 को नियम-51 के अन्तर्गत निम्नानुसार सूचना दी गई है :--

नगर बांदा में सीवर लाइन का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था जल निगम द्वारा विगत पन्द्रह वर्षों पूर्व 85 लाख रूपये धनराशि के प्राक्कलन के सापेक्ष 2.50 करोड़ (ढ़ाई करोड़ रू0) धन खर्च करने के बाद भी निर्माण कार्य अधूरा है जिसका मुहाना मानी कुलिया के पास छाबी तालाब में बन्द है। उसमें टैंक तालाब का निर्माण नहीं हुआ है और अभी तक गन्दगी निकासी की कोई व्यवस्था की गई है तथा निर्माण कार्य भी मानकों के विरूद्ध होने के साथ-साथ जल निगम द्वारा पूर्ण निर्माण हेतु दो करोड़ रूपये की मांग की गई है।

उपरोक्त सीवर लाइन में अवैध कनेक्शन होने के कारण भरी जा रही गन्दगी से सीवर लाईन भ्रष्ट होने की संभावना है। सीवर लाईन में गन्दगी निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण बांदा नगर में गन्दगी फैल रही है जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है तथा जनता आन्दोलित है।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2- उपरोक्त के संदर्भ में उ0 प्र0 जल निगम द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर यह अवगत कराना है कि बांदा नगर की जलोत्सारण योजना वर्ष 1978-79 में अनुमानित लागत रू0 90.88 लाख वितरित की गयी। पांच वर्षों तक इस कार्य हेतु कोई धन प्राप्त नहीं हुआ। अत: योजना को वर्ष 1982-83 में पुनरीक्षित किया गया तथा अनुमानित लागत रू0 112.50 लाख हो गयी। वर्ष 1982-83 में योजना पर कार्य आरम्भ हुआ, लेकिन समयान्तर्गत धनावंटन न होने के कारण वर्ष 1987-तैंक योजना पर रू0 81.46 लाख व्यय करके मात्र 50% कार्य ही पूर्ण किये जा सके, जबकि मार्च, 87 तक मूल्यवृद्धि के कारण लागत रू0 160.00 लाख हो जाती है। इसी बीच शोधन संयंत्र के स्थल विवाद के कारण अधिक दूरी पर नया स्थल चयन करना पड़ा, जिससे मूल योजना में प्राविधानित राइजिंग मेन की लम्बाई 1600 मीटर से बढ़कर 4000 मीटर हो गयी। ट्रंक सीवर की खुदाई में सब-स्वायल वाटर निकला। इन कारणों से योजना की लागत में वृद्धि हुई। योजना पर धन उपलब्धता के आधार पर मार्च, 2004 तक रू0 234.00 लाख व्यय किया जा चुका है, परन्तु योजना में अभी भी लगभग 9 कि0मी0 सीवर लाईन 3 आक्सीडेशन पाण्ड एवं सीवेज फार्म चैनेल के कार्य शेष है। वर्तमान में शेष बचे कार्यो की योजना की कुल लागत रू0 313.20 लाख अनुमानित है। राइजिंग मेन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, परन्तु टेस्टिंग का कार्य नहीं कराया गया है।

3- वर्तमान में सिल्टिंग के कारण छाबी तालाब में मानी कुलिया के पास का मुहाना बन्द है। धन प्राप्त होने पर मानी कुलिया के पास बन्द मुहाने को सही करा दिया जायेगा। बिछायी गयी सीवर प्रणाली में लगभग 150 लोगों ने अवैध कनेक्शन कर लिये है, किन्तु उन क्षेत्रों में सीवर लाईन के मेनहोल अथवा गली ग्रेटिंग से सीवर की गन्दगी ओवर फ्लो नहीं हो रही है। वर्तमान में आक्सीडेशन पाण्ड की व्यवस्था न होने के कारण सीवेज पम्प वैल के बाई पास से निम्नी नाले के माध्यम से नदी में प्रवाहित हो रहा है। योजना के अवशेष कार्य धनराशि प्राप्त हो जाने पर पूर्ण कराये जा सकेंगे, और योजना को क्रियाशील कराया जाना सम्भव हो सकेगा]

जनपद बहराइच के महसी में छोटी सरयू नदी पर पुल निर्माण तथा जंगू पुरवा मार्ग से महसी मार्ग तक सड़क पेटिंग कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप कुमार वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)–

[प्रश्नगत सूचना के माध्यम से मा0 सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र महसी जनपद बहराइच से सम्बन्धित निम्न निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है :--

(1) सरयू नदी के बल्दूपुरवा घाट एवं खरकट्टन पुरवा नाले पर पुल तथा शिवपुर से डल्लापुरवा तक मार्ग का लेपन।
(2) उमरपुर घाट पर पुल का निर्माण।
(3) राजी चौराहा से इमामगंज नानपारा मार्ग के मरम्मत का प्रस्ताव।
(4) विकास खण्ड महसी मुख्यालय के उत्तर छोटी सरयू नदी पर पुल का निर्माण।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(5) तुलसीपुर चौराहा से गम्भीरवा बाजार अली नगर कला इमामगंज मार्ग की मरम्मत।

(6) जंगूपुरवा मार्ग से महसी मार्ग तक पेटिंग का कार्य।

(7) पड़ोहिया ग्राम से महसी खड़ण्जा मार्ग पर लेपन का कार्य।

उपरोक्त कार्यों की बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् है :--

(1) शिवपुर से डल्लापुरवा तक मार्ग की कुल लम्बाई 12 कि0मी0 है। इसमें 02 कि0मी0 भाग में खड़ण्जा से लेपन एवं शेष 10 कि0मी0 भाग में शून्य से लेपन तक का कार्य कराये जाने की आवश्यकता है इस हेतु लगभग रू0 175.56 लाख की धनराशि की आवश्यकता होगी। इसी मार्ग पर शिवपुर से आगे 0.2 कि0मी0 की दूरी पर बल्दूपुरवा घाट पड़ता है जिस पर 267.00 मीटर लम्बे सेतु के निर्माण की आवश्यकता होगी। इसके लिए रू0 589.06 लाख का व्यय अनुमानित है। इसी मार्ग पर बल्दूपुरवा घाट से आगे खरकट्टन पुरवा से 04 कि0मी0 की दूरी पर खरकट्टन पुरवा नाला पड़ता है जिस पर 4x6 मी0 स्पान के पुल के निर्माण की आवश्यकता होगी जिसमें लगभग रू0 42.72 लाख की धनराशि व्यय होने का अनुमान है।

(2) महसी से बहराइच के बीच सरयू नदी के उमरपुर घाट पर 58.40 मी0 लम्बाई के दीर्घ सेतु की आवश्यकता है जिसके निर्माण में रू0 125.32 लाख की धनराशि व्यय होने का अनुमान है।

(3) यह मार्ग रमपुरवा शिवपुर इमामगंज नानपारा अन्य जिला मार्ग सं0-4 के कि0मी0-19 से 46.36 तक का भाग है। इस मार्ग के मरम्मत की आवश्यकता है जिस पर रू0 382.72 लाख की धनराशि का व्यय अनुमानित है।

(4) जंगूपुरवा से महसी मार्ग के संरेखण पर महसी से आगे 01 कि0मी0 की दूरी पर 24 मी0 लम्बाई के लघु सेतु के निर्माण की आवश्यकता है जिसमें लगभग रू0 42.72 लाख की धनराशि व्यय होने का अनुमान है।

(5) यह मार्ग रायपुर टेपरहा-इटहा-इमामगंज अन्य जिला मार्ग सं0-16 अधीन है। इस मार्ग के कि0मी0-17,18,19, 21 एवं 27 में विशेष मरम्मत की आवश्यकता है जिसके लिए रू0 31.88 लाख की धनराशि के व्यय का अनुमान है।

(6) नवनिर्मित परसोहना ग्रामीण सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-3 में स्थित जंगूपुरवा गांव से महसी को पक्के मार्ग से जोड़ने हेतु 05 कि0मी0 लम्बाई मार्ग की आवश्यकता होगी जिस पर रू0 96.40 लाख की धनराशि व्यय होने का अनुमान है।

(7) बहराइच कटाईघाट अन्य जिला मार्ग के कि0मी0-23 में स्थित पड़ोहिया ग्राम से महसी की दूरी 06 कि0मी0 है जिसका 04 कि0मी0 भाग कच्चा एवं 02 कि0मी0 भाग खड़ण्जा स्तर का है जिसके निर्माण में रू0 104.52 लाख की धनराशि व्यय होने का अनुमान है।

इस प्रकार उपरोक्त सूचना में उल्लिखित निर्माण कार्यों हेतु लगभग रू0 15.90 करोड़ की धनराशि की आवश्यकता होगी। प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत इतनी अधिक लागत के कार्यों की स्वीकृति एक साथ प्रदान किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर यातायात की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी मरम्मत/निर्माण कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।]

जनपद-रायबरेली स्थित पखरौली से हमीरपुर तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)–

[श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में विधान सभा क्षेत्र डलमऊ जनपद रायबरेली के ग्राम सभा पखरौली इलाहाबाद रोड से हमीरमऊ तक की सड़क के लिए स्वीकृत धनराशि के दुरूपयोग होने तथा इसके कारण अधूरी सड़क होने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी है। मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में स्थित निम्नवत् है :--

2- विधान सभा डलमऊ जनपद रायबरेली के अन्तर्गत पखरौली हमीरमऊ मार्ग बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद (राजमार्ग सं0-38) के कि0मी0 172 से दाये निकलकर पुन: उसी मार्ग के कि0मी0 187 पर मिलता है। इसकी लम्बाई 18 कि0मी0 है। वर्ष 94-95 में शासनादेश सं0-974ई/23-11-1995-86ई/1994 टी0सी0, दिनांक 28-3-1995 द्वारा लेपन स्तर तक निर्माण कार्य हेतु रू0 84.00 लाख लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। स्वीकृत लागत के विरूद्ध विभिन्न वर्षों में प्राप्त अनुदान एवं किये गये व्यय का विवरण निम्नवत् है :--

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	प्राप्त अनुदान (लाख में)	किया गया व्यय (लाख में)
1	2	3	4
1	1994-95	5.080	5.084
2	1995-96	---	32.346
3	1996-97	---	(-)19.265
4	1997-98	---	0.041
5	1998-99	---	---
6	1999-2000	---	---
7	2000-01	---	---
8	2001-02	---	3.263
9	2002-03	74.900	75.502
10	2003-04	0.240	2.828
11	2004-05	---	---
	योग	**80.220**	**99.799**

कार्य की भौतिक प्रगति निम्नवत् है :--

(1) मिट्टी का कार्य कि0मी0-1 से 12 तक कुल 12 कि0मी0।

(2) [illegible] कोट का कार्य- कि0मी0 1 से 7 तक, कि0मी-8(500 मी0) तथा कि0मी0 9 से 12 तक कुल 11.50 कि0मी0।

नोट :- [ ] यह अंश पढा हुआ माना गया।

(3) टापकोट का कार्य-कि0मी0 1 से 4 तक तथा कि0मी0 6.10 एवं 11 कुल 7कि0मी0।

(4) लेपन कार्य-शून्य

इस प्रकार प्रश्नगत मार्ग के कि0मी0 1.2.3.4.6.10. एवं 11 में टापकोट कुटा है। कि0मी0 5,7,8 (500मी0), 9 एवं 12 में सोलिंग का पत्थर कुटा है। कि0मी0 6(500 मी0) मिट्टी का कार्य एवं कि0मी0 13 से 18 तक कंकड़ मार्ग है।

3- अब तक हुए व्यय की तुलना में भौतिक प्रगति कम होने के कारण वित्तीय अनियमितता के प्रकाश में आने पर अनियमितताओं की जांच सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है। जांच लम्बित होने के कारण कार्य अवरूद्ध है जांच कार्य पूर्ण होने पर पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त करके कार्य पूरा कराया जाना सम्भव हो सकेगा।]

जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम कोरई मोहीउद्दीनपुर में अग्निकाण्ड में हुई भेड़ों की मृत्यु के उपरान्त सहायता की मांग विषयक श्री लाल जी वर्मा, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

[जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि ग्राम कोरई मोहीउद्दीनपुर तहसील टाण्डा में दिनांक 12 दिसम्बर, 2004 को हुए अग्निकाण्ड से श्री निरहू राम की 23 भेड़ों व 30 भेड़ों के बच्चों, श्री जवाहर लाल की 17 भेड़ों तथा श्री राम झलक की 08 बकरियों की मृत्यु हुई। इस प्रकार कुल 40 भेड़ों व 30 भेड़ों के बच्चों तथा 08 बकरियों अर्थात् कुल 78 पशुओं की मृत्यु हुई।

2- प्रश्नगत प्रकरण में अग्निकाण्ड से प्रभावित श्री निरहू राम को रू0 2000/-, श्री जवाहर लाल को रू0 2000/- तथा श्री राम झलक को रू0 2000/-अनुग्रह, अनुदान मद में अनुमन्य राहत सहायता आपदा राहत निधि से वितरित की गयी है।

3- भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार आपदा से प्रभावित पशुपालकों (लघु एवं सीमान्त कृषकों/ खेतिहर मजदूरों) को उनकी पशु क्षति के लिए क्षतिपूर्ति नहीं बल्कि राहत सहायता दिये जाने का प्राविधान है। दैवी आपदा से मृत पशुओं के मालिकों को "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत बैंक द्वारा निर्धारित परियोजना लागत के बराबर तथा बछड़े, बछिया, पाड़ा, पड़िया आदि बाल पशुओं, जिनकी परियोजना लागत बैंक द्वारा निर्धारित नहीं है, की मृत्यु की दशा में पशुओं के लिए निर्धारित परियोजना लागत की आधी दर से राहत सहायता अनुमन्य है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना मे जिस प्रकार के पशु के लिए जनपदों में बैंक से वित्त पोषण हेतु एक आर्थिक इकाई के रूप में जितनी संख्या निर्धारित है, अधिकतम उतने ही पशुओं के लिए राहत सहायता अनुमन्य है।

4- जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम कोरई मोहीउद्दीनपुर मे हुए अग्निकांड से पीड़ितों के लिए जनपद स्तर से जो राहत दी गयी है प्रथम दृष्टतया कम है, अत: जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर को उक्त प्रस्तर-3 के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

इस बिन्दु को लेकर अन्य जनपदों मे कोई त्रुटि न हो इस दृष्टि से प्रदेश के समस्त जनपदों को

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त प्रस्तर-3 के अनुसार स्थिति स्पष्ट करते हुए राहत वितरण के निर्देश दिये गये हैं।

5- राहत वितरण हेतु मद एवं मानक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। प्रदेश सरकार इनमें बढ़ोत्तरी हेतु सक्षम नहीं है।]

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि नीलामी से करोड़ों का नुकसान होने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

[मा0 सदस्य, विधान सभा, श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि की नीलामी से रू0 84 करोड़ का नुकसान होने के संबंध में नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी नोटिस दिनांक 17-2-05 में मुख्य रूप से निम्न बिन्दु उठाये गये हैं। :--

1- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि के नीलामी में लगभग रू0 84 करोड़ का नुकसान हुआ जिसमें नियमों को ताख पर रख दिया गया। नीलामी में बोलीदाता कुल दो ही रहे। इसमें शासन को रू0 13 करोड़ की वित्तीय हानि हुई।

2- इन्दिरापुरम के वैभव खण्ड में ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड जिनकी संख्या 13 बदल कर 12ए कर दी गयी। रिजर्व प्राइस रू0 9000 प्रति वर्ग मी0 की बोली छूटी। बाद में खरीददार को 16000 वर्ग मी0 जमीन कम रेट पर दी गयी।

3- जून, 2004 में ग्रुप हाउसिंग के तहत इन्दिरापुरम में 16000 वर्ग मी0 जमीन रू0 9200 प्रति वर्ग मी0 की दर से बेंची गयी जबकि मार्च, 2004 को वैशाली सेक्टर में 23,485 वर्ग मी0 की नीलामी रिजर्व प्राइस रू0 9,750 के विरूद्ध बोली रू0 9,900 में छूटी जिससे शासन को रू0 14 करोड़ की हानि के नुकसान का अनुमान है।

4- 30 नवम्बर, 04 को इन्दिरापुरम में 40,331 वर्ग मी0 भूमि एवं 13,024 वर्ग मी0 की नीलामी हुई जिसकी रिजर्व प्राइस रू0 12,500 प्रति वर्ग मी0 रखा गया जबकि रू0 13,024 वर्ग मी0 के लिए रू0 17,050 रखा गया। इस प्रकार शासन को रू0 21 करोड़ की हानि का अनुमान है।

5- इन्दिरापुरम के शक्ति खण्ड-2 मे 6959 वर्ग मी0, शक्ति खण्ड-3 में 1225, 801, 1818 वर्ग मी0 के शापिंग काम्प्लेक्स की नीलामी में धांधली की गयी। यह नीलामी 12000 से 14000 के बीच हुई जबकि इससे पूर्व इन्हीं जमीनों की नीलामी रू0 21000 प्रति वर्ग मी0 की दर से की गयी थी। इस प्रकार शासन को रू0 10 करोड़ की हुई।

2- इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में लगभग 15 वर्ष पुरानी ऐसी अनिस्तारित सम्पत्ति है जिनकी वर्तमान कीमत रू0 1000 करोड़ है जिसके निस्तारण हेतु दिनांक 20-6-01 को निर्गत दिशा-निर्देश के तहत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इन सम्पत्तियों की नीलामी करने से पूर्व पारदर्शिता बनाये रखने

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के लिए राष्ट्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर नीलामी की जाती है। नीलामी में जिस व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक बोली दी जाती है उससे 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर नीलामी की प्रक्रिया एवं प्राप्त बोली का परीक्षण समिति द्वारा किये जाने के उपरान्त नीलामी के अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है तदुपरान्त नीलामी स्वीकृत की जाती है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने पिछले एक वर्ष में लगभग रू0 500 करोड़ की नीलामी इस प्रकार की है जिसमें पूर्णत: पारदर्शिता बरती गयी है। इस संबंध में मा0 विधायक द्वारा इंगित बिन्दुओं पर प्राधिकरण स्तर पर कार्यरत विशेष कार्याधिकारी, श्री रमेश चन्दानी जो प्राधिकरण के मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं, को प्रकरण की जांच करने हेतु नामित कर दिया गया है। उनके स्तर से जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुन: बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 20 मिनट पर
अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक ..14 मार्च, 2005

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी " क "

(देखिये अता0 प्र0 सं0-45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के दूसरे सोमवार हेतु निर्धारित कुं0 रतनजीत प्रताप नारायन सिंह, मा0 सदस्य-विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-45 के उत्तर का संलग्नक

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम रूकदरपुर, वि0 खण्ड-छपिया, गोण्डा के अन्तर्गत लाभान्वित कराये गये आवासों की सूची :--

क्र0सं0	लाभार्थी का नाम	पति/पिता का नाम	ग्राम	जाति	वर्ष
1	श्रीमती सुनरा देवी	श्री तिलक राम	सकदरपुर	अनु0	2000-01
2	श्रीमती ऊषा देवी	श्री लालता प्रसाद	सकदरपुर	अनु0	2000-01
3	श्रीमती सीता देवी	श्री फूल चन्द	सकदरपुर	अनु0	2000-01
4	श्रीमती प्रभा देवी	श्री मानिक राम	सकदरपुर	अनु0	2000-01
5	श्रीमती रेखा देवी	श्री राम धीरज	सकदरपुर	अनु0	2000-01
6	श्रीमती श्यामा देवी	श्री लच्छी राम	सकदरपुर	अनु0	2000-01
7	मिथलेश	श्री तिलक राम	सकदरपुर	अनु0	2000-01
8	श्रीमती नूरजहां	श्री अब्दुल अहमद	सकदरपुर	अनु0	2000-01
	वर्ष 2001-2002 से कोई आवास नहीं दिये गये हैं।				
9	श्रीमती रीता	श्री राम निहाल	सकदरपुर	अनु0	2002-03
10	श्रीमती विमला देवी	श्री सुख देव	सकदरपुर	अनु0	2002-03
11	श्रीमती प्रभावती	श्री हरी राम	सकदरपुर	अनु0	2002-03
12	श्रीमती अधिकारी	श्री चिरकुट	सकदरपुर	अनु0	2002-03
13	श्रीमती सीमा	श्री अशोक	सकदरपुर	अनु0	2002-03
14	श्रीमती पियारी	श्री गुतई	सकदरपुर	अनु0	2002-03
15	श्रीमती भिखना	श्री पृथ्वी	सकदरपुर	अनु0	2002-03
16	श्रीमती धूपा	श्री झमरू	सकदरपुर	अनु0	2002-03
17	श्रीमती सोना	श्री राम लौटन	सकदरपुर	अनु0	2002-03
18	श्रीमती औतारी	श्री राम लखन	सकदरपुर	अनु0	2002-03
19	श्रीमती पराना	श्री लुटावन	सकदरपुर	अनु0	2002-03
20	श्रीमती कृष्णावती	श्री राम लाल	सकदरपुर	अनु0	2002-03
21	श्रीमती सीमा	श्री राम प्रसाद	सकदरपुर	अनु0	2002-03
22	श्रीमती सुमावती	श्री सत्तन	सकदरपुर	अनु0	2002-03
23	श्रीमती सुन्दरी	श्री बुशारत	सकदरपुर	अनु0	2002-03
24	श्रीमती सीमा	श्री लालजी	सकदरपुर	अनु0	2002-03

क्र0सं0	लाभार्थी का नाम	पति/पिता का नाम	ग्राम	जाति	वर्ष
25	श्रीमती शकुन्तला	श्री पराग	सकदरपुर	अनु0	2002-03
26	श्रीमती विमला देवी	श्री हरी राम	सकदरपुर	अनु0	2002-03
27	श्रीमती झिनकना	श्री राम धनी	सकदरपुर	अनु0	2002-03
28	श्रीमती सावित्री देवी	श्री मिठाई	सकदरपुर	अनु0	2002-03
29	श्रीमती रेनू	श्री छोटाई	सकदरपुर	अनु0	2002-03
30	श्रीमती यशोदा	श्री राम अवध	सकदरपुर	अनु0	2002-03
31	श्रीमती झिनका	श्री हिरदयराम	सकदरपुर	अनु0	2002-03
32	श्रीमती सरस्वती	श्री राम जीत	सकदरपुर	अनु0	2002-03

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी " ख "

(देखिये अता0 प्र0 सं0-54 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के द्वितीय सोमवार के लिए निर्धारित डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-54 का संलग्नक।

नगर निगम, गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 में हाटमिक्स प्लान्ट से सड़कों पर किये गये सुधार कार्य एवं उन पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :--

क्र0सं0	2003-2004	धनांक
1	सिंचाई डाक बंगला से जीडीए दुकान गोल्डेन हेचरी तक	6.38
2	धर्मशाला चौक से जटाशंकर चौक होते हुए गंगेज चौक तक	23.09
3	तरंग चौक से गंगेज चौक तक	6.40
4	गंगेज चौक से बक्सीपुर चौक तक	18.27
5	असुरन चौक से मेडिकल रोड जेपी काम्पलेक्स तक	10.55
6	हरिहर प्रसाद दूबे मार्ग (पुलिया के पास लगभग 250 मीटर)	10.20
7	दुर्गाबाड़ी चौक से सूरज कुण्ड चौक तक	39.21
8	गंगेज चौक से गोरखनाथ रेलवे क्रासिंग तक	21.68
9	बक्शीपुर चौक से नखास तक	17.28
10	गोलघर चौक से गणेश चौक तक	10.00
11	घण्टा घर से नखास चौक व रेती चौक से मदीना मस्जिद तक	15.09
12	गोलघर चौक से गणेश चौक तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य	13.38
13	गोल्डन हेचरी से महाराणा प्रताप मूर्ति से रेलवे पुलिस चौकी तक	17.20
14	विजय चौक से सैम्पबेल तक	12.64
15	गोरखनाथ पुलिस स्टेशन से जगेसर पासी चौक तक	10.75
	2004-2005	
16	रेती चौक से गीता प्रेस तक	13.55
17	उर्वरक नगर से एफसीआई कम्पाउण्ड में टैम्पो स्टैण्ड से आरसीआई सेन्ट्रल स्कूल तक	3.18
18	उर्वरक नगर से सेन्ट्रल स्कूल तक	4.58
19	उर्वरक नगर में एफसीआई कम्पाउण्ड में एड़ी चौक से टैम्पो स्टैण्ड तक	4.32
20	इन्दिरा बाल बिहार से राम प्र0 विस्मिल तिराहा तक	7.00
21	बरंगदवा क्रासिंग से भगवानपुर होते हुए खजांची चौक तक	39.92
22	हड़हवा फाटक से एल्मुनियम फैक्ट्री तक	7.00

नत्थी " ग "

(देखिये अता0 प्र0 सं0-106 का उत्तर पीछे पृष्ठ 81 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के दूसरे सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-106 के उत्तरालेख का संलग्नक।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	विकास खंण्डे पवई में तैनाती की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	सर्वश्री तारकेश्वर लाल	ग्राम विकास अधिकारी	02-09-1996	
2	,, शैलेन्द्र कुमार सिंह	तदैव	31-09-1997	प्रथम योगदान
3	,, माया राम यादव	तदैव	17-05-1999	
4	,, जगरनाथ यादव	ग्राम पंचायत अधिकारी	18-05-1999	
5	,, हरेन्द्र यादव	तदैव	19-5-1999	
6	,, राममिलन	तदैव	20-05-1999	
7	,, मोलई राम	तदैव	24-05-1999	
8	,, रूद्र प्रताप सिंह	ग्राम विकास अधिकारी	26-05-1999	प्रथम योगदान
9	,, अनन्त प्रसाद दुबे	ग्राम पंचायत अधिकारी	21-06-1999	
10	,, बाल कृष्ण यादव	तदैव	26-06-1999	
11	,, राम चन्द्र स्वर्णकार	तदैव	27-06-1999	
12	,, रामाश्रय राम	तदैव	25-07-1999	
13	,, हीरालाल मौर्य	तदैव	01-08-1999	
14	,, प्रमोद कुमार सिंह	सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)	02-08-1999	
15	,, संजय कुमार सिंह	भण्डार लिपिक	06-01-2000	
16	,, कमलेश कुमार	ग्राम विकास अधिकारी	06-01-2000	
17	,, मनोज कुमार लाल	टंकक	31-03-2000	
18	,, जगराम	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	07-09-2000	
19	,, अब्दुल यहिया खां	वरिष्ठ सहायक	19-10-2000	
20	,, पदमाकर सिंह	जीप चालक	12-07-2001	
21	,, ओम प्रकाश	सहायक लेखाकार	10-06-2002	
22	,, प्रदीप कुमार मौर्य	पत्रवाहक	27-06-2002	

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	विकास खण्ड पवई में तैनाती की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
23	सर्वश्री राम किशुन पाल	अवर अभियन्ता (आई0आर0डी0)	09-08-2002	
24	,, अखिलेश कुमार यादव	चौकीदार	19-06-2004	
25	,, अरविन्द कुमार शर्मा	ग्राम पंचायत अधिकारी	29-072004	
26	,, जीवन राम	तदैव	3-11-2004	
27	,, नन्द लाल प्रजापति	तदैव	04-11-2004	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल 126 विधान सभा खण्ड 453--3-8-05--813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।